

वन रक्षिते रक्षितः

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग



— वन वृत्-सिवनी —

निष्ठाए परिका

शासकीय वनों से जन हितार्थ उपलब्ध सुविधाएं

वर्ष-2016

जिला - सिवनी

उत्तर एवं दक्षिण सिवनी (सामान्य) वनमंडल
पैंच टाइगर रिजर्व सिवनी एवं बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी

मानव का अस्तित्व जीव जंतुओं एवं वनों के अस्तित्व पर निर्भर है।

अनुसूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना – वनों की रक्षा कीजिए	1
2.	नवीन निस्तार नीति	2
3.	निस्तार व्यवस्था के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें	2
4.	कूपों एवं नाभिकीय डिपो से प्राप्त बनोपज परिवहन एवं मेघनाथ जौरा से संबंधित पत्र	5
5.	कूपों से सीधे जलाऊ लकड़ी का प्रदाय – परिशिष्ट 1	6
6.	केन्द्रीय जलाऊ डिपो – परिशिष्ट 2	10
7.	निस्तार डिपो की सूची – परिशिष्ट 3 वन विकास निगम के क्षेत्रों में निस्तार प्रदाय की व्यवस्था	11
8.	बसोडी बांस डिपो की सूची – परिशिष्ट 4	25
9.	चराई प्रतिबंधित क्षेत्र – परिशिष्ट 5	28
10.	गठित वन समितियों की सूची – परिशिष्ट 6	45
11.	सिवनी जिले के लिए दरों का निर्धारण – परिशिष्ट 7	48
12.	लोक वानिकी कार्यक्रम	50
13.	भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा अपनी काष्ठ को पृथक लॉट लगाकर बिक्री करने संबंधी निर्देश	52
14.	बाढ़/अग्नि पीड़ितों को व्यापारिक दरों पर बांस, बल्ली उपलब्ध कराने संबंधी	57
15.	मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पुरुस्कार नियम 2004	58
16.	मध्यप्रदेश अभिवहन (बनोपज) नियम 2000 अंतर्गत अभिवहन पास	59
17.	निजी भूमि पर उत्पादित बनोपज को समितियों के माध्यम से विक्रय करने के संबंध में।	61
18.	बांस का समान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले वैगा आदिवासियों को बसोड़ समुदाय की तरह रियायती दरों पर बांस उपलब्ध कराना	62
19.	वन्य-प्राणियों द्वारा जनहानि/जनधायल/पशु हानि/फसल हानि क्षतिपूर्ति संबंधी निर्देश	65
20.	चराई नियमावली 1986 का अनुपालन	68
21.	उपमोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिए, ईमारती काष्ठ के साथ-साथ बांस उपलब्ध कराने तथा एक विधान-सभा क्षेत्र में एक से अधिक डिपों स्थापित करने के संबंध में।	69
22.	निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदाय किये जा रहे बांसों की लम्बाई/साईजवार दिशा निर्देश।	70
23.	मेसर्स प्रेम काड़ी उद्योग सिवनी-मालवा को एक मी. से छोटे (30 से.मी. से 70 से.मी. तक के) बांस के टुकड़े प्रदाय करने वाले।	71
24.	प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस प्रदाय हेतु दर निर्धारण।	72
25.	निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु “किसान लक्ष्मी योजना”	74
26.	वन अपराध के संबंध में गोपनीय सूचना हेतु स्थापित टोल फ्री नम्बर 155312 के संबंध में निस्तार पत्रिका में सूचना के प्रकाशन बाबद।	75

प्रस्तावना

वनों की रक्षा कीजिये

जनसंख्या उद्योग एवं कृषि के विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक युग में वन क्षेत्र में आई कमी से प्राकृतिक संतुलन हुया है। औद्योगिकरण से वायु भूमि एवं जल दूषित होते जा रहे हैं, और मानव सम्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कारण आज हमारा मुख्य कर्तव्य प्राकृतिक संतुलन को यथासंभव उसी रूप में बनाये रखना है – जैसे प्रकृति ने हमें किया।

वन, जलवायु चक्र में आकस्मिक परिवर्तन पर काफी प्रभावशील रोक लगाते हैं। वृक्ष समूह ने प्रारंभ से ही मानव जीवन वातावरण को प्रभावित किया है। बड़े शहरों एवं कस्बों में मानव जीवन दिनों दिन प्रदूषण युक्त होता जा रहा है। इस से मुक्ति प्राकृतिक वातावरण से प्रकृति की गोद में मिल सकती है। फूलों की सुगंध वृक्षों की हरियाली झरनों से कल बहता पानी एवं वन्यप्राणियों के विचरण की छटा तनाव मुक्ति का साधन है।

हमारा सारा जीवन वृक्षों पर ही निर्भर करता है। पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, वन एवं वनस्पतियाँ इनके बिना इंसान का काम चल सकता। जन्म से मृत्यु तक वृक्ष हमारे साथी है। खाना पकाना और आग तापने के लिए जलाऊ लकड़ी चाहिये यों को चारा चाहिये। हल, बक्खर, गाड़ी, झुग्गी-झोपड़ी के लिए भी लकड़ी, बांस, काटे आदि चाहिये और घिता जलाने वाले भी लकड़ी चाहिये। बीमारी के इलाज के लिए औषधि चाहिये। यह सभी हमको वनों से प्राप्त होती है।

आबादी बढ़ रही है। रहन-सहन का स्तर बढ़ रहा है, अब आवश्यकता बढ़ रही है किंतु वन क्षेत्र शनैः शनैः घट रहा वन्यप्रदेश के अनेक हिस्सों में अब जंगल नजर नहीं आता। यदि वन इसी तरह कटते रहे तो हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जाए।

सभी जानते हैं कि

1. वृक्षाच्छादन घटने से कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है एवं पृथ्वी तपन की ओर अग्रसर हो रही है।
2. श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिये, पेड़ जहरीली हवा को शुद्ध हवा में बदलते हैं।
3. हरियाली सबको अच्छी लगती है, बिना पेड़ पौधों के हरियाली संभव नहीं है।
4. जमीन को उपजाऊ रखने के लिए व नदी, नालों में साफ पानी बहते रहने के लिए वनों का होना जरूरी है। वनों के रहने से ही सिंचाई के साधनों जैसे तालाब, स्टापड़ेम, कुआं, ट्यूबवैल एवं बांधों का पूर्ण लाभ मिल सकता है।
5. भूमि, जल और वायु की रक्षा के लिए वन आवश्यक है।
6. जीवनोपयोगी औषधियों एवं औद्योगिक आवश्यकता की मांग वनों से पूरी होती है।
7. वन राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति तथा राष्ट्र के लिए विकास का साधन भी है।
8. प्रकृति के बनाये विभिन्न वन्यप्राणियों का मानव अस्तित्व के लिए बहुत महत्व है। उनको भी जीने का हक सभी के समान है।
9. वनों में पायी जाने वाली लघु वनोपज जैसे तेन्दूपत्ता, साल, बीज, हरा, विभिन्न प्रकार की गोंद, इमली, महुआ, चिरोंजी, आंवला आदि ग्रामीणों के लिए आय के स्रोत है। लघु वनोपज से अधिकतम आय समाज के अतिम पक्षि में खड़े व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, जिनकी आय के अन्य साधन बहुत कम है।
10. वनों के विभिन्न कार्य जैसे वृक्ष एवं बांसों की कटाई वृक्षारोपण एवं विकास कार्यों से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होता है।

वनों की सबसे अधिक क्षति अग्नि से होती है। वृक्ष आग से झुलस जाते हैं जिससे उनकी लकड़ी खराब हो जाती है। प्रजातियों के छोटे पौधे जो कि भविष्य के वृक्ष हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। घास एवं अन्य छोटे पौधे भी पूरी तरह समाप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के वनों का एक बहुत बड़ा भाग प्रत्येक वर्ष अग्नि से जलता है।

वनों का दूसरा शत्रु अवैध कटाई है। इस व्यवसाय में लिप्त लोग इमारती वृक्षों की कटाई कर अवैध आय अर्जित करते अवैध कटाई से धीरे-धीरे सधन वन, विरले वनों में बदल जाते हैं तथा विरले वन तो लगभग समाप्त हो जाते हैं।

वनों पर अनियंत्रित चराई का भी बहुत हानिप्रद असर होता है, इसी कारण घांस भी वनों में बहुत कम उपलब्ध होती है तथा छोटे-छोटे पौधे मवेशियों के द्वारा चर लिये जाने से आगे वृक्ष तैयार होने की सम्भावनायें ही समाप्त हो जाती हैं। वन भूमि के अतिक्रमण से भी वन क्षेत्र में कमी आती रही है। यदि अतिक्रमण को दृढ़ता से रोका नहीं गया, तो वन क्षेत्र ही कम हो जावेगा एवं ग्रामीणों की वन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी। प्रदेश के अनेक ग्रामों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो चुकी है।

अतः आवश्यक है कि सभी ग्रामीण महिला एवं पुरुष मिलकर ग्राम वन/वन सुरक्षा समिति बनायें तथा संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों को अग्नि, अवैध कटाई, अनियंत्रित चराई तथा अतिक्रमण से वन कर्मचारियों के सहयोग से मिल जुलकर रक्षा करें।

नवीन निस्तार नीति

वर्तमान निस्तार नीति निम्नानुसार है :— राज्य शासन द्वारा पूर्व में जो सुविधायें दी जा रही थी, उन सुविधाओं में संशोधन किया गया है। अतः अब ये सुविधायें निम्नानुसार हैं —

1. राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुए (बसोडो के लिए प्रचलित प्रावधानों को छोड़कर) शेष क्षेत्र के लिए निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है :—
 - (क) निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिए पूर्वानुसार रहेगी जो कि वनों की सीमा से 05 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत स्थित है। 05 कि.मी. की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का वन आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर माना जायेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।
 - (ख) नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करें।
 - (ग) 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परंतु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।
 - (घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिए अथवा बिक्री के लिए सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी-पड़ी, मरी सूखी जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी।
2. 05 कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त प्रबंधन के लिए गठित ग्राम वन/वन सुरक्षा समिति एवं समिति के माध्यम से किया जायेगा।
3. जिन 05 कि.मी. तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है वहां ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जायेगा। इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूह के लिए एकजाई रूप से की जावेगी।
4. वन विभाग द्वारा निस्तार वनोपज का प्रदाय 01 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जावेगा।
5. राज्य में बसोडों के लिये पूर्व निस्तार व्यवस्था यथावत प्रचलित रहेगी।
6. मुद्रां को जलाने की व्यवस्था — मुद्रां को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत चालू रहेगी, जिसके लिए प्रति चट्टा रु. 1190/- की दर से नजदीकी डिपो से उपलब्ध करवाया जावेगा।

निस्तार व्यवस्था के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें

वर्तमान निस्तार नीति के अंतर्गत शासकीय वनों की सीमा से 5 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले ग्राम ग्रामीणों को कृषि एवं घरेलू कार्यों के उपयोग हेतु बांस, बल्ली, जलाऊ लकड़ी आदि वनोपज रियायती दरों पर प्रदान किया जाने का प्रावधान है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त वनोपज का विक्रय अथवा अन्य व्यक्तियों को दान किया जाना वर्जित निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वनोपज प्रदाय हेतु शासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो निम्नानुसार है—

1. जलाऊ लकड़ी :-

- (क) ग्रामीण राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से गिरी-पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।
- (ख) ग्रामीण उपलब्धता के आधार पर अपने वास्तविक निस्तार के लिए कूप से रु. 250/- प्रति चट्टा की दर से प्राप्त कर सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। ऐसे कूपों की सूखी संलग्न ग्रामों की सूखी सहित परिशिष्ट क्र. 1 में दी गई है। वनसमिति के सदस्यों के लिये यह दर रु. 225/- प्रति चट्टा है।

अन्य उपयोग हेतु जलाऊ लकड़ी के लिये परिशिष्ट 2 में वाणिज्यिक दर निर्धारित की गई है जो केन्द्रीय डिपों से रु. 1190/- प्रति चट्टा निर्धारित है।

2. बल्ली :-

- (क) वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों के ग्रामीणों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई जावेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्लियाँ तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूखी संलग्न परिशिष्ट क्र. 3 में दी गई है।
- (ख) वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से निस्तार डिपो से बाजार दर पर बल्लियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

3. बांस :-

- (क) अधिकांशतः बांस वनों में सामुहिक पूर्ण होने के कारण उत्पादन कम होने से वनों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी प्रतिवर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर ही निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे डिपो की सूखी संलग्न परि. क्र. 3 में दी गई है।
- (ख) वनों से 5 कि.मी. की परिधि से बाहर स्थित ग्रामों के निवासी बाजार दर पर पंचायत के माध्यम से ही आवश्यकतानुसार बांस प्राप्त कर सकते हैं।
- (ग) प्रत्येक बसोड़ परिवार को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 1500 नग तक बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक बसोड़ परिवार को कैलेण्डर वर्ष के लिए पंजीकृत कराना आवश्यक है तथा बसोड़ परिवार को बांस प्रदाय करने के लिए एक बही रखी जायेगी। बसोड़ डिपो की जानकारी संलग्न परिशिष्ट क्र. 4 में दी गई है। बांस की विक्रय दरें परिशिष्ट क्र. 7 में दी गई हैं।

4. छोटी वनोपज की निःशुल्क सुविधाएँ :-

ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बक्कल, जड़े एवं अन्य पैदावार कांटेदार झाड़ियाँ, गौण खनिज, फलफूल आदि निःशुल्क एकत्रित कर सकते हैं, किंतु वृक्षों अथवा जमीन की सतह पर ऊंगे पौधों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। अन्यथा सुविधा पर कभी भी रोक लगाई जा सकेगी।

5. चराई की सुविधायें :-

राज्य के वनों में चराई नियम 1986 के द्वारा नियंत्रित है। चराई प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूखी परि. क्र. 5 में दी गई है।
निस्तार व्यवस्था के संबंध में मुख्य निर्देश :- प्रत्येक सरपंच उनके क्षेत्र के ग्रामीणों की आवश्यकता व प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हितग्राही को निमानुसार प्रपत्र में प्रमाण-पत्र जारी करेगा :-

प्रमाण पत्र

(ग्राम पंचायत द्वारा वनोपज प्रदाय हेतु जारी करने के लिए)

क्रं / वर्ष 20

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री आत्मज श्री निवासी
ग्राम प.ह.न. तहसील वनोपज संख्या की घरेलू निस्तार
हेतु आवश्यकता है। इसके पूर्व मैंने इन्हें इस वर्ष इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है।

ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य जाति के हैं।

देनांक
तील

हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत का नाम

- यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रमाण-पत्र की पुस्तक उपलब्ध न हो तो सरपंच द्वारा सादे कागज पर उपरोक्त प्रमाण-पत्र दो प्रति में जारी किया जा सकता है। प्रमाण-पत्र जारी करते समय सरपंच को चाहिए कि वह निस्तारकों को संबंधित निस्तार डिपो पर नियुक्त कर्मचारी के नाम एवं पद, बिक्री के दिनों, लकड़ी की कीमत आदि से भली-भांति परिचित करा दें ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। प्रमाण-पत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के अभिलेख में रखी जायेगी।
- प्रत्येक वनोपज अर्थात् बांस, बल्ली व जलाऊ लकड़ी के लिये सरपंच पृथक प्रमाण-पत्र जारी करें।
- प्रत्येक कृषक, कृषक मजदूर जो अपने निस्तार पूर्ति के लिये वनोपज चाहता है, वह अपने सरपंच से प्रमाण-पत्र दो प्रति में लेकर संलग्न डिपो में जाकर इमारती लकड़ी प्राप्त कर सकता है। ये प्रमाण-पत्र डिपो पर वन विभाग की ओर से नियुक्त कर्मचारी, वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति द्वारा पदस्थ कर्मचारी को देकर वनोपज का मूल्य पटाकर निस्तार वनोपज प्राप्त कर सकता है।
- सरपंच प्रमाण-पत्र की एक प्रति ग्रामीण अपने पास रखेगा तथा एक प्रति निस्तार डिपो प्रभारी/ परिक्षेत्र सहायक को देगा।
- वनों से प्राकृतिक तौर पर गिरी-पड़ी, सूखी जलाऊ लकड़ी ग्रामीण सिरदोझ से निःशुल्क ला सकते हैं, परंतु इस प्रकार के जलाऊ ट्रेक्टर ट्रॉली एवं साईकल द्वारा परिवहन नहीं किये जा सकते हैं।
- निस्तार सुविधा के तहत कूपों एवं न्यूकिलियस डिपो से प्रदाय किये जाने वाले जलाऊ चट्ठों का ट्रेक्टर द्वारा परिवहन किये जाने की छूट मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र./समिति/04/ 2003/2013, दिनांक 05/04/2002 द्वारा दी गई है।
- प्रत्येक बसोड़ परिवार को एक बार उपलब्ध दर के अनुसार अधिकतम बांस प्रदाय किये जायेंगे तथा प्रदाय बांस उनकी बही में अंकित किया जावेगा। अतः बसोड़ बही को लेकर ही डिपो में जावे।
- बसोड़ों के लिये निर्धारित बांस डिपो में पतले सिरे से 4-5 फुट फाड़कर दिया जायेगा।**
- डिपो परिसर में बीड़ी या सिगरेट पीना आग जलाना मना है।
- अपनी निस्तार सामग्री प्राप्त करने के लिये शासकीय वन क्षेत्रों में जाते समय कृपया यह ध्यान रखें कि कहीं आपके द्वारा किसी वृक्ष अथवा अन्य वनोपज को नुकसान न पहुंचे तथा वनों में कोई आग न लगे। ऐसा करना अपराध है, जिसके लिये भा.व.आ. की धारा 26 तथा 33 के अनुसार 1 वर्ष का कारावास एवं रु. 1000 जुर्माना की सजा दी जा सकती है।
- निस्तार सामग्री प्राप्त होने पर कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह वनोपज किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री या दान न की जावें। ऐसा करना अपराध है, जिसके लिये भू-राजस्व संहिता की धारा 253 के अनुसार रु. 1000 तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।
- निस्तार वनोपज का उपयोग, जिसके नाम मनीरसीद जारी की गई है वही करेगा, इसका विशेष ध्यान दिया जावे।**
- वनोपज को परिवहन के समय मनीरसीद अपने साथ रखेगा तथा मांगे जाने पर किसी भी कार्यपालिक वन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा। मनीरसीद उपलब्ध न होने पर आपके विरुद्ध वाहन एवं वनोपज जप्त कर भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- मनीरसीद को परिवहन के उपरांत भी सुरक्षित रखे तथा किसी विवाद के समय उसको वनोपज स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें।
- बल्ली का परिवहन करते समय यह अवश्य देख लेवे कि डिपो कर्मचारी के द्वारा बल्ली पर हेमर का निशान अवश्य लगा दिया गया है तथा हेमर का मार्क मनीरसीद पर भी अंकित कर दिया गया है। हेमर न लगा होने पर परिवहन के दौरान जांच में बल्ली अवैध मानी जा सकती है तथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
- प्रत्येक निस्तारी को पृथक-पृथक मनीरसीद जारी किया जाना अनिवार्य है।**
- निस्तार सुविधा के अंतर्गत कूपों से जलाऊ फड़ी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति वनों में बैलगाड़ी के साथ प्रवेश करने के पूर्व संबंधित वन कर्मचारी (जो सामान्यतः परि. सहायक होता है), से रसीद प्राप्त कर लेवे।
- सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् वनोपज की निकासी नहीं की जावेगी।
- निस्तार वनोपज की निकासी निश्चित समयावधि के भीतर की जावेगी। यदि गाड़ी टूट जाये या बैल बीमार हो जाये, तो खरीददार को पास की अवधि समीप के कर्मचारी से बढ़वा लेनी चाहिए।
- वन कर्मचारियों की अनुपस्थिति में डिपो या कूप में प्रवेश न करें।
- कूप में जलाऊ लकड़ी, फड़ी संबंधित वनरक्षक के द्वारा भराई जावेगी। अपनी मर्जी से कोई भी जलाऊ फड़ी भरना अनुचित है। जलाऊ फड़ी बैलगाड़ी में भरने के बाद मनी रसीद पर संबंधित वनरक्षक से लेख कराये कि फड़ी उसके द्वारा भराई गई है। संबंधित वनरक्षक प्रविष्टि के उपरांत मनी रसीद पर हस्ताक्षर भी करेगा।
- डिपो में वनोपज एक तरफ से प्रदाय की जावेगी, किसी को भी वनोपज छटाई की अनुमति नहीं होगी।

23. वन सुरक्षा समिति के ग्रामीणों को रायल्टी मुक्त निस्तार उसी स्थिति में दिया जावेगा जबकि समिति के द्वारा वन सुरक्षा के संबंध में सफल योगदान दिया गया तथा वह वनोपज समिति क्षेत्र में उत्पादित हुई हो, शेष स्थिति में निस्तार दर पर ही वनोपज प्रदाय की जावेगी।
24. निस्तारी डिपो में रखी गई वनोपज के लक्ष्य में परिस्थितियों के अनुसार मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक / समिति / 04 / 2003 / 2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05-04-2002

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(उत्पादन) भोपाल ।

विषय :— निस्तार सुविधा के अंतर्गत कूपों से तथा नाभिकीय डिपो से प्रदाय किये जाने वाले चट्टे ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कराने की अनुमति देने विषयक।

— : : —

लिये गए निर्णय के अनुसार निस्तार सुविधा के अंतर्गत कूपों से तथा नाभिकीय डिपो से परिवहन किये जाने वाले चट्टे ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कराने की राज्य शासन एवं द्वारा अनुमति प्रदान करता है एवं कूपों तथा नाभिकीय डिपो से निस्तार सामग्री के परिवहन हेतु ट्रेक्टर के उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को प्राधिकृत किया जाता है।

म.प्र. राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार
(के.पी. सिंह)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्र./एफ/11/99/221

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 1999

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वनोपज उत्पादन, निर्वतन एवं विपणन,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :— मेघनाथ जौरा का प्रदाय एवं दर निर्धारण।

— : : —

राष्ट्रीयकृत वन उपज अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/11/1999 में (विषय क्र. 2003) में लिये गए निर्णय के अनुसार मेघनाथ जौरा के प्रदाय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने को राज्य शासन एवं द्वारा अनुमति प्रदाय करता है।

वनों से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित जिन ग्रामों में मेघनाथ जौरा स्थापित है, उनके लिये पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर वनमण्डलाधिकारी की अनुमति के आधार पर 10 वर्षों में एक बार नियमित काष्ठागार से ग्राम सभा के प्रतिनिधियों द्वारा चयनित सागौन का तृतीय श्रेणी का लड्डा निःशुल्क दिया जायेगा एवं वनमण्डल कार्यालय में इस प्रदाय बाबत एक पंजी संधारित की जायेगी।

म.प्र. राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार
(के.पी. सिंह)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट 1

कूर्पों से सीधे जलाऊ लकड़ी का प्रदाय (केवल वन सीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु)

क्र.	परिदेश	कूप का नाम एवं क्रं.				अनु. उप. जानाऊ चट्ठा	संलग्न ग्रामों का नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
1	2	3				4	5	7	8
1	छपारा	XI	सेमरताल	SCI	RF	213	-	बरबसपुर	प.स. छपारा
		XI	सिरकापार	SCI	RF	264	4	सागर, खट्टकर	प.स. चमारी
		XI	चन्देनी	SCI	RF	220	-	खट्टकर, भारतेंदनी, जुबान, जामुनपानी	प.स. छपारा
		XI	अमानटोला	IWC	RF	206	-	गनेशगंज, रायचौर, बंजर	प.स. बकोडा सिवनी
		XI	बरबसपुर	SCI	RF	210	-	कुहिया, बिजना, मुतिया, मटामा	प.स. गनेशगंज
		XI	देवगांव	SCI	RF	245	1	जामुनपानी, गुधना, घोघरी	प.स. छपारा
		XI	बकोडा	SCI	RF	265	10	बकोडा सिवनी	प.स. बकोडा सिवनी
		XI	पीपरदाना	IWC	RF	286	14	तुलफ, केवलारी	प.स. बकोडा सिवनी
		XI	भीमगढ़	IWC	RF	334	-	तुलफ, केवलारी	प.स. बकोडा सिवनी
योग :-							29		
2	कहानी	XI	बारुबंद	SCI	PF	372	24	बारुबंद, अमानटोला, सुनवारा	प.स. सुनवारा
		XI	अहारगोदी	SCI	RF	379	56	गोसाई खमरिया, पहारगढ़, ढाना, बटका, गंधीला	प.स. सिहोरा
		XI a	गाडरवारा	SCI	RF	338	55	गाडरवाडा, अमोली, खिरखिरी	प.स. सुनवारा
		XI b	गाडरवारा	SCI	PF	350	1	गाडरवाडा, अमोली, खिरखिरी	प.स. सुनवारा
		XI	पहारगढ़	IWC	RF	374	-	पहाडगढ़, बरेला, बलपुरा, गोरखपुर	प.स. सुनवारा
		XI a	खापा	IWC	RF	364	-	खापा, घोघरीमाल, कोडरा, घोघरी रैयत	प.स. धनौरा
		XI b	खापा	IWC	PF	362	-	खापा, घोघरीमाल, कोडरा, घोघरी रैयत	प.स. धनौरा
योग :-							136		
3	धूमा	XI	थांवरी	SCI	RF	5	31	केरपानी, सारसवाडी, थांवरी	श्री अनन्त कुमार परतेती,
		XI	पौण्डी	IWC	RF	52	-	डॉगरगांव, बुढवानी	श्री जसकरण उड़िके, उवक्षे.
		XI	डोगरगांव	SCI	RF	9	3	डॉगरगांव	श्री जसकरण उड़िके, उवक्षे.
		XI	गाडरवारा	SCI	RF	6	13	समथाल, बंजारी	श्री बी.एल. पन्द्रे वनपाल
		XI	केरपानी	SCI	RF	1	14	सिल्पनी, घारपाठा, टोडा, खम्हरा, हुल्की	श्री बी.एल. पन्द्रे वनपाल
		XI	घनककड़ी	SCI	RF	57	24	जुगरई, सिल्पनी, रायचौर, रायचौर माल	श्री किशोरीलाल पारथी
		XI	समथाल	SCI	PF	80	7	दरगडा, जमखार, बेलखेडी, बिछुआ, लौंदा, मोहगांव	श्री सुखराम साहू व.पा.
		XI	सिल्पनी	SCI	RF	48	9	जमुनिया, गुरार, गोविन्दगढ़, खापा,	श्री सुखराम साहू व.पा.
		XI	जुगरई	SCI	RF	31	6	गाडरवाडा, पौण्डी, जमुनिया, थांवरी, गाडरवाडा ऐ.	श्री जसकरण उड़िके, उवक्षे.
		XI	जमुनिया	SCI	RF	16	15	पौण्डी, जमुनिया, बांदा, खापा	श्री जसकरण उड़िके, उवक्षे.
		XI	रायचौर	SCI	RF	36	11	केरपानी, सारसवाडी,	
		XI	दरगड़ा	SCI	RF	25	19	घनककड़ी, पाठादेवी, ओकांरपार, लिंगपानी, झामर	श्री अनन्त कुमार परतेती, वनपाल

क्रं.	परिक्षेत्र	कूप का नाम एवं क्रं.					अनु० उप. जलाऊ चट्ठा	संलग्न ग्रामों का नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
1	2	3					4	5	7	8
		XI	धूमा	SCI	RF	53	7	रायचौर, देवरी, छिराल, मोहगांव	श्री किशोरीलाल पारखी	
		योग :-					159			
4	घंसौर	XI	बुधेरा	SCI	RF	476	51	पाटन, भुमका, सिंधनपुरी खुदरी, कुकरा, केवलारी, बम्हनी	प.स. ब्यौहारी व.पा.	प्रत्येक दुधवार
		XI	पाटन	SCI	RF	474	42	गंगपुर, पथरिया, डोकरकुही, दमपुरी, केवलारी, भुमका, घनवाही, पाटन, पददीकोना, सेलुआ, दुगंरिया	प.स. ब्यौहारी व.पा.	
		XI	फुल्हेरा	SCI	PF	411	115	उमरडीह, बखारी, घरगांव, केदारपुर, फुल्हेरा, गढ़ी, जामुनपानी	प.स. ब्यौहारी व.पा.	
		XI	पुटरई	SCI	RF	520	123	धूमामाल, छिन्दवाह, बरेली, बुडना, चौरई, पुटरई	प.स. केदारपुर उ.व.क्षे.	
		XI	बधोरा	SCI	RF	522	65	पिपरिया, पीपरटोला, सिरियाटोला, घरमूकोल, पौण्डी, रोटो, कारीथून, गुढ़ी	प.स. बिनौरी वनपाल	
		XI	मोहगांव	SCI	RF	444	14	बिनौरी, मानकर्तारा बरेली, शोकलथाना, पहाड़ी, खापा, गाडावूर	प.स. बिनौरी वनपाल	
		XI	मानेगांव	SCI	RF	452	58	मगरथा, बम्हनी, सालीवाडा, मछरिया, मासूरभायरी, भिलाई, ककरतला, हरनभटा, पिपरिया	प.स. बिनौरी वनपाल	
		XI	बक्सी	IWC	RF	466	90	फुल्हेरा, बक्सी रजरवाडा करिया	प.स. केदारपुर वनपाल	
		योग :-					558			
5	लखनादौन	XI	शेरकुमार	IWC	RF	112	57	खमरिया, पहाड़ी, धनककड़ी, दपकिया, केरपानी	प.स. पहाड़ी	प्रत्येक मंगलवार
		XI	परासिया	IWC	RF	126	53	जोबा, आदेगांव, घिपकना, भंडारदेव	प.स. आदेगाव	
		XI	कोसमधाट	IWC	RF	144	105	कोसमधाट, पाथरकाठी	प.स. परासिया	
		XI	गौराबीबी	IWC	RF	141	95	गौराबीबी, परासिया	प.स. परासिया	
		XI	कनेरा	IWC	RF	139	58	बोरिया, ढाना, शक्तिकछार, हमीरगढ़, करछुआई, अटारी	प.स. आदेगाव	
		योग :-					368			
6	शिकारा	XI	परासपानी	SCI	RF	543	24	साल्हेपानी, परासपानी, सर्व, बिछुआ, ददरी	श्री जियालाल करन, उ.व.क्षे.	प्रत्येक शुक्रवार
		XI	लेण्डीकोल	SCI	RF	557	-	भिलमाटोला	श्री जियालाल करन, उ.व.क्षे., श्री कमलसिंह बरकड़े, व.पा.	
		XI	पायली	SCI	RF	552	1	सूरजपुरा, पायली, कलकुही, दिवारी	श्री खेमचन्द सनोडिया, वनपाल, प.स. दिवारी	
		XI	भिरा	SCI	RF	587	29	कत्ती, कढोरी, बबरिया, शिकारा	श्री खेमचन्द सनोडिया, वनपाल, प.स. दिवारी	
		XI	शिकारा	SCI	RF	562	11	पनारझिर	श्री कमलसिंह बरकड़े, व.पा., प.स. दिवारी	
		योग :-					65			
		महायोग :-					1,315			

परिशिष्ट -01

दक्षिण सिवनी (सा.) वनमण्डल

कूपों से सीधे जलाऊ लकड़ी का प्रदाय (केवल वन सीमा से 05 किमी० की परिधि के ग्रामों हेतु)

क्र.	परिक्षेत्र	कूप का नाम एवं क्रमांक	अनुमानित उपलब्धता	संलग्न ग्रामों के नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	निरंक	-	-

टीप :- इस वनमण्डल की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः निस्तार वर्ष 2016 में ग्रामीणों को निस्तार हो कूपों से सीधे प्रदाय किये जाने वाले चट्टों की संख्या - निरंक - है।

परिशिष्ट-1

बरचाट परियोजना मण्डल सि

(केवल वन सीमा से 05 किमी. के भीतर ग्रामों हेतु)

अ. क्र.	परियोजना परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	कूप क्रमांक	अनुमानित उपलब्धता	ग्राम पंचायत	संलग्न ग्रामों के नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बेहरई	775	VIIIIG	100	बेहरई, उमरवाडा, मऊ	बेहरई, उमरवाडा, लाटगांव, मऊ, उमरवाडी	प.स. बेहरई	गुरुव
		776	VIIIGH	100				
		118	VIIIB	550	लालपुर, अंतरी, जनमखारी, धारना, धीसी	लालपुर, अंतरी, केसलई, पांडरवानी, धारना, जनमखारी, धीसी	प.स. धारना	शुक्रवा शनिव
		123	VIIIA	150	गोडेगांव, गांगपुर	गोडेगांव, मोहगांव, धूरवाडा, गांगपुर, उलट, कांडिया		
		286	VIIIF	30	सैला, कल्याणपुर, अंखीवाडा, अंतरा	सैला, डोरली, कल्याणपुर, अंखीवाडा, अंतरा	प.स. आष्टा	सोमव
		P-796	TP80	90				
		701	TP05	40	पांडरवानी, दौंदीवाडा, जाम, इन्दौरी	पांडरवानी, दौंदीवाडा, जाम, इन्दौरी	प.स. दौंदीवाडा	मंगल
		699	TP2000	30				
		योग		1090	-	-	-	-
2	पांडिया छपारा	103	VIIIB	400	पांडियाछपारा, उगदीवाडा, कनारी, भर देली	पांडियाछपारा, बनियाटोला, उगदीवाडा, सुआ, टकटुआ, कनारी, भरदेली, नाचनवाडी, दरबारीटोला	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		749	VIIIG	190	बेलगांव, दुरेंदा, नसीपुर	बेलगांव, बनाथर, सनाथर, गुरेरा, रेचना, गोकलपुर, दूटीकैम्प, दुरेंदा, बाकल	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		754	TP05	100	पिपरिया	पिपरिया, कातौली, सिरेगांव	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		756	TP80	100	जेवनारा,	जेवनारा, नाईटोला	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		755	TP05	75	खुरसुरा	खुरसुरा, बरबसपुर, इमलीटोला, होलूटोला, खुरसीपार	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		736A	TP80	100	बागडोंगरी	बागडोंगरी, देवगांव	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		698	TP2000	20	बेलगांव	सरेखाखुर्द	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		740	TP05	10	नसीपुर	नसीपुर, कुनवीटोला	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		742	TP05	5	नसीपुर	बकोण्डा, महकाटोला	प.स. पांडिया छपारा	मंगल
		योग		1000	-	-	-	-
		510A	TP85	100	रुमाल	रुमाल, घाटखरपडिया, माघोटोला	प.स. केवलारी	रविव
		517A	TP85	100	झोला, अलोनीखापा	अलोनीखापा, पोतालपानी, तुरगा, झोला, तुदुटोला, भादूटोला	प.स. केवलारी	रविव

अ. क्र.	परियोजना परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	कूप क्रमांक	अनुमानित उपलब्धता	ग्राम पंचायत	संलग्न ग्रामों के नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	वरधाट परियोजना मण्डल सिवनी							
	केवलारी	P-541	VIIIC	83	खैररांजी, गवारी, देहवानी	खैररांजी, सालीयाडा, गवारी, देहवानी	प.स. केवलारी	रविवार
		P-725	VIIIF	100	खरपडिया, मलारी	खरपडिया, चिखली, मलारी	प.स. उगली	सोमवार
		P-539	VIIIB	150	धूरवाडा, दूटेरा, विभारी, खैरी	धूरवाडा, दूटेरा, विभारी, खैरी	प.स. उगली	सोमवार
		493	VIIIA	150	उगली, मोहबरा	उगली, मोहबरा	प.स. उगली	सोमवार
	योग			683	-	-	-	-
4	कान्हीवाड़ T	60	VIIIA	40	मुण्डरई, कन्हान	मुण्डरई, बम्होड़ी, कुड़ो	प.स. बम्होड़ी	सोमवार
		61	VIIIB	60	लाखनटोला	छतरपुर, लाखनटोला, मुण्डरई		
		677	TP90	18	मेहलोन	मोहलोन, जोगीवाडा, काढना		
		P-683	TP90	16	कलारबांकी	कलारबांकी	प.स. जेवनारा	बुधवार
		667	TP90	48	आमाकोला, थांवरी, चंदनवाड़ी	आमाकोला, जामुनटोला, टेकरांजी, खुरसीपार		गुरुवार
		668	TP90	11	चंदनवाडा	चंदनवाडा		गुरुवार
	योग			193	-	-	-	-
5	सिवनी	434	VIIIA	200	सापापार, बादलपार, बुद्धी, गवारी	सापापार, कोटकसा, गवारी, रेयतवारी	प.स. गोपालगंज	गुरुवार
		444	VIIIB	200	परतापुर	परतापुर		रविवार
	योग			400	-	-	-	-
6	धूमा	P-56	VIIIA	10	घोघरीनागन	घोघरीनागन, खूटखमरिया	प.स. धूमा एवं बंजारी	गुरुवार
		79	VIIIC	15	कत्ती	खम्हारा, गढ़जमुनिया, कत्ती		
		116	VIIIF	130	बुंगरिया	भानेरी, दबकिया, बुंगरिया		
		117	VIIA	15	परासिया	परासिया, राखी, पथरई		
	योग			170	-	-	-	-
7	लखनादीन	152	VIIIA	20	औरापानी	औरापानी, कुड़ारी, खापा, कोहका	प.स. पिपरिया	रविवार
	योग			20	-	-	-	-
	महायोग			3556	-	-	-	-

परिशिष्ट - 1

पैंथ टाईगर रिजर्व सिवनी (बफरजोजन)

कूपों से सीधे जलाऊ लकड़ी का प्रदाय (केवल वन सीमा से 5 कि०मी० के भीतर ग्रामों हेतु

मा.	परिक्षेत्र	कूप का नाम एवं क्र.				अनुमानित उपलब्ध जलाऊ छट्टा	संलग्न ग्रामों का नाम	विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद	विक्रय दिवस
		कूप क्र.	कूप का नाम	पातन श्रेणी	आरक्षित संरक्षित वन				
1	2	3	4	5	6	7			
1	लखाड़								
2	घाटकोहका								
3	जरी (बफर)								
4	खापासा (बफर)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

टीप :— बफरजोन क्षेत्र की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः निस्तार वर्ष 2016 में ग्रामीणों को निस्तार हेतु कूपों से सीधे प्रदाय किये जाने वाले छट्टों की संख्या —निरंक— है।

परिशिष्ट-2
केन्द्रीय जलाऊ डिपो की सूची

(उत्तर सिवनी (सा०) वनमण्डल)

क्र.	जलाऊ डिपो का नाम	अनु. मात्रा चट्टों में	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी पद
1	2	3	4	5
1	छपारा	500	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक छपारा
2	कहानी	100	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक कहानी
3	लखनादौन	200	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक लखनादौन
4	धूमा	170	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक धूमा
5	घंसीर	200	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक घंसीरी
6	शिकारा	150	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक शिकारा
	योग :-	1320		

केन्द्रीय जलाऊ डिपों की सूची

(दक्षिण सिवनी (सा०) वनमण्डल)

क्र.	जलाऊ डिपों का नाम	अनु. मात्रा चट्टों में	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी पद
1	2	3	4	5
1	बारदेही (बाम्हनदेही)	200	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक बाम्हनदेही
2	बरधाट	100	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	प.स. धारना / डि.प्र.बरधाट
3	बण्डोल	10	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक बण्डोल
4	भोमा	10	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक भोमा
5	उगली	50	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	परिक्षेत्र सहायक उगली
6	केवलारी	500	प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर)	डिपो प्रभारी केवलारी
	योग:-	870		

- टीप-**
- 1.) इस वनमण्डल की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः अन्य उत्पादन वनमण्डलों से जलाऊ चट्टे प्राप्त होने पर ही प्रदाय किया जा सकेगा।
 - 2.) शवदाह हेतु उपलब्धता अनुसार निर्धारित दर पर चट्टे प्रदाय किये जा सकेंगे।

केन्द्रीय जलाऊ डिपों की सूची

(पैंच टाईगर रिजर्व, सिवनी

क्र.	जलाऊ डिपों का नाम	अनु. मात्रा चट्टों में	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी पद
1	2	3	4	5
1	अरी (बफर)	0	-	-
2	घाटकोहका (बफर)	0	-	-
3	रुखड़ (बफर)	0	-	-
4	खवासा (बफर)	0	-	-
	योग:-	0		

केन्द्रीय जलाऊ डिपों की सूची (शवदाह हेतु)

(पैंच टाईगर रिजर्व, सिवनी)

क्र.	जलाऊ डिपों का नाम	अनु. मात्रा चट्टों में	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी पद
1	2	3	4	5
1	अरी (बफर)	0	-	-
2	घाटकोहका (बफर)	0	-	-
3	रुखड़ (बफर)	0	-	-
4	खवासा (बफर)	0	-	-
	योग:-	0		

परिशिष्ट 3

निस्तार डिपो की सूची

(केवल वन सीमा से 5 कि.मी. के भीतर के ग्रामों हेतु)

विधान सभा क्षेत्र	परिक्षेत्र	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता				डिपो में संलग्न ग्राम पंचायत	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्म चारी का पद	निगरानी समिति सदस्य का नाम
			बांस	बल्ली	कृषि उप.	खोड़ (घ.मी.)					
केवलारी	छपारा	छपारा	6000	1710	30	5.00	8	9	10	11	12
							छपारा	छपारा, झुंगरिया, संजय कालोनी	सोमवार	प.स. छपारा	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							छपारा (कला)	छपारा कला, छपारा खुर्द, देवरी कला			
							अंजनिया	अंजनिया, चाढ़ी			
							लुड़गी	लुड़गी, खट्टल, अधियारी, सागर			
							तिन्सा	तिन्सा, जामुनपानी, चंदेनी, गहरानाला, पिण्डरई, घोरी			
							प्रतापगढ़	प्रतापगढ़, सिमरिया, गुदना, देवरी			
							खीरी	खीरी, पांडीवाड़ा, जूलापानी ।			
							जोगीवाड़ा	जोगीवाड़ा, जामुनपानी, सालहेगढ़,			
							खुर्तीपार	खुर्तीपार, सरडिया, माल्हनदाड़ा			
केवलारी	छपारा	भीमगढ़	2000	200	10	2.00	मीमगढ़	मीमगढ़, पिपरिया	गुरुवार	प.स. भीमगढ़	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							गंगई रेयत	गंगई रेयत, गंगई, बजर, गंगई खास			
							बिहिरिया	बिहिरिया			
							कोडियामाल	कोडियामाल, कोडिया ई, अकलम,			
							विलकटा	विलकटा, खापा			
							सुकरी	सालीवाड़ा ई, सालीवाड़ा माल, सुकरी			
							हरदुली	हरदुली			
							देवरी	देवरी, मुल्ला,			
							बरबसपुर	बरबसपुर, थावरी, बाबूटोला			
							सागर	सागर, मोहली			
सिवनी	छपारा	इमलिया (चमारी)	1000	300	10	2.00	चमारीखुर्द	चमारी खुर्द, चमारी कला, नादिया रेयत।	मंगलवार	प.स. चमारी	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							खमरिया	खमरिया, सिरकापार, नादिया खुर्द जुबान।			
							मङ्डवा	मङ्डवा, सालीवाड़ा, सोठावारी, मानोगढ़, घटार टोला			
							झागावानी, नादिया कला	झागावानी, तिलबोड़ी, नादियाकला, इमलिया			
सिवनी	छपारा	गोरखपुर	500	30	10	-	धूधसा	धूधसा, मुआरी, रायगढ़।	शनिवार	प.स. चमारी	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							गोरखपुर	गोरखपुर, तिलेपानी, सिंदरई।			
							माहुलपानी	माहुलपानी, भेड़की, दल्लोटोला।			
							सुकरी	सुकरी, अटामा, दुटई।			
सिवनी	छपारा	लकवाह	1000	30	10	-	तुलफ	तुलफ, बेरीदाना, बदरिया, कोडरा।	बुधवार	परि.सहा, बकोड़ा सिवनी	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							लकवाह	लकवाह, निवारी, सालीवाड़ा।			
							दरबई	ऊंटेकटा, घोघरी, दरबई।			
							गोरखपुर	गोरखपुर, बोरिया, उमारिया।			
लखनादीन	छपारा	सादक सिवनी	2000	400	10	2.00	सुआखेड़ा	सुआखेड़ा, डिलमिली, रणधीर नगर।	शुक्रवार	प.स. छपारा	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							बिछुआ	बिछुआ, बर्रा, पिपरिया।			
							सा. सिवनी	सादक सिवनी			
							गोहना	गोहना, पिंडरई, सिमरिया, परासिया।			
लखनादीन	छपारा	गनेशगंज	1500	300	10	2.00	पायलीखुर्द	पायली खुर्द, पायली कला, बाग्हनवाड़ा	बुधवार	प.स. गनेशगंज	संबद्ध ग्राम
							हरई	हरई, देवरी माल।			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							गुगवारा देवगांव मुण्डरई जोगीवाडा कला देवशीकला नोनिया बाहनवाडा झमलीपठार विजना बदनीर केकडा पोडी रायचोर सहजपुरी	गुगवारा, धोरिया, लालपुर, गुगवारा टोला। देवगांव, मुनई, बरबसपुर, मटामा, मुरझोर। मुण्डरई, सूखामाल, मुण्डा टोला। जोगीवाडा, पायली, खैरीमाल, खैरी रेयत। देवशीकला, सिघोडी। नोनिया, जटलापुर, चरगांव। बाहनवाडा, सेमरताल। झमलीपठार, झटेकटा, सुकराटोला। विजना, कुहिया, अमानटोला, मुतिया बदनीर, खैरी रेयत, माल केकडा, करेली, गुंदरई। पोडी, छिदवाहा। रायचोर, सेमरताल सहजपुरी, टिंगीटोला, दुगरिया ५.				पचायता के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
सिवनी	छपारा	बकोडा सिवनी	1000	30	10	-	बकोडा तुलफ केवलारी पीपरदाना बीजादेवरी भटमतरा	बकोडा, सिवनी, लैरमटाकोल। तुलफ, कोंडरा, बेरीडाना, बंदरिया। केवलारी, जमुनिया। पीपरदाना, खैरनरा, दिघोरी, देवतामऊ। बीजादेवरी, बारी। दानीमेटा, भटमतरा, गंगाडाना।	मरगलवार	प.स. बकोडा	संबद्ध ग्राम ई. व.सु. स के अ.	
	योग:- छपारा परि.		15000	3000	100	13.00			शुक्रवार	परि.सहा. कहानी	संबद्ध ग्राम पंचायत के सरपं च एवं व सुरक्षा समिति के अध्यक्ष	
लखनादीन	कहानी	कहानी	5000	1050	20	5.00	कहानी घाट पिपरि सुचानमेटा सहसना सलैया खमरिया सरी दरोटकला रमपुरी बटवानी मलखेडा सलेमा घोघरी गोलिह्या निघानी सरोरा हिंगवानी	कहानी। घाट पिपरिया, मूडापार। सुचानमेटा। सहसना, धोघरी, दुगरिया, खैरी रेयत। सलैया, बड़वानी, समनापुर। खमरिया, केवलारी, थोंवरी। सरी, गाडाघाट, खिरखिरी। दरोटकला, देवरी, पिण्डरई। रमपुरी, खापा, कुडो बुधवारा। बटवानी, दरोटखुर्द, सलैया, समनापुर। मलखेडा, मुण्डा, सुकवाह। सलेमा, खुसीपार, मोहगांव। घोघरी, खैरी, झिरिया, दुगरिया। गोलिह्या, करकवाडा, बाहनवाडा, मेडा, हरई। निघानी, लालपुर, पलटवाडा। सरोरा, तिन्सा। हिंगवानी, पनारडिंग।				
लखनादीन	कहानी	बरीदा (लालपुर)	1000	150	20	2.00	बरीदा मेहता अंगरिया बालपुर रमपुरी इश्वरपुर लुटमतरा खैरी	बरीदा, बरीदा रेयत, हुदमाल। मेहता, बम्होडी। अंगरिया खुद, कला, गुगताई, खैरी। बालपुर रेयत, बालपुर माल, तिंसरा। रमपुरी, कुडोबुधवारा। इश्वरपुर, काढीबुधवारा, सालीवाडा, बंजर। लुटमतरा, उदयपुर, तेजपानी, पिपरिया। खैरी, मोहगांव, तिलगांव।	गुरुवार	परि.सहा. कहानी	संबद्ध ग्राम के अ. व.	
लखनादीन	कहानी	बैगा पिपरिया	1000	150	10	-	बैगा पिपरि. निघानी	बैगा पिपरिया रेयत, बैगा पिपरिया माल। निघानी, लालपुर,	गुरुवार	परि.सहा. कहानी		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							थांवरी बावली केवलारी राठी करनपुर गरघटिया	थांवरी, हटुआ। बावली, चौकी, घोटी, रहलोनकला। केवलारी, करकवाडा। राठी, चारगांव, माढोपानी, उमरपानी करनपुर, करकरतला, बारिया खुर्द, बोरिया रेयत गरघटिया गरघटिया रेयत, गरघटिया माल।			क. स. एवं व.सु. स. के अ.
केवलारी	कहानी	धनीरा	3000	800	20	3.00	धनीरा पिपरिया घोघरी उमरपानी साजपानी बरेली बेगरवानी बारामीर गनेरी मुर्गाहाई जामुनपानी बम्होडी पिण्डाबोडी कुढो लावेसरी तुआघोघरी मठदेवरी रामखेत्री	धनीरा, कुरनभटा। पिपरिया, पांडीवाडा, नाई। घोघरी, घोघरी रेयत, घोघरीमाल। उमरपानी, करीदी। साजपानी, दिवारा, दिवारा टोला। बरेली, झलवानी, रानटोला, घोघरी, गाडरवाडा बेगरवानी, पिंडाबोडी, मुनगुच। बारामीर, नाल, बारामीर रेयत। गनेरी, रायखड़ी, मालहनवाडा, बगहाई मुर्गाहाई, तीतरी। जामुनपानी, सैदालपार, चुकतारा। बम्होडी, भालीवाडा, पत्ता। पिण्डाबोडी, पाटन रेयत, पाटनमाल। कुढो, मासूल, गाडरवाडा। लावेसरी, खापा, पाटन रेयत। तुआघोघरी, भालपानी। मठदेवरी, तीतरी। मालहनवाडा।	शनिवार	परि.सहा. धनीरा	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियो के अध्यक्ष
केवलारी	कहानी	कुडारी मुंगवानी	1000	150	20	-	कुडारी दोदावानी रावठान घनीरा खुर्द सुकवाह थांवरी	कुडारी, मंझगवा। दोदावानी, पिण्डरई खुर्द, रैपुरा। रावठान, घटरी, बरेली, दुगरिया। घनीरा खुर्द सुकवाह थांवरी	शुक्रवार	परि.सहा. धनीरा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
केवलारी	कहानी	सुनवारा	1000	150	20	2.00	सुनवारा आगानाला अमोली सकरी	सुनवारा। आगानाला, तिप्परा, अमोली, माघवपुर। खिखरी, कडवेथांवरी, सुआखेडा माथनपुर। सकरी, बालबद, मनोरी रेयत, लामटा।	शनिवार	परि.सहा. सुनवारा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
लखनादोन	कहानी	सिहोरा	2000	400	20	2.00	सिहोरा बुढवानी धुरका नवलगांव गोसाई खमरिया घोघरी सालीवाडा बटका सहसना बरेली गनेरी	सिहोरा, पथरिया। बुढवानी, गंधीला, हरई। धुरका, सारसलोल, राना। नवलगांव, नांगदहार गोसाई खमरिया। घोघरी, चौरी, दुगरिया, झारिया, बोरिया। सालीवाडा, झालीन, सारंगपुर, कुटमेली। बटका, बहाड़गढ़, आमई। सहसना बरेली, घोघरीमाल, गाडरवाडा गनेरी, झलवानी माल, झलवानी रेयत गनेरी, भीमकुण्डमाल	गुरुवार	परि.सहा. सिहोरा	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियो के अध्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लखनादीन	कहानी	भजिया	1000	50	0	-	भजिया	भजिया, अहारगोदी, सारंगपुर, गोरखपुर, बडवानी।	शनिवार	परि. सहा. रिहाई	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं ब.सु. स. के अ.
							वारी	वारी, गुधना।	शुक्रवार		
							गुधना	गुधना, गोरखपुर, घाट पिपरिया।			
लखनादीन	कहानी	बरेला	1000	50	0	-	बगलई	बगलई, मूँहापार, मरेठी।	सोमवार	परि. सहा. सुनवारा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं ब.सु. स. के अ.
							सेलुआ	सेलुआ, बादरा, गुंदरई, बरेला, ऐसनवाही।			
							जोगीगुफा	जोगीगुफा, सालीवाडा, पायली।			
							गोरखपुर	गोरखपुर, बलपुर।			
							बदनौर	हरई, लामटा।			
							बाहनवाडा	बाहनवाडा।			
लखनादीन		मेहता	2000	50	0	-	मेहता	कटिया, जैतपुरी, लिमतरा, अंगरिया, बंधना।	रविवार	प.स. कहानी	
योग :- कहानी			18000	3000	130	14.00					
लखनादीन	लखनादीन	लखनादीन	8000	1080	10	5.00	खुर्सीपार	खुर्सीपार, सारसडोल, मोहगांव, मरेठी, पहाड़ी।	सोमवार	परि. सहा. लखनादीन	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							बमोडी	बमोडी, पिठेरा, बंजर, डागनगोदी।			
							बगलई	बगलई, मूँहापार।			
							गंगई	गंगई, पथरिया, टीले।			
							भरदा	भरदा, चौलचांद, जामुनापानी।			
							सिरोलीपार	सिरोलीपार, कपारगढ़			
							मोहगांव	मोहगांव मठदेवरी			
							सांगई	सांगई, अडिया, मेरोथान।			
							सिरमंगनी	सिरमंगनी, कसई।			
							भिलमा	भिलमा, साजपानी, बुढवानी।			
							शिकारा	शिकारा, पाण्डुपुर।			
							भरगा	भरगा, सुरई, कौड़ा।			
लखनादीन	लखनादीन	मङई	1000	20	10	2.00	करनपुर	करनपुर, मैकडीन, मङई, बंजर।	शनिवार	प.स. लख.	
लखनादीन	लखनादीन	सनाई डॉगरी	1000	50	10	2.00	सनाईडोगरी	सनाईडोगरी	शनिवार	परि. सहा. पहाड़ी	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							मकरझिर	मकरझिर, पुनवारा।			
							जोबा	जोबा, खमरिया।			
							पुरवामाल	पुरवामाल, पुरवा रेयत, बुढवानी, नांगदहार			
लखनादीन	लखनादीन	पाटन	1000	100	10	2.00	पाटन	पाटन, सिंधोडी।	गुरुवार	परि. सहा. पाटन	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							कटोरी	कटोरी, मोहगांव, खमरिया।			
							मटी	मटी			
							मोहगांवगूजर	मोहगांव गूजर, खमरिया।			
							खमरिया	खमरिया, छाता			
लखनादीन	लखनादीन	परासिया	1000	100	10	2.00	गोराशीबी	गोराशीबी, खूट खमरिया, भण्डारदेव, खूबी, जम्कोना	गुरुवार	परि. सहा. परासिया	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							परासिया	परासिया, पतरई, सालीवाडा, भानेशी, राली।			
							खमरिया	खमरिया, पहाड़ी, घारसा, केरपानी।			
लखनादीन	लखनादीन	ओझोरा	1000	20	10	-	सामर	सामर, ओझोरा, बिछुआ, मधवानी।	मंगलवार	प.स. आदेगांव	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							बोरिया	बोरिया, ढाना, हमीरगढ़, सत्तीकछार।			
लखनादीन	लखनादीन	पाठादेवरी	1000	30	10	-	पाठादेवरी	पाठादेवरी, खड़सी।	गुरुवार	प.स. लखनादीन	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							लिंगपानी	लिंगपानी			
लखनादीन	लखनादीन	सिंधोडी	0	0	10	-	सिंधोडी	सिंधोडी, रामनगरी, घोघरी।	शुक्रवार	प.स. पाटन	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							मछवाडा	मछवाडा, सिमरिया।			
लखनादीन	लखनादीन	आदेगांव	4000	200	10	2.00	आदेगांव	आदेगांव।	शुक्रवार	प.स. आदेगांव	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							बिछुआ	बिछुआ, करछुआई, अटारी।			
							जोबा	जोबा, मङ्डपुरा, पतलोन, पिपरिया, पिण्डरई			
योग :- लखनादीन परिक्षेत्र			18000	1600	90	15.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लखनादीन	धूमा	धूमा	5000	880	10	5.00	धूमा मठदेवरी मोहगांव घोघरी कला घूरवाडा बावली	धूमा, धूमा रेयत। मठदेवरी, खापा रेयत, छपरा, पुतरा रेयत। मोहगांव, गोकलपुर, किशनपुर, घपारा माल, घपारा रेयत घोघरी कला घूरवाडा बावली	गुरुवार	परि. सहा. धूमा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
लखनादीन	धूमा	जुगरई	0	30	10	-	जुगरई सिल्पनी	जुगरई रेयत, जुगरई, समनापुर माल, थांवरी रेयत सिल्पनी, कुंडा, धुविया रेयत, धुविया माल, रायचोर रेयत, रायचोर माल	गुरुवार	परि. सहा. बंजारी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
लखनादीन	धूमा	बंजारी	1000	50	10	-	धारपाठा	धारपाठा, धारपाठा रेयत, वरबटी, खम्हारा।	गुरुवार	प.स.	संबद्ध ग्राम पं.
लखनादीन	धूमा	गाडरवाडा	0	30	10	2.00	पीढ़ी	पीढ़ी, जमुनिया, थांवरी, गाडरवाडा रेयत, गाडरवाडा माल, ढोपी	गुरुवार	परि. सहा. नागनदेवरी	परि. सहा. नागनदेवरी
लखनादीन	धूमा	धनककड़ी	1000	50	10	-	धनककड़ी	धनककड़ी, पाठादेवरी, ओकनरपार, लिंगपानी, झामर, धनककड़ी, माल	गुरुवार	परि. सहा. धनककड़ी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
लखनादीन	धूमा	नागनदेवरी	2000	100	10	2.00	मोहगांव घोघरी नागनदेवरी डोगरगांव बंधा	मोहगांव (नागन), मोहगांव रेयत, बखारी, झपनी, गोविंदगढ़। घोघरी (नागन), खुट खमरिया, भीमकुड़। नागनदेवरी। डोगरगांव, बुढवानी, सर्नईकछार। बंधा, खापा।	गुरुवार	प.स. नागनदेवरी	परि. सहा. दरगढ़ा
लखनादीन	धूमा	दरगढ़ा	1000	30	10	2.00	दरगढ़ा	दरगढ़ा, बिछुआ, लोदा, मोहगांव खुदै।	गुरुवार	परि. सहा. दरगढ़ा	संबद्ध ग्राम पं.
लखनादीन	धूमा	देवरी	1000	30	10	-	देवरी	देवरी, छिराल, गुरार, जमखार।	गुरुवार	परि. सहा. देवरी	परि. सहा. देवरी
योग :- धूमा परिषेत्र		11000	1200	80	11.00						
घंसीर	घंसीर	घंसीर	4000	860	10	5.00	घंसीर केवलारी खमरिया भालीवाडा पहाड़ी दिनोरी चीतापार बंदम	घंसीर केवलारी, समनापुर, ढूँडा। खमरिया बाजार, अमोदा। भालीवाडा, बांदरा, जाम। पहाड़ी, निघली। दिनोरी, गाड़ाधूर। चीतापार बंदम	रविवार	परि. सहा. दिनोरी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
घंसीर	घंसीर	केदारपुर	2000	20	10	-	केदारपुर बरेली अङ्गिया धूमा माल	केदारपुर, जामुनापानी, ऊमरडीह,। बरेली चरगांव, राजगढ़। अङ्गिया अङ्गिया, सुदामपुर, कुसमी, गोता, मगरथा। धूमा माल धूमा माल, छिरवाहा, पीपरदीन, बखारी रै. माल, पिपरिया	बुधवार	परि. सहा. केदारपुर	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
घंसीर	घंसीर	कुडोपार	1000	20	10	-	कुडोपार घोटखेडा निघानी मोहगांव जमुनिया खुगरिया बरगांव कुडोपार	कुडोपार, खापा, मानकसरा। घोटखेडा, सियामक। निघानी, टिकरा खापा, धनपुरी, सहजपुरी। मोहगांव, छुटना, बरेली, बंटवाडा। जमुनिया जमुनिया, झुगरिया, शोरखापा। खुगरिया बरगांव खुडोपार, सुककम, बरगांव। कुडोपार बरेली, बरगांव, राजगढ़।	मंगलवार	परि. सहा. दिनोरी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं व.सु. स. के अ.
घंसीर	घंसीर	पीढ़ी	1000	20	10	2.00	पीढ़ी	पीढ़ी, कारीथून, धरम्यकोल, थीरई, गढी, रोटो।	शुक्रवार	परि. सहा. केदारपुर	संबद्ध ग्राम पं.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
							किंदरई	किंदरई, बुडना।			प. स. एवं प.शु. स. के अ.
							साल्हेपानी	साल्हेपानी, बाजगोदी, खैरी खुर्द।			
							दलका	दलका, पठतलवई, कुडोहार।			
							गोकलथाना	गोकलथाना, हर्टिकुर, मवई।			
							पुतरई	पुतरई, चिनगा, आमाखोह, बंजर, मगरथा।			
घंसौर	घंसौर	पिपरिया भिलाई	1000	20	10	-	मानेगांव	मानेगांव, चरगांव।	रविवार	परि. सहा, केदारपुर	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							मोहगांव	मोहगांव, घुटना, बरेली, बंटवाडा रेयत।			
							कटिया	कटिया, मोहगांव।			
							भिलाई	भिलाई, हिरनभटा, ककरतला।			
							सालीवाडा	सालीवाडा, मसूरमांवरी, देवरी			
घंसौर	घंसौर	विजौरा	1000	20	10	-	पटीकोना	पटीकोना, खुसीपार, दमपुरी।	गुरुवार	परि. सहा, ब्यौहारी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							ब्यौहारी	ब्यौहारी, विजौरा, छापल, सेतुआ, झुंगरिया			
							घनवाही	गंगपुर, डोकरखुही, घनवाही,			
घंसौर	घंसौर	डोकरखुही	1000	20	10	-	झिङ्गरई	झिङ्गरई, सेलवाडा।	शनिवार	परि. सहा, ब्यौहारी	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							बुधरा	बुधरा, निचली।			
घंसौर	घंसौर	पाटन	1000	20	10	-	पाटन	पाटन, भुमका, खुदरी, दावझिर, सिंधनपुरी	रविवार	परि. सहा, ब्यौहारी	प. स. एवं प.शु. स. के अ.
							बनहनी	बनहनी, सिंगारपुर, झुटकी			
योग :-	घंसौर	परिषेत्र	12000	1000	80	7.00					
घंसौर	शिकारा	शिकारा	500	40	10	5.00	शिकारा	शिकारा, सिमरिया माल, सिमरिया, रेयतवाडी।	सोमवार	परि. सहा, शिकारा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							तुमडीपार	तुमडीपार, कत्ती, गढ़जमुनिया।			
							घरी	घरी, पड़रिया, रजगढी, मदराटोला।			
							कटोरी	कटोरी, भिरा, बवरिया (वनग्राम)।			
घंसौर	शिकारा	राठी	0	40	10	-	चरगांव, राठी,	चरगांव, राठी,	रविवार	परि. सहा, शिकारा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							माढोपानी	तिन्सी, भीरगढी, माढोपानी, जामुनपानी।			
घंसौर	शिकारा	मेहरतला	0	40	10	-	दिवारी	दिवारी, पायली, पायली माल (वीरान) दिवारा	गुरुवार	परि. सहा, दिवारी	प. स. एवं प.शु. स. के अ.
							सुरजपुरा	सुरजपुरा, कलकुही, पायली ऐ. महरतला			
घंसौर	शिकारा	गोरखपुर	800	40	10	-	अतरिया	अतरिया, गोरखपुर, विछुआ।	रविवार	परि. सहा, बीजासैन	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष
							खजरी (नयेगांव)	खजरी, सालावाडा, नये गांवटोला, गगई, बन्ही			
							सालेपानी	सालेपानी, खैरीखुर्द, खैरी, बाजगोदी, ददरी			
							कुदवारी	कुदवारी, हिनाई, बराटोला।			
							बीजासैन	मदराटोला, सरांगपुर, बीजासैन,			
							अनकवाडा	अनकवाडा, रोटो सरा करहेया			
							पनारझिर	पनारझिर, जम्होडी खुर्द, जम्होडी,			
							दुर्जनपुर	दुर्जनपुर, ईश्वरपुर, परासपानी, भिलमाटोला			
							बकदरी	बकदरी, लेण्ठीकोल, बसुरियां, गाडाघुर बदरिया।			
घंसौर	शिकारा	बिनेकी (बरेला)	400	40	10	-	बरेला	बरेला, भदुआ टोला।	शुक्रवार	परि. सहा, शिकारा	संबद्ध ग्राम पं. के स. एवं प.शु. स. के अ.
							बिनेकी	बिनेकी कला, बिनेकी खुर्द, इमलीटोला, पीपरटोला			
							रुपदीन	रुपदीन, गुन्हेरी, चटुआ, सारसडोल, बर्सटोला			
योग :-	शिकारा	परिषेत्र	1700	200	50	5.00					
महायोग :-			75700	10000	530	65.00					

परिशिष्ट-3 निस्तार डिपो की सूची
(केवल वन सीमा से 05 किमी की परिधि के ग्रामों हेतु)

विभान सभा बोर्ड	परिषेक्त्र का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का
			बांस	बल्ली	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिवनी	सिवनी	गोपालगंज	7000	2000	15	गोपालगंज	गोपालगंज, गंगाढाना, सिंधोडी, लंहगी, धमनिया, बड़कुमारी, दतनी, कलबोडी, सुकतरा	बुधवार, शनिवार	प०स० गोपालगंज	श्री उत्तमचंद शाह् श्री लच्छीप्रसाद श्री रामाकिशन शाह् श्री वाहिद हुसैन, श्री नजानंद अवधिया
						भण्डारपुर	भण्डारपुर			
						बम्हनी	बम्हनी, कटगी, हरहरपुर			
						सीलादेही	सीलादेही, बटवानी, पलारी, आमाकोला			
						चांवडी	थिगरीपार नाल, चांवडी, थरेली			
						खमरिया	खमरिया, मुंदरई, परासिया, गोबरयेली			
						सारसडोल	सारसडोल, चारगांव, चिखली			
						सुकवाह	सुकवाह, खापा, खैरटोला			
						नंदीरा	नंदीरा, जनुनिया, डोकरांजी, बधराज			
सिवनी	सिवनी	बाम्हनदेही	25000	1000	40	मैली	मैली, बाम्हनदेही, पिपरिया, गीलीटोला	गुरुवार	प०स० बाम्हनदेही	श्रीमति कस्ती बाई श्रीमति तिलकदत्ती बाई श्री कमल उझके श्री गजानंद राहगंडाले श्री मोहनलाल, श्री अमरसिंह उझके
						खैरी	खैरी, सिमरिया			
						बोरदेही	बोरदेही, बालीकोला			
						डोरली छतरपुर	डोरली छतरपुर, ठिडिया, जनता नगर सिवनी			
						बम्होडी	बम्होडी, बेलगाँव, सेलुआकलों			
						पलारी	पलारी			
						लखनवाडा	लखनवाडा			
						विठली	विठली			
						आमगांव	आमगांव, पाड़रवानी			
						खुसीपार खुर्द	खुसीपार खुर्द			
						बम्होडी	बम्होडी, कोनियापार, परतापुर			
सिवनी	सिवनी	ऐरपा (फुलारा)	2000	400	15	फुलारा	फुलारा, मरझोर, सकरदा	शुक्रवार	प०स० ऐरपा	लहण सिंह सुरेन्द्र माल्या श्रीचंद मर्सकोले श्री गनाराम सनोडिया श्री छतानंद ही कमलेश सनोडिया
						कातलबोडी	कातलबोडी, बघोडी			
						ऐरपा	ऐरपा, मोहगांव			
सिवनी	सिवनी	सिल्लौर	2000	300	0	सिल्लौर,	सिल्लौर, भालीवाडा,			
						मोहगांव	मोहगांव, लामाजोती			
						खाखरा	खाखरा			
						डुंगरिया	डुंगरिया,			
योग :- सिवनी परिषेक्त्र			36000	3700	70					
सिवनी	बरधाट	आमागढ़	10000	300	10	आमागढ़	आमागढ़, पखारा, मेहराबोडी, कमकासुर नान्हीकहार, आगरी	मंगलवा र	प०स० आमागढ़	अद्यक्ष वन सुरक्षा समिति आमागढ़, संरपच ग्राम पंचायत आमागढ़
						टिकारी	टिकारी, चिरविरा, मुडियाखेड़ा, बरवाह,			
						बकोडी	बकोडी, बटामा, बडगांव, बकोडी टोला			
						आमगांव	आमगांव, पाड़रवानी, बंदर झिरिया			
						कुडोपार	कुडोपार, बावली, तुमडीटोला, अम्मामाई, जोगीकुपा			
						पौनिया	पौनिया			
						बुढ़नाखुर्द	बुढ़नाखुर्द,			
						मानेगांव	मानेगांव, चौदीटोला, सोनाटोला			
बरधाट	बरधाट	बरधाट	30000	300	20	मानेगांव	मानेगांव	गुरुवार	प०स०	सरपंच ग्राम

विधान सभा क्षेत्र	परिक्षेत्र का नाम	निरस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विकाय दिवस	विकाय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का नाम
			बांस	बल्ली	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						कांचना	कांचना	राववार	धारना	पंचायत मानेगांव, कांचना, मण्डी, पिण्डरई, केसला, साल्टे टिकारी, बहनी
						मंडी	मंडी			
						बोरीकला	बोरीकलौं, खुरसीपार खुर्द			
						पिंडरई	पिंडरई			
						केसला	केसला			
						साल्टे	साल्टे			
						टिकारी	टिकारी			
						बहनी	बहनी			
बरघाट	बरघाट	धारना	20000	500	10	जेवनारा	जेवनारा	शुक्रवार, शनिवार	प०स० धारना	अध्यक्ष व.सु.स. पीनारकलौं सरपंथ ग्राम पंचायत पीनारकलौं, धारना
						जावरकाठी	जावरकाठी, खामी, सरेखा, मोहगांव			
						पांडरवानी	पांडरवानी			
						कोकड़ई	कोकड़ई			
						छपारा	छपारा, धारनाखुर्द			
						लालपुर	लालपुर			
						धारनाकला	धारना कला			
						पीनारकला	पीनारकला, पीनारखुर्द			
						गांगपुर	गांगपुर, पांडरवानी			
						अतरी	अतरी, केसलई, पाण्डरवानी			
बरघाट	बरघाट	धोबीसरा	9000	300	0	धोबीसरा	धोबीसरा	रविवार, बुधवार	प०स० धोबीसरा	अध्यक्ष व.सु.स. धोबीसरा सरपंथ ग्राम पंचायत धोबीसरा
						ताखलाखुर्द	ताखलाखुर्द, बेरबन			
						टेटा	टेटा, सिलघाट, गुरजई			
						जनमखारी	जनमखारी			
						विजयपानी	विजयपानी, मुआर			
						पखारा	पखारा			
						चिमनाखारी	चिमनाखारी			
योग :-			69000	1400	40					
सिवनी	रुखड -	मोहगांव	3000	150	10	थावरझोड़ी	चिखला, थावरझोड़ी, चाबूटोला	गुरुवार	प०स० मोहगांव	श्री रंजीत / पत्राल ल पारधी
						मोहगांव सङ्क	मोहगांव सङ्क, बड़ज़ार, करहैया			
						छीतापार	छीतापार, खापा, सूखाड़ोंगरी			
						ऐरमा	ऐरमा			
						आलेसुर	आलेसुर, निवारी			
						सुकतरा	सुकतरा			
						कलबोडी	कलबोडी, पोतलई, विहिरिया			
सिवनी	रुखड	बादलपार	2500	150	0	बादलपार	बादलपार, जनावरखेडा, कोटकसा	शुक्रवार	प०स० बादलपार	श्री रवि कठौते
						सापापार	सापापार, धीलपुर			
						तीतरीमोहगांव	मोहगांव, दरागाडा, तीतरी			
सिवनी	रुखड	जोगीवाडा	2000	100	0	जोगीवाडा	जोगीवाडा, बादलपारखुर्द	बुधवार	प०स० रीछी	श्री पतिराम गोड
						बुड़ी	बुड़ी, कुड़ोड़ोबरी			
						खांखरा	बेलटोला, कटंगीबंजर, खांखरा			
						चक्कीखमरिया	चक्कीखमरिया			
सिवनी	रुखड	रीछी	3500	200	0	बेलपेठ	बेलपेठ	रविवार	प०स० रीछी	श्रीमति अनन्याबाई मसराम
						सागर	सागर, धोधरी, आमटपानी, सिमरिया			
						विजयपानी	विजयपानी, रीछी, बरेलीपार			

विभाग सभा क्रम	परिषेके का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का
			बांस	बल्ली	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
करचाट	ख.खड़	अरी	15000	200	10	परासपानी	परासपानी, टिकाड़ी रैयत, टिकाड़ी माल, कर्माञ्जिरी	बुधवार, शुक्रवार	प0स0 अरी	श्रीमति शीमा चौहान
						अरी	अरी			
						काठी,	खमरिया, काठी			
						गोकलपुर	गोकलपुर			
						सुकला	सुकला			
						उसरी	उसरी			
						गुरापाठा	गुरापाठा			
						निवारी	निवारी			
						चिरचिरा	चिरचिरा, सरा			
						भीमपाठा	भीमपाठा, ताखलाखुर्द			
						नयेगांव	नयेगांव, सांडवेव रैयत			
						लोहारा	लोहारा			
						साल्हेखुर्द	साल्हेखुर्द			
योग :- रुखड़ परि.	26000	800	20							
कुरई	जामरापानी	1000	100	0		पाटन	पाटन, मुरझोर, भिलवा	सोमवार	प0स0 जामरापानी	श्री सुधाराम इनवाती, श्री अखिलेश डहरवाल, श्री राजेश पुसाम
						घनीली	घनीली, जामरापानी, जिलापुर			
						चंदरपुर	रमपुरी (बी), गोरखपुर, चिखलापानी, फतेहपुर			
कुरई	पीपरवानी	500	100	0		पीपरवानी	पीपरवानी, परासपानी, दांगीटोला	मंगलवा	प0स0 पीपरवानी	श्री हंशोबाई कोकोडे, श्री लक्ष्मीचंद धुर्वे, श्री जगदीश प्रसाद कोहरी
						पिंडरई	पुलपुला			
						चिखली	चिखली, बर्वई			
						रमपुरी	रमपुरी			
						रमली	खैरघाट			
कुरई	धोबीटोला	500	100	0		धोबीटोला	धोबीटोला, खिडकी, आगरी, रैयतवाड़ी	शनिवार	प0स0 धोबीटोला	श्री सरवनलाल परती, श्री यशवत्तश वैस, श्री अनन्तलाल
						कुडवा	कुडवा, पिटेसुर, चीचलडोह रैयत, चीचलडोह माल			
कुरई :- कुरई परि.	2000	300	0							
ख.वासा	ख.वासा	3000	150	0		ख.वासा	ख.वासा, मुडियारीठ, कोठार	सप्ताह में दो दिन	प0स0 ख.वासा	संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा
						पचघार	पचघार, नयेगांव, आमाञ्जिरी			
						खंडासा	खंडासा, बाबली, उत्तरिया			
ख.वासा	रिझी	1500	100	0		रिझी	रिझी	सप्ताह में दो दिन	प0स0 पिपरिया	संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा ग्राम पंचायत सरपंच
						मोहगांव	मोहगांव, दुर्गापुर, पोटिया			
						रमपुरी	वाहदावाद			
ख.वासा	कुरई	4000	300	15		कुरई	कुरई, पिंडकापार	सप्ताह में दो दिन	प0स0 पिपरिया	संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा ग्राम पंचायत सरपंच
						रमली	रमली, खैरघाट			
						पिपरिया	पिपरिया, पीपरखुटा			
						बिछुआ	बिछुआ, रैयत, माल, हरदुली, बोरमारा, सावरी रीठ			
ख.वासा	पिंडरई	3000	100	0		पिंडरई	पिंडरई	सप्ताह में दो दिन	प0स0 पिंडरई	
						जटामा	जटामा, सिल्लारी, हाथीगढ़			
योग :- ख.वासा परि.	11500	650	15							
सिवनी	बड़ोल	सोनाडोगरी	2500	100	10	बलारपुर	बलारपुर, बोथिया, सालीवाड़ा	शनिवार	प0स0 बड़ोल	श्री मंगलसिंह डेहरिया
						भोंगाखेड़ा	चोरगरठिया, भोगाखेड़ा			

विधान सभा क्षेत्र	परिषेक्त्र का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का
			बांस	बल्टी	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						खामखरेली	खाम खरेली, दुंगरिया, दुंगरियाटोला			
						बिहिरिया	बिहिरिया, जमुनिया, महुआटोला			
						सिहोरा	सिहोरा, घाटपिपरिया			
						सोनाडोगरी	सोनाडोगरी, थांवरी			
सिवनी	बंडोल	बांकी	1000	100	10	बांकी	बांकी	शुक्रवार	प०स० बण्डोल	श्रीमति भीरा जंधेला, श्री महेश जंधेला
						जमुनिया	जमुनिया, बकोडी			
						जुरतरा	जुरतरा, मोठार			
						दुकली	दुकली, जुआरपुर, बान्हनवाडा			
सिवनी	बंडोल	कोहका	3000	250	20	लूधरवाडा	लूधरवाडा, सिमरिया, बींझावाडा	गुरुवार	प०स० बण्डोल	श्री गोपालसिंह बघेल
						बींझावाडा	बींझावाडा, ज्यारत			
						बलपुरा	बलपुरा,			
						कोहका	कोहका, राधादेही, मानेगांव			
						कण्ठीपार	कण्ठीपार			
सिवनी	बंडोल	अलोनिया	1000	100	10	अलोनिया	अलोनिया, झिलगिली, बोरिया	सोमवार	प०स० बण्डोल	श्रीमति भीनावाई डहेरिया
						गोरखपुरकला	गोरखपुर, मरुटोला, उमरिया			
						परासिया	परासिया, गोरखपुरखुर्द			
						कुकलाह	नारायणगंज, कुकलाह, कुर्मिटोला, कुकलाह टोला			
सिवनी	बंडोल	बखारी	2500	300	0	बखारी	बखारी, जरीदा	शनिवार	प०स० बरखारी	शोपाल रजक, नो. आवीदअली
						रामगढ़	रामगढ़, घटाईदाना			
						दरबई	दरबई, दुलबजा			
						चारगांव	चारगांव, समनापुर माल, समनापुर ई., गढी,			
						केवलारी	जामुनपानी, ढारिया, केवलारी			
						औरिया	पिपरिया, पिपरियाटोला, औरियामाल, औरियारैथत			
सिवनी	बंडोल	मुंगवानी	1000	250	20	मुंगवानी	मुंगवानी कला, खुर्द, सापापार, बांधी	शनिवार	प०स० मुंगवानी	श्री ददुआ पटेल श्री बब्लू मिश्रा
						सिंधोडी	सिंधोडी			
						कन्हरगांव	कन्हरगांव			
						मङडवा	मङडवा			
						हथनापुर	हथनापुर, किसनपुर, पिपरिया			
						भाटीवाडा	भाटीवाडा, खैरीकला			
						कमकासुर	कमकासुर, नैनपार			
						कुदवारी	कुदवारी, छोटीपुसेरा, टिकारी			
सिवनी	बंडोल	चंदौरी	500	150	0	सागर	पोतालपानी, सागर, लामटा	गुरुवार	प०स० मुंगवानी	श्री रामाधार सनोड़िया
						मारबोडी	मारबोडी, चंदौरीखुर्द, चंदौरीमाल, चंदा			
						छिंदग्वार	छिंदग्वार, नकटिया			
सिवनी	बंडोल	हिनौतिया	500	150	15	हिनौतिया	हिनौतिया, पायली, रनवेली, पांजरा, जाम	बुधवार		रावलसिंह ठाकुर, रामनदन सनोड़िया जटटार बघेल
सिवनी	बंडोल	तिघरा	500	100	10	तिघरा	तिघरा, घतुरिया	बुधवार		
						लोनिया	लोनिया, ढैकी, हिवरा, सरगापुर			
सिवनी	बंडोल	भोमा	5000	150	10	भोमा	भोमा, भुरकुंडी	गुरुवार, मंगलवा	प०स० भोमा	श्री रमेश अग्रवाल, मरेजा घानाप्रति
						सालीवाडा	सालीवाडा			

विधान सभा क्षेत्र	परिक्षेत्र का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का											
			बांस	बल्टी	कृषि उपकरण						१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
							भोमाटोला	भोमाटोला, लिंगपानी, पिंडरई													
							जोरावाड़ी	जोरावाड़ी, मलाजपुर, जटलापुर													
सिवनी	बंडोल	बंजारी	1000	50	0	बंजारी	बंजारी, उडेपानी														
							झुगरिया	झुगरिया													
							झीलपिपरिया	झीलपिपरिया, कंजई, गेहलटोला, नगरवाडा													
							छीतापार	छीतापार, खमरिया रे.													
सिवनी	बंडोल	कन्हान पिपरिया	1000	100	0	कन्हान पिप.	कन्हानपिपरिया, पहीकोना														
							मुँडरई	मुँडरई खुर्द, कुडोपिपरिया, बम्होड़ी													
	योग :- बण्डोल		19500	1800	105																
केवलारी	कान्हीवाडा कान्हीवाडा		12000	300	65	हिन्नीतिया	हिन्नीतिया, किरकीरांझी, नरलआटोला														
						जुरतरा	जुरतरा, पिपरिया, सहजपुरी														
						कान्हीवाडा	कान्हीवाडा, मटियाटोला, तहसील टोला														
						थालरी	थालरी, डोकरांजी, गंगई, रठहाई, भाटा														
						खैरी	खैरी, पथरई														
केवलारी	कान्हीवाडा	छुई	4000	250	0	छुई	छुई, गोहगांव														
						मोरडांगरी	मोरडांगरी, दूडलखेडा														
						मानेगांव	मानेगांव, जाम, सिंधोड़ी														
						खमरिया	खमरिया														
						ढेंका	ढेंका, पांजरा														
						सिंधोड़ी	सिंधोड़ी, दिवराटोला, कतरवाडा														
केवलारी	कान्हीवाडा	पलारी	500	50	0	पलारी	चांवरभारा														
						दूंडासिवनी	दूंडासिवनी, वरसला														
						चंदनवाडा	चंदनवाडा, खुर्सीपार														
केवलारी	कान्हीवाडा खापावजार		1000	50	0	बाजारखापा	बाजारखापा, कंजई, झुगरिया, कुचीवाडा														
						बगलई	बगलई, चंदनवाडा खुर्द														
						डोकररांजी	डोकररांजी, समनापुर, मूँडापार														
केवलारी	कान्हीवाडा	घंसीर	1000	50	25	घंसीर	घंसीर														
केवलारी	कान्हीवाडा	दुटेरा	2000	150	20	दुटेरा	दुटेरा, चंदूटोला														
						पाथरफोड़ी	पाथरफोड़ी, कालीमाटी, बंजरटोला, चीचबंद														
						झगरा	झगरा, चोरपिपरिया														
						लोपा	लोपा														
						पांजरा	पांजरा, खापा														
केवलारी	कान्हीवाडा	उगली	7000	250	20	उगली	उगली, बीजाटोला,														
						खामी	खामी, गोरखपुर														
						सोनखार	सोनखार, भोरगोंदी														
						मलारी	मलारी, पौड़ी														
						चिखली	चिखली, खरपाडिया														
						घूरवाडा	घूरवाडा दामीझोलामाल, दामीझोला बंजर														
						गोहबर्दा	गोहबर्दा, खुर्सीपार														
						सारसडोल	सारसडोल, टिकरी, विछुआ,														

विधान सभा क्षेत्र	परिषेक्त्र का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का
			बांस	बल्ली	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						बुटेरा	बुटेरा			
						संरडी	संरडी			
केवलारी	कान्हीवाडा	मोहगांव	4000	100	0	खैरी	मोहगांव, खैरी,			
						विभारी	विभारी, अरडिया			
						पांडीवाडा	पांडीवाडा, घुरलाटोला			
						रतनपुर	रतनपुर, चिरईडेंगरी, पंडापानी (वनग्राम), दुडवा,			
						सरेखा	सरेखा कलों			
						सकरी	सकरी			
	योग :- कान्हीवाडा		31500	1200	130					
केवलारी	केवलारी	केवलारी	8000	1000	90	केवलारी	केवलारी			
						विनेकी	विनेकी, मलारी, मरकावाडा			
						मुनगापार	मुनगापार, लालोपार, माल्हनवाडा, खैरी, घानागाडा			
						ओला	ओला, पीपरदीन, तेंदुटोला, भादूटोला			
						दगलई	दगलई, कोहका			
						डोकरराजी	डोकरराजी, पनवास, कछारी			
						विरविरा	विरविरा, देवघाट			
केवलारी	केवलारी	डोभ	2000	250	20	डोभ	डोभ, बम्हनीखेडा, देवकरण टोला			
						बंदेली	बंदेली			
						खरसारु	खरसारु, मोहगांव, खौपा, घरधाँदी			
						मलारा	मलारा, घुडसार			
केवलारी	केवलारी	कुम्हडा	3500	400	0	जामुनपानी	जामुनपानी, कुम्हडामाल, कुम्हडा रै,			
						अर्जुनझिर	अर्जुनझिर, देवझिर			
						दुटेरा	दुटेरा, पांजरा दुधिया,			
						परासपानी	परासपानी, मोहगांव, कडवे, कछारी			
						पांजरा	खौपा, पांजरा			
						सरेखा	सरेखा			
केवलारी	केवलारी	छींदा	1000	250	0	छींदा	छींदा			
						पुंगार	पुंगार, सरई, खुरसीपार			
						केवलारीखेडा	केवलारीखेडा, भादूटोला, बवरिया, बक्सी			
						माल्हनवाडा	माल्हनवाडा, बिछुआ, सालीवाडा			
						खुर्सीपार	खुर्सीपार माल, खुर्सीपार रैयत, गोपेयानी, बेगरवानी			
						टाली	टाली, कारापाठा, भाटा			
केवलारी	केवलारी	खैरांजी	1000	200	0	खैरांजी	खैरांजी, खाणा, पुर्तर्वा			
						ग्वारी	ग्वारी, देववानी, सालीवाडा			
						सुनेहरा	सुनेहरा, सुनुझिरी, किमाची, सांवरी			
						बिछुआ रै	बिछुआ रैयत बिछुआ माल, पड़टोला			
						बोथिया	बोथिया, सिरोली			
						सुकतरा	सुकतरा, चौरापाठ			
केवलारी	केवलारी	अहरवाडा	4000	300	10	अहरवाडा	अहरवाडा, सहजपुरी, चरगांव, मोहगांव रै, मोहगांव माल			
						तिंदुआ	तिंदुआ, डुगरिया, चांदनखेडा			
केवलारी	केवलारी	रायखेडा	3000	100	0	रायखेडा	रायखेडा, थांवरी, कोहका			
						डुगरिया	डुगरिया, पुर्तरा, बुधवारा, गुवरिया			

विधान सभा क्षेत्र	परिक्षेत्र का नाम	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता			डिपो में संलग्न ग्राम पंचायतों की सूची	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का
			बांस	बल्टी	कृषि उपकरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केवलारी	केवलारी	कंचनवाडा	3000	250	10	नेवरगांव, जितरा, रुमाल, अलोनीखापा, बाबली, सारसडोल	नेवरगांव, कंचनवाडा, सिंद्रादेही, जितरा, रुमाल, घाटखरपडिया, धुम्कीटोला, अलोनीखापा, मशानबर्चा, लखीपढ़, बावली, सिंदरसी, बिछुवा, टिकरी बहनी, सारसडोल	दुधवार	संबंधित परिक्षेत्र सहायक	संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा ग्राम पंचायत अध्यक्ष
योग :- केवलारी परि	25500	2750	130							
महायोग:- वनमण्डल	221000	12600	510							

टीप :- इस वनमण्डल की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः अन्य उत्पादन वनमण्डलों से निस्तार वनोपज प्राप्त होने पर ही उपलब्धता अनुसार ही निस्तार वर्ष 2016 में ग्रामीणों को निस्तार हेतु वनोपज का प्रदाय किया जा सकेगा।

			परिशिष्ट - 3			वरदान परियोजना मण्डल सिवनी				
विधान सभा क्षेत्र	परियोजना परिक्षेत्र	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता	डिपो से संलग्न ग्राम पंचायत	संलग्न ग्रामों की नाम	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम	निगरानी समिति के सदस्य का नाम		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
वरदान	बेहरई	बेहरई	3000	500	बेहरई, धारना, लालपुर उमरवाडा, गोडेगांव, भरु, अतरी, गांगपुर, चीसी	बेहरई, उमरवाडा, लाटगांव, चमरदाही, धूरवाडा, कौड़िया, गोडेगांव, भोहगांव, धारना, धीसी, गांगपुर, भरु, उलट, कैसलई, अतरी, लालपुर	गुरुवार	परिक्षेत्र सहायक बेहरई	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष	
		सैला	3000	500	सैला, कल्याणपुर, अंतरा, आटा, दौदीवाडा, पांडरवानी, जाम, इन्दौरी	सैला, डोरली, अगरवाडा, अंतरा, अंखीवाडा, आटा, जाम, पाण्डरवानी, दौदीवाडा, इन्दौरी, कल्याणपुर, जाम, इन्दौरी	सोमवार	परिक्षेत्र सहायक आटा	संबद्ध ग्राम समितियों के अध्यक्ष	
केवलारी	पांडिया छपारा	पांडिया छपारा	2000	500	पांडिया छपारा उगडीवाडा, बागडोंगरी, नसीपुर, दुरेंदा, बनाथर, भरवेली, कनारी, खुरसुरा, पिपरिया, जेवनारा, बेलगांव	पांछ, बनियाटोला, उगडीवाडा, सुआ, टकटुआ, बागडोंगरी, देवगांव, नसीपुर, बलोणडा, कुनबीटोला दुरेंदा, बाकल, बनाथर, गुरेरा, सनाथर, रेधना, गोकलपुर, भरवेली, नाथनवाही, दरवारीटोला, कनारी, खुरसुरा, बरबसपुर, होलटोला, इमलीटोला पिपरिया, कातोली, सिरेगांव, जेवनारा, नाईटोला बेलगांव, सरेखाखुर्द	मंगलवार	परिक्षेत्र सहायक पांडिया छपारा	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष	
केवलारी	केवलारी	उगली	4000	200	उगली, भोहबरा, दुटेरा, विभारी, सरेखा, धूरवाडा, सरण्डी, खामी, पिखली, भलारी, खरपडिया	उगली, भोहबरा, दुटेरा, विभारी, अरण्डिया, सरेखा, खीरी, धूरवाडा, सरण्डी, खामी, गोरखपुर, चिखली, खुरसीपार, बीजाटोला, मलारी, पौण्डी, खरपडिया	रविवार	परिक्षेत्र सहायक उगली	संबद्ध ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्ष	
योग			12000	1700	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट - 3

निस्तार डिपों की सूची

(केवल वन सीमा से 5 कि.मी. के भीतर के ग्रामों हेतु)

विधान सभा क्षेत्र	परिक्षेत्र	निस्तार डिपो	अनुमानित उपलब्धता				डिपों में संलग्न ग्राम पंचायत	पंचायत में संलग्न ग्रामों की सूची	विक्रय दिवस	वि. करने वाले कर्म. का पद	निगरानी समिति सदस्य का नाम
			ब्रांस	बल्ली	कृषि उप. नग	खोड (घ.मी.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बरधाट	रुखड बफर	रुखड	5000	300	0	0	मोहगांव, गोडेगांव, थावरझोड़ी	रुखड, गण्डाटोला, वेलगांव, गोडेगांव, थावरझोड़ी	सोमवार	श्री बी.एस.पटले, वनपाल प.स. रुखड	श्री किशोर उड्के
बरधाट	रुखड बफर	नयेगांव	5000	350	0	0	शाखादेही, परतापुर, रजोला, दमझिर, फैजपुर, लोदाझिर, मोहमदपुर, बुरकगंज, कनकासुर	शाखादेही, गौलीटोला, नयेगांव, परतापुर, रजोला, दमझिर, फैजपुर, लोदाझिर, मोहमदपुर, बुरकगंज, कनकासुर	सोमवार	श्री बारेलाल गीतम, वनपाल प.स. मोहगांव	श्रीमति बेलाकली उड्के
बरधाट	रुखड बफर	दरासी	1500	300	0	0	दरासीखुर्द, दरासीकलों, धोबीसर्हा, तुईयापार	दरासीखुर्द, खापा, जुगराटोला दरासीकलों, धोबीसर्हा, तुईयापार, थरेली	मुख्यवार	श्री पी.आर. मदनकर, उ.व.क्षे. प.स. नयेगांव	श्री परसराम कर्वेती
बरधाट	रुखड बफर	चंद्रपुर	5000	300	0	0	पिण्डरई, चंद्रपुर, कुडवा	पिण्डरई बुट्टे, करंजमारा, बावनथड़ी, चंद्रपुर, बीसापुर, रैयत / माल, रमपुरी, चिखलापानी, गोरखपुर, मोहगांव, सकाटा, चीचलडोह रैयत / माल	गुरुवार	मो. नाजिम खान, वनपाल प.स. कुरई	श्रीमति गीता कर्वेती, श्रीमति दशवंती बाई, श्री शिवलाल वट्टी
बरधाट	अरी (बफर)	आतरवानी	5000	100	0	0	झैलागोंदी	झैलागोंदी,	गुरुवार प.स. गंगेरुआ	श्री ईश्वरदयाल मर्सकोले	
							आतरवानी, मगरकठा,				
							बकरमधाठ				
							मुंडापार	मुंडापार, दलाल,			
							दुंगरिया, केसरदिया				
							दरासीकला	दरासीकला,			
							दुंडासिवनी, करकोटी				
बरधाट	अरी (बफर)	सरेखा	15000	200	0	2 घ.मी.	सरेखा खुर्द	सरेखा, मिर्चावाड़ी	गुरुवार, शनिवार	प.अ. सरेखा	श्री अनिल उड्के
							तिघरा	तिघरा			
							दूल्हापुर	दूल्हापुर, बापूटोला			
							मोहगांव	मोहगांव, पाठापार			
							धपारा	धपारा, गंगेरुआ			
							दोंदीवाडा	दोंदीवाडा			

पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी (बफरजोन)

							विरहोली	विरहोली			
							अमुरला	अमुरला			
							खैरलांजी	कामठी			
							बीसापुर	बीसापुर			
							खमरिया	खमरिया			
							नहलेसरा	शनिवार			
							लोहमारा, कोडगी, चीचलगांव	प.स. नहलेसरा			
							कालीमाटी,				
							बोरीखोडा				
							टेकाडी	टेकाडी, कतरकना			
							सराहिरी	सराहिरी, टेवनी			
							घाटकोहका	घाटकोहका, भीड़की, कटगी, मुरें			
							परासपानी	साल्हे			
							पतरई	पतरई			
							दुरेश	दुरेश, सिंदरिया, पांजरा			
कटंगी	अरी (बफर)	नहलेसरा	10000	200	0	2 घ.मी.					
बरधाट	घाटकोहका	घाटकोहका	6000	200	0	1 घ.मी.					
बरधाट	खवासा	खवासा					निरंक				

टीप :- बफरजोन क्षेत्र की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः अन्य उत्पादन वनमण्डलों से निस्तार वनोपज प्राप्त होने पर ही उपलब्धता अनुसार ही निस्तार वर्ष 2016 में ग्रामीणों को निस्तार हेतु वनोपज का प्रदाय किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - 4

पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी (बफरजोन)

बसोडी बांस डिपो की सूची

विधान सभा	परिक्षेत्र का नाम	डिपो	उपलब्ध कराई जाने वाली	संलग्न बंसोड ग्राम / बस्ती	बंसोड परिवार	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी का
1	2	3	4	5	6	7	8
बरधाट	रुखड़ (बफर)	दरासी	5000	दरासीखुर्द, दरासीकलौं, धोबीसरा	4	बुधवार	श्री पी.आर. मदनकर, उ.व.क्षे. प.स. नयेगांव
बरधाट	घाटकोहका (बफर)	घाट कोहका				निरंक	
बरधाट	अरी (बफर)	सरेखा	5000	दौंदीवाडा	13	शुक्रवार	प.स. सरेखा
बरधाट	खवासा (बफर)	खवासा				निरंक	

- टीप :-
- 1.) बफरजोन क्षेत्र की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः अन्य उत्पादन वनमण्डलों से निस्तार वनोपज प्राप्त होने पर ही उपलब्धता बसोड परिवारों को बांस प्रदाय किया जा सकेगा।
 - 2.) परिशिष्ट 01 से 04 तक में दर्शित वनोपज की मात्रा उपलब्धता के आधार पर कम / अधिक की जा सकती है।

परिशिष्ट 4
बसोडी बांस डिपो की सूची

उत्तर सिवनी (सा०) वनमण्डल

विधान सभा	परिषेक का नाम	डिपो का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा	संलग्न बसोड ग्राम/वस्ती	बसोड परिवार की संख्या	विक्रय दिवस	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम/पद
1	2	3	4	5	6	7	8
लखनादौन	छपारा	गनेशगंज	2000	गनेशगंज, देवरीकला, गुगवारा बाह्नवाडा, करेली	30	मंगलवार	प.स. गनेशगंज
सिवनी		इमलिया (चमारी)	2000	चमारी खुर्द, चमारी कला, सालीवाडा, मठडा, झिरी तेन्दनी, लाटगांव	32	बुधवार	प.स. चमारी
केवलारी		छपारा	10000	छपारा, संजय कॉलोनी, सागर, लुडगी, गोकलपुर	53	सोमवार	प.स. छपारा
केवलारी		सादक सिवनी	4000	सादक सिवनी, सुआखेडा, पायली	25	शुक्रवार	प.स. छपारा
केवलारी		भीमगढ़	2000	भीमगढ़, बिलकटा, गंगई रैयत	28	रविवार	प.स. भीमगढ़
	योग :-		20000		168		
लखनादौन	कहानी	कहानी	5000	कहानी, मेहता, खमरिया, गोलिया, सलेमा, हिंगवानी	42	शुक्रवार	प.स. कहानी
		बरीदा (बालपुर)	1000	खरीकला	4	शनिवार	प.स. कहानी
		वैगापिपरिया	1000	वैगा पिपरिया	8	रविवार	प.स. कहानी
		धनीरा	3000	धनोरा, धीरियामाल	15	मंगलवार	प.स. धनीरा
		सुनवारा	3000	सुनवारा	8	रविवार	प.स. धनीरा
		कुड़ारी	1000	कुड़ारी, मुगवानी	8	सोमवार	प.स. धनीरा
		मेहता	1000	करिया, मेहता।	15	रविवार	प.स. कहानी
लखनादौन		सिहोरा	2000	सिमरिया, सिहोरा	7	सोमवार	प.स. सिहोरा
		बरेला	1000	बगलई, कुण्डापार, मरेडी	8	सोमवार	प.स. सुनवारा
	योग :-		18000		115		
लखनादौन	लखनादौन	लखनादौन	9000	निवारीटोला, मोहगांव, सिरोलीपार, सिरमगनी, लखनादौन	70	रविवार	प.स. लखनादौन
		परासिया	1000	परासिया, गौराबीवी,	7	गुरुवार	प.स. परासिया
		आदेगांव	4000	आदेगांव, मढ़ी, सोहागपुर	40	रवि, मंगल	प.स. आदेगांव
		पाटन	2000	पाटन, मढ़ी,	38	सोमवार	प.स. पाटन
	योग :-		16000		155		
लखनादौन	धूमा	धूमा	5000	धूमा, बंजारी	31	गुरुवार	संबंधित प.स. धूमा
		नागनदेवरी	2000	नागनदेवरी, देवरी, पौण्डी।	28	सोमवार	संब. प.स. नागन देवरी
		धनककड़ी	1000	धनककड़ी, धारपाठा, धारपाठा २, बरबटी खमरा	22	शुक्रवार	संबंधित धनककड़ी
		बंजारी	1000	बंजारी,	18	रविवार	प.स. बंजारी
		देवरी	1000	देवरी, छुरारू, जमखार,	22	सोमवार	प.स. देवरी
		दरगड़ा	1000	दरगड़ा, बिछुआ, मोहगांव खुर्द	16	शनिवार	प.स. दरगड़ा
	योग :-		11000		137		
घंसौर	घंसौर	घंसौर	4000	घंसौर, पहाड़ी, सारसडोल, टिकरा, निचली, ढोला	69	सोमवार	प.स. बिनोरी
		केदारपुर	1000	केदारपुर, अंडिया, चरगांव, बरेली	38	बुधवार	प.स. केदारपुर
		पौण्डी	1000	पौण्डी, किंदरई	4	शनिवार	प.स. केदारपुर
		पिपरिया	-	कटिया, खमदेही	17	रविवार	प.स. केदारपुर
		पाटन	1000	केवलारी, सिंधनपुरी, दावाजिर	12	रविवार	प.स. ब्योहारी
		बिजोरा	1000	सेलुआ, झिमरई, झुरकी	12	रविवार	प.स. ब्योहारी
		कुड़ोपार	1000	घोटखेडा, सियामउ,	20	सोमवार	प.स. ब्योहारी
	योग :-		9000		172		
घंसौर	शिकारा	शिकारा		शिकारा, पायली, सिमरिया, नयेगांव	15	सोमवार	प.स. शिकारा
घंसौर		गोरखपुर	300	गोरखपुर, दुर्जनपुर, परासपानी, ईश्वरपुर,	20	रविवार	प.स. बीजासेन
घंसौर		बिनेकी (बरेला)		बरेली, भटेखारी, उमरपानी, मेहरतला	14	शुक्रवार	प.स. शिकारा
घंसौर		राठी		राठी, चरगांव	18	रविवार	प.स. शिकारा
घंसौर		मेहरतला		मेहरतला	5	सोमवार	प.स. दिवारी
	योग :-		300		72		
	महायोग :-		74300		819		

परिशिष्ट—4
बसोडी बांस डिपो की सूची

दक्षिण सिवनी (सा०) वनमण्डल

विधान समा	परिक्षेत्र का नाम	डिपो	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा	संलग्न बंसोड ग्राम/बस्ती	बंसोड परिवार संख्या	विक्रय दिन	विक्रय करने वाले कर्मचारी का नाम / पद	
1	2	3	4	5	6	7	8	
सिवनी	सिवनी	बोरदेही (बाम्हनदेही)	40000	सिवनी, लूधरवाड़ा, कोकीवाड़ा, लखनवाड़ा, जैतपुर कला, कारीरात, जनता नगर सिवनी, खुंडा सिवनी	185	प्रतिदिन	प०स० बाम्हनदेही/डिपो प्रभारी	
		छिडिया पलारी	8000	टैगोर वार्ड सिवनी, छिडिया पलारी,	31	प्रतिदिन	प०स० सिवनी	
		गोपालगंज	5000	गोपालगंज	18	बुधवार, रविवार	प०स० गोपालगंज	
योग :-				53000	234			
बरघाट	खुंड	अरी	5000	ताखलाकला, गोकलपुर, मोहगांव,	40	बुधवार, रविवार	प०स० अरी	
		रीची	2000	बेलपेठ, घोघरी	12	रविवार	प०स० रीची	
योग :-				7000	52			
बरघाट	बरघाट	खूंट	30000	खूंट, मूडापार, जेवनारा, बरघाट, इंदोरी, मलारा	65	सोमवार	प०स० धारना/डि.प्र. खूंट	
बरघाट	खवासा	कुरई	5000	कुरई	50	रविवार	प०स० पिपरिया	
सिवनी	बंडोल	बंखारी	2000	बंखारी	5	शुक्रवार	प०स० बंखारी	
		बांकी	2000	बांकी	1	शनिवार	प०स० बण्डोल	
		भोमा	5000	भोमा	42	मंगलवार	प०स० भोमा	
		मुंगवानी	5000	मुंगवानी कलौं, सापापार, जाम, मारबोडी	34	रविवार	प०स० मुंगवानी	
		बंडोल	5000	बंडोल	12	शनिवार	प०स० बण्डोल	
योग :-				19000	94			
केवलारी	कान्हीवाड़ा	कान्हीवाड़ा	5000	कान्हीवाड़ा, मटियाटोला, हिनौतिया, तहसीलटोला,	51	बुधवार	प०स० कान्हीवाड़ा	
		छुई	4000	छुई	17	मंगलवार	प०स० छुई	
		दुटेरा	2000	दुटेरा, सरेखा, पाजरा, पाथरफोडी, झगरा	16	गुरुवार	प०स० दुटेरा	
योग :-				11000	84			
केवलारी	केवलारी	केवलारी	10000	केवलारी, मलारी, डोकररांजी, बगलई, सांठई, पिपरिया, अलोनीखोपा,	210	शनिवार	संबंधित डिपो प्रभारी	
		डोभ	2000	डोभ, मलारा, सिरोली, बोथिया, मरकावाड़ा,	45	रविवार		
		कुमडा	2000	कुमडा, जामुनपानी, परासपानी, मोहगांव	46	रविवार	संबंधित डिपो प्रभारी	
		छींदा	3000	छींदा	14	शुक्रवार		
		खैरांजी	2000	खैरांजी, सुनझिरी, सुनेहरा	10	गुरुवार	संबंधित डिपो प्रभारी	
		अहरवाड़ा	2000	अहरवाड़ा	3	बुधवार		
		रायखेड़ा	2000	रायखेड़ा	2	रविवार		
योग:-				4000	45	बुधवार	संबंधित डिपो प्रभारी	
महायोग :-		27000			375			
		152000			954			

टीप :- 1.) इस वनमण्डल की कार्य-आयोजना वर्ष 2015-16 की स्वीकृति अप्राप्त है। अतः अन्य उत्पादन वनमण्डलों से निस्तार वनोपज प्राप्त होने पर ही उपलब्धता बसोड परिवारों को बांस प्रदाय किया जा सकेगा।

2.) परिशिष्ट 01 से 04 तक में दर्शित वनोपज की मात्रा उपलब्धता के आधार पर कम/अधिक की जा सकती है।

परिशिष्ट - 5
चराई प्रतिबंधित क्षेत्र (बंद कूप)

कक्ष क.	कूप क.	क्षेत्रफल (हे. मे०)	RF 235	VIII	55.330	PF 306	VIII	49.800
	परिक्षेत्र छपारा		RF 326	VIII	65.350	PF 299	VIII	58.780
RF 215	VI	83.475	RF 285	IX	39.380	PF 292	VIII	44.630
RF 210	VI	93.825	RF 235	IX	80.100	PF 278	IX	49.500
RF 255	VI	79.425	RF 334	IX	50.430	RF 253	IX	43.880
RF 242	VI	57.375	RF 286	X	73.450	PF 207	IX	29.930
PF 315	VI	74.700	RF 208	X	72.900	PF 233	IX	24.530
PF 263	VI	63.675	RF 334	X	58.975	PF 332	IX	70.880
RF 215	VII	61.875	RF 267	VII	48.475	PF 312	IX	37.230
RF 316	VII	79.224	PF 314	VII	34.950	PF 302	IX	58.950
RF 255	VII	58.875	RF 267	VIII	54.000	RF 290	IX	61.550
RF 245	VII	82.000	PF 314	VIII	54.025	PF 279	X	47.925
PF 226	VII	51.700	RF 267	IX	53.375	PF 249	X	36.100
PF 263	VII	69.075	RF 199	IX	100.350	PF 238	X	26.325
RF 215	VIII	62.325	RF 267	X	57.050	PF 222	X	26.325
RF 316	VIII	78.175	RF 199	X	36.450	PF 335	X	45.675
RF 261	VIII	64.125	RF 220	XI	31.700	RF 311	X	77.400
RF 245	VIII	55.975	PF 430	XI	30.900	PF 301	X	35.825
PF 226	VIII	70.375	RF 282	VIII	24.110	PF 289	X	45.425
RF 265	VIII	53.850	RF 282	IX	15.900	PF 273	XI	43.425
RF 215	IX	56.250	RF 336	X	25.000	PF 277	XI	11.250
RF 219	IX	68.175	PF 276	VII	44.100	RF 280	XI	18.675
RF 261	IX	72.225	PF 281	VII	40.130	PF 247	XI	42.300
RF 221	IX	67.950	PF 237	VII	54.980	PF 218	XI	41.500
RF 226	IX	41.125	PF 225	VII	38.480	PF 317	XI	47.625
RF 265	IX	72.900	PF 327	VII	28.690	RF 303	XI	41.625
RF 215	X	47.025	RF 303	VII	37.280	PF 295	XI	24.750
RF 210	X	85.420	PF 288	VII A	20.480	PF 293	XI	44.775
RF 261	X	101.925	RF 296	VII B	24.080	PF 310	Plantation	20.000
RF 221	X	71.755	PF 293	VII	31.730	RF 311	Plantation	30.000
RF 258	X	86.400	PF 273	VI	46.800	PF 317	Plantation	10.00
RF 265	X	59.925	RF 280	VI	35.230	RF 311	Plantation	10.00
RF 282	VI	78.025	PF 247	VI	33.530	RF 300	Plantation	30.00
PF 232	VI A	39.600	PF 225	VI	43.650	RF 304	Plantation	10.00
PF 243	VI B	15.980	RF 303	VI	52.200	RF 267	Plantation	30.00
PF 244	VI C	9.450	PF 295	VI	41.400	RF 267	Plantation	30.00
RF 326	VI	70.600	PF 293	VI	43.200	RF 219	Plantation	30.000
RF 282	VII	82.950	PF 273	VIII	54.230	RF 264	Plantation	30.000
PF 256	VII A	37.980	PF 254	VIII	45.460	RF 311	Plantation	25.000
PF 246	VII B	22.050	PF 201	VIII	51.980	RF 336	Plantation	20.000
RF 326	VII	50.800	PF 225	VIII	26.100	RF 303	Plantation	25.000
RF 282	VIII	106.050	PF 329	VIII	41.080	RF 303	Plantation	20.000

RF	267	Plantation	30.000	RF	399	X	83.250	RF	411	Plantation	उत्तर सिवानी (साठ) वनमण्डल
RF	267	Plantation	20.000	RF	402	XI	80.120	RF	412	Plantation	20.000
RF	235	Plantation	20.000	PF	430	XI	30.900	RF	393	Plantation	25.000
RF	219	Plantation	25.000	RF	406	VII	48.030	RF	405	Plantation	25.000
RF	282	Plantation	25.000	RF	405	VII	36.600	RF	406	Plantation	50.000
RF	314	Plantation	20.000	RF	393	VII	19.700	RF	405	Plantation	20.000
PF	327	Plantation	25.000	RF	360	VII	35.600	PF	414	Plantation	30.000
PF	249	Plantation	40.000	PF	426	VII	20.480	RF	402	Plantation	40.000
RF	251	Plantation	25.000	PF	429	VII	24.880	परिषेत्र लखनादौन			
RF	282	Plantation	30.000	RF	406	VI	24.630	RF	188	VI	68.130
RF	204	Plantation	20.000	RF	405	VI	38.150	RF	110	VI	87.300
PF	313	Plantation	30.000	RF	396	VI	33.400	RF	128	VI	58.000
RF	267	Plantation	30.000	PF	345	VI	49.430	RF	139	VI	58.230
RF	235	Plantation	25.000	PF	428	VI	43.650	RF	144	VI	72.000
RF	303	Plantation	25.000	PF	419	VI	27.530	RF	141	VI	78.750
RF	216	Plantation	10.000	RF	411	VIII	25.000	RF	189	VII	73.070
परिषेत्र कहानी			PF 400	VIII	48.230	RF 111	VII	65.980			
RF	379	VI	66.825	PF	367	VIII	34.950	RF	128	VII	67.550
RF	373	VI	55.450	PF	387	VIII	45.480	RF	139	VII	67.500
PF	370	VI	49.950	PF	423	VIII	34.030	RF	144	VII	70.880
RF	379	VII	83.200	PF	422	VIII	55.580	RF	141	VII	76.730
RF	373	VII	62.100	RF	411	IX	42.830	RF	188	VIII	96.190
PF	379	VII	38.250	RF	413	IX	47.280	RF	111	VIII	86.830
RF	379	VIII	76.950	PF	361	IX	26.100	RF	128	VIII	66.450
PF	369	VIII	74.500	PF	344	IX	35.100	RF	139	VIII	64.300
RF	368	VIII	66.600	PF	423	IX	28.600	RF	144	VIII	88.500
RF	379	XI	67.050	RF	421	IX	32.300	RF	141	VIII	79.200
PF	369	XI	75.320	RF	409	X	37.800	RF	187	IX	66.530
RF	368	XI	63.000	PF	400	X	37.550	RF	111	IX	77.150
RF	380	X	82.350	PF	358	X	37.975	RF	128	IX	56.150
PF	369	X	68.425	PF	431	X	34.425	RF	139	IX	98.400
RF	368	X	68.175	RF	422	X	29.125	RF	144	IX	71.100
RF	364	VI	54.350	RF	409	XI	54.900	RF	142	IX	62.530
RF	374	VI	97.100	RF	405	XI	35.300	RF	189	X	109.800
PF	385	VII	38.030	PF	345	XI	39.275	RF	111	X	67.350
RF	374	VII	62.100	PF	430	XI	32.750	RF	128	X	59.250
RF	424	VIII	58.950	PF	376	XI	12.850	RF	139	X	98.550
RF	376	VIII	61.880	RF	421	XI	24.375	RF	144	X	66.150
RF	425	IX	50.580	PF	390	Plantation	20.000	RF	142	X	73.575
RF	374	IX	74.250	PF	419	Plantation	30.000	RF	104	VI	54.225
RF	425	X	68.680	PF	387	Plantation	30.000	PF	106	VI	48.700
RF	376	X	55.350	RF	421	Plantation	20.000	RF	101	VI	86.475
RF	411	VIII	23.900	RF	402	Plantation	30.000	RF	113	VI	73.800
RF	409	IX	10.000	PF	344	Plantation	20.000	RF	104	VII	66.600
PF	429	X	17.550	RF	386	Plantation	20.000	PF	106	VII	54.750

RF	101	VII	63.925	PF	171	X	45.730	RF	36	VII	64.500
RF	113	VII	72.450	RF	163	X	40.050	RF	63	VII	53.150
RF	104	VIII	56.025	RF	134	X	52.400	RF	32	VII	95.400
PF	106	VIII	53.650	PF	146	X	46.750	RF	48	VII	84.600
RF	121	VIII	89.075	PF	125	X	34.650	RF	75	VII	67.725
PF	114	VIII	30.290	PF	185	X	46.575	RF	53	VII	74.525
RF	101	VIII	70.475	PF	170	XI	44.100	RF	58	VII	92.925
PF	105	IX	55.575	RF	130	XI	35.750	RF	3	VII	84.150
RF	123	IX	72.675	PF	149	XI	50.425	RF	5	VII	95.675
RF	121	IX	88.400	PF	140	XI	26.270	RF	23	VIII	87.525
RF	102	IX	61.925	PF	173	XI	50.800	RF	29	VIII	48.000
PF	105	X	53.400	PF	178	XI	36.150	RF	26	VIII	58.775
RF	123	X	44.025	RF	99	Plantation	10.000	RF	57	VIII	75.650
PF	105	X	46.050	RF	103	Plantation	10.000	RF	39	VIII	82.125
PF	108	X	49.950	RF	197	Plantation	10.000	RF	41	VIII	50.350
RF	175	X	37.800	PF	133	Plantation	30.000	RF	75	VIII	72.900
PF	164	X	53.100	PF	192	Plantation	30.000	RF	58	VIII	68.850
RF	99	XI	32.400	PF	171	Plantation	30.000	RF	3	VIII	60.975
RF	145	VI	79.700	RF	130	Plantation	25.000	RF	5	VIII	148.730
RF	130	VI	42.900	RF	130	Plantation	25.000	RF	5	IX	91.225
PF	198	VI	45.050	PF	192	Plantation	20.000	RF	3	IX	48.150
PF	170	VI	26.650	RF	102	Plantation	93.000	RF	58	IX	88.875
PF	140	VI	34.000	RF	168	Plantation	20.000	RF	57	IX	57.225
PF	190	VI	45.900	RF	163	Plantation	20.00	RF	53	IX	48.100
RF	149	VII	49.000	RF	134	Plantation	30.00	RF	75	IX	76.500
RF	127	VII	28.350	RF	179	Plantation	25.00	RF	41	IX	78.250
RF	130	VII	77.400	RF	188	Plantation	30.00	RF	35	IX	86.175
RF	162	VII	36.130	RF	99	Plantation	150.00	RF	26	IX	47.750
PF	172	VII	41.730	RF	101	Plantation	160.00	RF	29	IX	78.110
PF	170	VII	50.650	RF	124	Plantation	50.000	RF	23	IX	69.075
PF	170	VIII	67.750	RF	180	Plantation	80.000	RF	5	X	91.900
RF	162	VIII	46.900	परिषेत्र धूमा				RF	6	X	71.925
PF	132	VIII	34.430	RF	4	VI	81.000	RF	1	X	67.025
PF	129	VIII	13.730	RF	6	VI	97.200	RF	57	X	49.250
RF	145	VIII	43.650	RF	58	VI	78.725	RF	53	X	35.550
PF	125	VIII	25.150	RF	63	VI	79.700	RF	42	X	60.775
PF	192	VIII	40.050	RF	53	VI	33.700	RF	41	X	82.275
PF	172	VIII	48.930	RF	78	VI	70.375	RF	33	X	67.950
PF	171	IX	52.870	RF	41	VI	87.700	RF	36	X	46.575
RF	162	IX	32.130	RF	33	VI	57.150	RF	29	X	60.275
RF	134	IX	71.550	RF	36	VI	80.025	RF	17	X	87.725
RF	145	IX	36.000	RF	29	VI	58.150	RF	13	VI	54.000
PF	125	IX	36.230	RF	23	VI	72.450	RF	14	VI	45.000
RF	124	IX	33.630	RF	23	VII	86.500	PF	9	VII	40.950
PF	179	IX	41.580	RF	29	VII	61.300	RF	13	VII	43.350

RF	13	VIII	47.700	RF	97	Plantation	30.000	RF	446	X	89.975
RF	9	VIII	42.080	RF	40	Plantation	25.000	RF	452	X	63.150
RF	52	IX	53.550	RF	31	Plantation	25.000	RF	476	X	99.225
RF	9	IX	52.650	RF	17	Plantation	25.000	RF	460	VI	108.600
RF	52	X	70.425	RF	11	Plantation	20.000	RF	460	VII	66.630
PF	8	X	54.675	RF	45	Plantation	30.000	RF	466	VIII	80.900
PF	98	IX	26.300	RF	30	Plantation	30.000	RF	466	IX	81.100
RF	51	X	28.200	RF	53	Plantation	40.000	RF	467	XI	73.125
RF	65	X	24.750	RF	58	Plantation	40.000	RF	531	VI	37.680
RF	65	XI	33.275	RF	52	Plantation	30.000	PF	533	VI	31.500
RF	51	XI	21.800	RF	5	Plantation	30.000	PF	438	VI	35.550
RF	20	VI	32.600	RF	65	Plantation	25.000	RF	469	VI	33.750
RF	20	VII	32.600	परिसेत्र घंसौर				RF	490	VI	37.580
RF	50	VII	63.230	RF	476	VI	54.675	RF	531	VII	33.280
RF	21	VII	36.700	RF	479	VI	47.325	PF	436	VII	30.100
PF	85	VII	47.500	RF	504	VI	79.175	PF	434	VII	31.500
RF	69	VIII	21.850	RF	514	VI	62.385	RF	469	VII	41.380
RF	20	VIII	50.380	RF	526	VI	52.175	PF	493	VII	58.780
PF	85	VIII	42.300	RF	445	VI	55.850	RF	529	VIII	52.630
RF	50	VIII	48.250	RF	447	VI	47.845	PF	441	VIII	18.200
RF	51	IX	30.300	RF	476	VII	60.250	PF	436	VIII	18.900
RF	20	IX	39.150	RF	479	VII	68.300	PF	437	VIII	28.350
PF	50	IX	65.200	RF	504	VII	67.900	PF	471	VIII	42.950
RF	51	X	35.525	RF	514	VII	80.950	PF	501	VIII	23.630
PF	22	X	38.750	RF	526	VII	65.800	RF	529	IX	29.480
PF	96	X	59.850	RF	443	VII	71.300	RF	439	IX	46.550
RF	11	X	38.000	RF	447	VII	44.650	PF	454	IX	35.680
RF	20	XI	34.350	RF	479	VIII	85.175	PF	457	IX	37.880
RF	50	XI	78.975	PF	475	VIII	80.050	PF	479	IX	43.450
RF	97	XI	23.600	RF	520	VIII	59.825	RF	529	X	47.250
RF	65	Plantation	40.000	RF	526	VIII	69.400	PF	534	X	35.550
RF	69	Plantation	20.000	RF	445	VIII	70.175	PF	464	X	44.550
RF	20	Plantation	25.000	PF	448	VIII	75.850	PF	472	X	42.775
RF	69	Plantation	10.000	RF	476	VIII	60.575	PF	493	X	46.730
RF	65	Plantation	30.000	RF	479	IX	83.375	RF	531	XI	100.425
RF	69	Plantation	30.000	RF	511	IX	98.620	PF	533	XI	32.175
RF	69	Plantation	30.000	RF	520	IX	57.180	PF	438	XI	35.175
PF	68	Plantation	10.000	RF	522	IX	85.375	RF	469	XI	41.400
RF	65	Plantation	10.000	RF	445	IX	87.075	RF	490	XI	24.300
RF	97	Plantation	10.000	RF	458	IX	68.200	RF	529	VIII A	23.300
RF	55	Plantation	30.000	RF	476	IX	65.250	RF	523	VIII B	20.430
RF	65	Plantation	30.000	PF	486	X	87.300	RF	511	IX A	50.000
PF	96	Plantation	30.000	RF	511	X	73.425	RF	505	IX B	10.000
RF	50	Plantation	50.000	RF	520	X	79.850	RF	477	IX C	15.000
RF	69	Plantation	20.000	RF	522	X	77.230	PF	519	XA	31.180

PF	464	XB	40.000	RF	557	X	56.325	RF	571	Plantation	25.000
RF	452	Plantation	30.000	RF	590	X	44.325	RF	597	Plantation	22.000
RF	522	Plantation	10.000	RF	593	X	98.475	RF	569	Plantation	25.000
PF	490	Plantation	10.000	RF	562	X	34.275	RF	575	Plantation	25.000
RF	435	Plantation	10.000	RF	134	X	52.400	RF	550	Plantation	60.000
RF	531	Plantation	30.000	RF	134	X	52.400	RF	581	Plantation	50.000
PF	438	Plantation	30.000	RF	594	VI	63.470	RF	535	Plantation	25.000
PF	532	Plantation	30.000	RF	556	X	14.900	RF	569	Plantation	50.000
RF	531	Plantation	60.000	PF	574	VI	31.550				
RF	449	Plantation	30.000	RF	566	VI	63.330				
RF	466	Plantation	30.000	PF	541	VI	43.850				
RF	445	Plantation	50.000	PF	546	VI	50.930				
RF	522	Plantation	40.000	PF	550	VI	50.730				
RF	531	Plantation	25.000	RF	574	VII	51.980				
RF	459	Plantation	25.000	RF	566	VII	44.650				
RF	524	Plantation	25.000	PF	541	VII	41.430				
RF	479	Plantation	20.000	PF	546	VII	25.460				
PF	475	Plantation	20.000	RF	530	VII	42.750				
RF	521	Plantation	25.000	PF	580	VIII	28.580				
PF	441	Plantation	25.000	PF	572	VIII	48.950				
PF	434	Plantation	30.000	RF	569	VIII	30.800				
PF	484	Plantation	20.000	PF	547	VIII	39.650				
RF	443	Plantation	30.000	PF	558	VIII	45.230				
परिषेत्र शिकारा			RF	581	IX	62.380					
RF	545	VI	55.375	RF	576	IX	40.150				
RF	557	VI	61.275	RF	542	IX	44.330				
RF	588	VI	30.175	PF	553	IX	38.900				
RF	586	VI	78.550	PF	559	IX	35.830				
RF	583	VI	64.925	PF	573	X	62.220				
RF	545	VII	61.125	RF	576	X	54.350				
RF	556	VII	34.875	RF	571	X	45.925				
RF	590	VII	57.600	RF	464	X	36.100				
RF	594	VII	78.750	RF	574	XI	42.750				
RF	583	VII	48.850	RF	566	XI	59.770				
RF	543	VIII	75.375	RF	541	XI	50.625				
RF	556	VIII	39.900	RF	546	XI	39.150				
PF	590	VIII	55.800	RF	550	XI	34.525				
RF	594	VIII	84.600	RF	543	VIII	45.700				
RF	583	VIII	60.475	PF	546	IX	47.230				
RF	545	IX	55.375	PF	546	X	46.800				
RF	557	IX	51.150	RF	576	Plantation	30.000				
RF	588	IX	54.250	PF	567	Plantation	10.000				
RF	587	IX	56.475	RF	571	Plantation	10.000				
RF	583	IX	60.225	PF	573	Plantation	10.000				
RF	545	X	67.750	RF	569	Plantation	20.000				

बंद कूपों की जानकारी "वृक्षारोपण कार्य 2015–16 "

उत्तर सिवनी वनमण्डल

क्र०	परिषेत्र का नाम	शेषण वर्ष	योजना का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्र०	रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	छपारा	2010	सागौन वृक्षारोपण	रणधीरनगर	P-310	20
2	छपारा	2010	बांस वृक्षारोपण	झिलमिली	311	30
3	घंसौर	2010	सागौन वृक्षारोपण	भूरकलखापा	439	30
4	घंसौर	2010	सागौन वृक्षारोपण	टिकरापाण्डिवाड़ा	529	30
5	घंसौर	2010	बांस वृक्षारोपण	छीतापार	435	25
6	शिकारा	2010	बांस वृक्षारोपण	खुदरगांव	566	25
7	कहानी	2010	बांस वृक्षारोपण	भजिया	P-390	20
8	कहानी	2010	सागौन वृक्षारोपण	ईश्वरपुर	P-419	30
9	धूमा	2010	सागौन वृक्षारोपण	सुक्कम भूरकुन्डी	65	40
10	धूमा	2010	मिश्रित वृक्षारोपण	रहलोन कला	69	20
11	धूमा	2010	बांस वृक्षारोपण	बिछुआ	20	25
12	धूमा	2010	उच्च तकनीक वृक्षारोपण	रहलोन कला	69	10
13	छपारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	सरंडिया	P-317	10
14	छपारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	झिलमिली	311	10
15	छपारा	2011	बांस वृक्षारोपण	बकोडा	300	30
16	छपारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	बरसला	304	10
17	छपारा	2011	सागौन वृक्षारोपण	सालीवाड़ा	267	30
18	घंसौर	2011	मिश्रित वृक्षारोपण	घनपुरा	P-438	20
19	घंसौर	2011	बांस वृक्षारोपण	आमाखोह	452	30
20	घंसौर	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	कारीथून	522	10
21	घंसौर	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	सिंधनपुरी	P-490	10
22	घंसौर	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	अमोदा	435	10
23	घंसौर	2011	सागौन वृक्षारोपण	(बंदम) साल्हेपानी	531	30
24	लखनादौन	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	मकराङ्गि	99	10
25	लखनादौन	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	साजपानी	103	10
26	लखनादौन	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	भरदा	197	10
27	लखनादौन	2011	बांस वृक्षारोपण	अटारी	P-133	30
28	लखनादौन	2011	सागौन वृक्षारोपण	चूलगांव	P-192	30
29	शिकारा	2011	सागौन वृक्षारोपण	रजगढ़ी	576	30
30	शिकारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	मुण्डा	P-567	10
31	शिकारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	पटरी	571	10
32	शिकारा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	चरगांव	P-573	10
33	कहानी	2011	बांस वृक्षारोपण	उमरपानी	P-387	30
34	धूमा	2011	सागौन वृक्षारोपण	सुक्कम भूरकुन्डी	65	30
35	धूमा	2011	मिश्रित वृक्षारोपण	पुर्तरा	69	30
36	धूमा	2011	बांस वृक्षारोपण	पुर्तरा	69	30
37	धूमा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	रहलोन कला	P-68	10
38	धूमा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	सुक्कम भूरकुन्डी	65	10
39	धूमा	2011	उर्जा वन एवं चारागाह	खापा	97	10
40	छपारा	2012	सागौन वृक्षारोपण	सालीवाड़ा	RF 267	30
41	छपारा	2012	बांस वृक्षारोपण	गोरखपुर	RF 219	30
42	छपारा	2012	बांस वृक्षारोपण	सिरकापार	RF 264	30
43	घंसौर	2012	सागौन वृक्षारोपण	घनपुरा	PF 438	30

क्र०	परिक्षेत्र का नाम	रोपण वर्ष	योजना का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्र०	रकमा
1	2	3	4	5	6	7
44	घंसौर	2012	बांस वृक्षारोपण	समनापुर	PF 532	30
45	शिकारा	2012	सागौन वृक्षारोपण	पटरी	RF 569	20
46	कहानी	2012	सागौन वृक्षारोपण	पचपेढ़ी	RF 421	20
47	धूमा	2012	बांस वृक्षारोपण	कोहका	RF 55	30
48	धूमा	2012	बांस वृक्षारोपण	धपारा	RF 65	30
49	छपारा	2013	सागौन वृक्षारोपण	झिलमिलि	RF 311	25
50	छपारा	2013	बांस वृक्षारोपण	बरबसपुर	RF 336	20
51	छपारा	2013	सागौन वृक्षारोपण	दानीमेटा	RF 303	25
52	छपारा	2013	बांस वृक्षारोपण	दानीमेटा	RF 303	20
53	छपारा	2013	ऊर्जाविन एवं चारागाह	सालीवाडा भाग 1	RF 267	30
54	छपारा	2013	ऊर्जाविन एवं चारागाह	सालीवाडा भाग 2	RF 267	20
55	छपारा	2013	बांस वृक्षारोपण	अमानटोला	RF 235	20
56	घंसौर	2013	उर्जा वन एवं चारागाह	(बंदम) साल्हेपानी	RF 531	60
57	घंसौर	2013	सागौन वृक्षारोपण	पुत्रई	RF 449	30
58	घंसौर	2013	बांस वृक्षारोपण	बवशी	RF 466	30
59	लखनादौन	2013	ऊर्जाविन एवं चारागाह	बवशी	PF 171	30
60	लखनादौन	2013	सागौन वृक्षारोपण	करछुआई	RF 130	25
61	लखनादौन	2013	मिश्रित वृक्षारोपण	करछुआई	RF 130	25
62	लखनादौन	2013	बांस वृक्षारोपण	चूलगांव	PF 192	20
63	शिकारा	2013	सागौन वृक्षारोपण	पटरी	RF 571	25
64	शिकारा	2013	मिश्रित वृक्षारोपण	कटोरी	RF 597	22
65	कहानी	2013	ऊर्जाविन एवं चारागाह	घोघरी	RF 402	30
66	कहानी	2013	सागौन वृक्षारोपण	रामखैरी	PF 344	20
67	कहानी	2013	बांस वृक्षारोपण	झलवानी रैयत	RF 386	20
68	कहानी	2013	सागौन वृक्षारोपण	सुकम	RF 411	20
69	कहानी	2013	बांस वृक्षारोपण	गरघटिया	RF 412	20
70	धूमा	2013	सागौन वृक्षारोपण	मढदेवरी	PF 96	30
71	धूमा	2013	बांस वृक्षारोपण	सलैया	RF 50	50
72	धूमा	2013	मिश्रित वृक्षारोपण	रहलोन कला	RF 69	20
73	धूमा	2013	ऊर्जाविन एवं चारागाह	गुमनी	RF- 97	30
74	छपारा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	व.सु.स. सिमरिया	219	25.00
75	छपारा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. बीजादेवरी	282	25.00
76	शिकारा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. फूटाताल	569	25.00
77	शिकारा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	व.सु.स.राठी	575	25.00
78	कहानी	2014	आजीविका वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. सारंगपुर	393	25.00
79	कहानी	2014	आजीविका वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. गरघटिया	405	25.00
80	धूमा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	कुण्डा	RF- 40	25.00
81	धूमा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	झपनी	RF- 31	25.00
82	धूमा	2014	आजीविका वृक्षारोपण	बेलखेड़ी	RF- 17	25.00
83	छपारा	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. जूनापानी	314	20
84	छपारा	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. अकलमा	P-327	25
85	छपारा	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. चमारी	P-249	40
86	छपारा	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. बंजर	251	25
87	छपारा	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. बीजादेवरी	282	30
88	छपारा	2014	बांस वृक्षारोपण	व.सु.स. खैरीमाल	204	20

क्रं	परिषेत्र का नाम	रोपण वर्ष	योजना का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्रं	रकम
1	2	3	4	5	6	7
89	घंसौर	2014	बांस वृक्षारोपण	व.सु.स. बिनौरी	445	50
90	घंसौर	2014	बांस वृक्षारोपण	व.सु.स. कारीथून	522	40
91	घंसौर	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	टिकरा पाडीवाडा	531	25
92	लखनादौन	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. बंजर	102	93
93	लखनादौन	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. तेन्दनी	168	20
94	लखनादौन	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. सर्हा	163	20
95	लखनादौन	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. अटारी	134	30
96	लखनादौन	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. जोगीवाडा	179	25
97	लखनादौन	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. मडई	188	30
98	शिकारा	2014	बांस वृक्षारोपण	व.सु.स. खजरी	550	60
99	शिकारा	2014	बांस वृक्षारोपण	व.सु.स. बंडाटोला	581	50
100	शिकारा	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. गुन्हेरी	535	25
101	कहानी	2014	बांस वृक्षारोपण	ग्रा.व.स. भजिया	388	25
102	धूमा	2014	मिश्रित वृक्षारोपण	बंधा	RF- 11	20
103	धूमा	2014	बांस वृक्षारोपण	बंजारी	RF- 45	30
104	धूमा	2014	बांस वृक्षारोपण	देवरी	RF- 30	30
105	धूमा	2014	बांस वृक्षारोपण	पटी	RF- 53	40
106	छपारा	2015	बांस वृक्षारोपण	जूनापानी	PF 313	30
107	छपारा	2015	बांस वृक्षारोपण	नादिया खुर्द	RF 267	30
108	छपारा	2015	बांस वृक्षारोपण	अमानटोला	RF 235	25
109	छपारा	2015	बांस वृक्षारोपण	दानीमेटा	RF 303	25
110	छपारा	2015	बांस वृक्षारोपण	बरबसपुर	RF 216	10
111	कहानी	2015	बांस वृक्षारोपण	बांवली	RF 406	50
112	कहानी	2015	बांस वृक्षारोपण	ककरतला	RF 405	20
113	कहानी	2015	बांस वृक्षारोपण	बटवानी	PF 414	30
114	कहानी	2015	बांस वृक्षारोपण	झारिया	RF 402	40
115	लखनादौन	2015	बांस वृक्षारोपण	लिंगपानी	RF 99	150
116	लखनादौन	2015	बांस वृक्षारोपण	सनाईडोगरी	RF 101	160
117	लखनादौन	2015	बांस वृक्षारोपण	कसई	RF 124	50
118	धूमा	2015	बांस वृक्षारोपण	सनाईकछार	RF 58	40
119	धूमा	2015	बांस वृक्षारोपण	पटी	RF 52	30
120	धूमा	2015	बांस वृक्षारोपण	जमुनिया	RF 5	30
121	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	सालीवाडा	RF 459	25
122	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	दलकापांडीवाडा	RF 524	25
123	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	दमपुरी	RF 479	20
124	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	भुमका	PF 475	20
125	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	किन्दरई	RF 521	25
126	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	जाम	PF 441	25
127	घंसौर	2015	बांस वृक्षारोपण	जमुनिया	PF 434	30
128	छपारा	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	सालीवाडा	RF 267	25
129	धूमा	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	सुकक्म भुरकुन्डी	RF 65	25
130	लखनादौन	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	लालपुर	RF 180	80
131	घंसौर	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	बुधेरा	PF 484	20
132	घंसौर	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	बरेली	RF 443	30
133	शिकारा	2015	मिश्रित वृक्षारोपण	पटरी	RF 569	50

परिशिष्ठ - 05
चराई प्रतिबंधित क्षेत्र (बंद कूप)

परिक्षेत्र सिवनी (सा०)			परिक्षेत्र रुखड (सा०)			परिक्षेत्र कुरई (सा०)			परिक्षेत्र केवलारी (सा०)		
वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा
2005-06	R/04	101.450	2005-06	R/187	114.280	2008-09	R/281	52.600	2006-07	R/408	77.620
	P/44	99.600		R/195	120.250		P/304	53.100		R/508	112.770
2006-07	R/07	110.270		R/131	106.870		R/299	72.200	2008-09	P/540	49.700
	R/26	2.480	2007-08	R/195	106.930		P/306	40.500		R/519	95.250
	P/37	95.000		R/383	85.850		R/291	106.400		R/486	98.560
	R/17	30.000	2008-09	R/151	85.600		R/272	119.250		R/504	57.800
2008-09	R/08	127.300	2009-10	R/151	78.130		R/283	74.830	2009-10	R/509	93.600
	P/42	105.750		R/380	91.100		R/279	86.600		R/495	190.000
2009-10	P/42	102.200		R/423	88.300		P/304	71.400	2009-10	R/489	93.810
	R/12, P/50	131.350		R/194	100.000		P/306	79.250		R/522	49.720
2010-11	P/37	105.250		R/134	83.700		R/291	97.800	2010-11	R/504	74.000
	R/11, 28	99.050	2011-12	R/380	119.600		R/297	71.550		R/512	76.610
	P/93	75.600		R/423	66.750		R/221	76.050		R/519	102.820
2011-12	P/42	87.300		R/135	92.480		R/280	48.800	2010-11	R/504	71.000
	R/11, 28	90.400	2012-13	R/380	71.170		R/279	107.570		R/495	140.890
2012-13	P/47	142.330		R/423	95.400		R/285	59.600	2011-12	R/512	69.970
	R/05	128.600		R/194	123.300		P/322, 293	69.300		R/519	93.450
2013-14	P/48	110.860		R/135	102.150		R/289	130.900	2011-12	R/504	59.400
	P/41	223.600	2013-14	R/380	88.930		R/297	57.800		R/512	109.700
	R/19, 20, 24	78.830		R/201	69.450		R/282	62.300		R/523	87.800
2014-15	R/06	98.400		R/141	97.250		R/285	86.680	2012-13	R/502	56.250
	R/10	122.400	2014-15	R/201	77.500		P/306	56.400		R/494	121.500
2015-16	R/20	2.900	2015-16	R/134	133.200		R/289	102.150	2013-14	R/516 A	53.390
	R/04	114.700		परिक्षेत्र खवासा (सा०)			R/299	86.100		R/490	106.600
परिक्षेत्र बरधाट (सा०)	P/92	138.200	2008-09	P/303	87.000		R/214	104.470	2012-13	R/503	23.000
	R-11	85.630		R/336	108.450		R/219	70.850		R/560	114.500
2005-06	R-04	96.600	2009-10	P/310	89.100		R/220	97.040	2014-15	R/502	54.600
	P-92	144.700		P/264	112.050		R/297	79.200		R/494	184.430
2006-07	P/336	100.150		R/336	100.150		R/289	96.470		R/509	90.850
	R/333	108.800		P/310	88.650		R/285	87.300		R/490	88.060
2007-08	R/346	76.950		R/346	76.950		P/323, 307	73.400	2014-15	R/523	92.020
	P/264	96.750		P/264	96.750		R/281	64.500		R/486	87.430
2008-09	P/354	132.810	2013-14	P/354	132.810		R/279	117.000	2014-15	R/514	85.150
	R/102	115.000		P/255	111.800		P/324, 296	87.120		R/502	74.170
2009-10	R/110	67.500	2011-12	P/303	80.170		R/290	92.900	2015-16	R/500	131.550
	R/125	153.000		P/310	107.790		R/285	78.500		R/523	64.800
2010-11	R/136	67.800		P/354	124.070		R/293	77.800		R/514	80.550
	R/113	90.190	2012-13	R/214	104.470		R/280	63.600		R/507	81.100
2006-07	R/98	102.000		R/211	99.000		R/219	51.850	2014-15	R/501	73.120
	R/110	141.270		R/213	80.550		R/296	101.700		परिक्षेत्र बण्डोल (सा०)	
2007-08	R/125	65.250		P/315	77.820		R/290	86.600	2005-06	R/461	69.000
	R/138	112.500		P/354	116.130		R/284	89.550		R/461 P	45.617
2008-09	R/113	97.000	2013-14	P/211	118.570		P/323	85.900	2006-07	R/461 P	60.300
	R/100	139.230		P/365	114.300		R/280	60.380		R/459	62.820
2010-11	R/126	54.000		R/278	73.100		R/214	72.450	2009-10	R/459	60.750
	R/126	54.000		R/296	75.600		R/214	72.450		R/459	49.250

दक्षिण सिवनी (सा०) वनमण्डल

वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा	वर्ष	कक्ष क्र.	रकवा
	R/134	83.700		R/336	111.010		R/290	79.800	2011-12	R/459	60.520
	R/138	108.650		R/213	55.800		P/304	69.900	2012-13	R/459	56.000
2011-12	R/113	104.000		R/332	65.200		R/294	72.200	2013-14	R/459	79.650
	R/125	49.230	2014-15	P/255	90.900		P/316	62.000	2014-15	R/459	65.920
	परिक्षेत्र बरघाट (सा०)			R/278	88.000	परिक्षेत्र कान्हीयाडा (सा०)			2015-16	R/459	62.870
2011-12	R/108	140.350		R/332	54.520	2010-11	R/573	92.600		परिक्षेत्र कान्हीयाडा (सा०)	
	R/135	92.480		P/353	110.250		R/575	85.770	2014-15	R/68	71.100
	R/144	55.850		परिक्षेत्र खवासा (सा०)			R/579	74.840		R/77	74.000
2012-13	R/112	103.000	2014-15	P/265	88.650		R/481	57.150		R/481	71.800
	R/101	145.000	2015-16	R/334	18.000		R/579	74.800		R/569	122.700
	R/126	49.500		P/353	82.130	2011-12	R/68	84.820		R/574	118.800
	R/104	130.250		P/265	83.250		R/75	93.380	2015-16	R/70	124.000
	R/135	102.150		R/276	105.750		R/72	74.700		R/78	96.000
	R/139	57.300		R/275	85.500		R/568	89.680		R/481	79.420
2013-14	R/112	98.570		परिक्षेत्र कान्हीयाडा (सा०)			R/579	78.300		R/492	113.000
	R/98	117.350	2006-07	R/478	96.610		R/483	68.170		R/569	83.150
	R/125	40.500		R/477	95.620		R/579	78.300		R/577	60.400
	R/105	114.750	2008-09	R/66	47.250	2012-13	R/65	49.950			
	R/141	97.250		R/80	82.650		R/75	81.000			
	R/136	54.200		R/69	78.000		R/72	86.620			
2014-15	R/112	104.000		R/576	129.600		R/568	128.400			
	R/119	117.000		R/577	52.200		R/574	90.450			
	R/125	38.000		R/483	47.700		P/95	68.500			
	R/104	148.530	2009-10	R/69	90.800		P/580	43.980			
	R/154	90.230		R/63	155.920		R/574	90.450			
	R/138	72.250		R/66	60.550		R/483	53.520			
2015-16	R/114	113.000		R/573	73.650	2013-14	R/65	47.250			
	R/102	100.000		R/577	69.520		R/78	56.680			
	R/110	115.000		R/80	82.500		R/72	81.900			
	R/137	96.400		R/479	105.000		R/569	85.720			
			2010-11	R/69, P/96	63.720		R/483	46.200			
				R/64	161.100						
				R/68	110.900						

परिशिष्ट - 5

चराई प्रतिबंधित क्षेत्र (वृक्षारोपण)

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	शेत्रफल (हे.मे.)
2005-06		
केवलारी	R/505	10.000
केवलारी	P/552	5.000
केवलारी	P/543	10.000
केवलारी	P/543	10.000
केवलारी	P/555	10.000
केवलारी	P/554	20.000
केवलारी	R/521	25.000
केवलारी	P/531	25.000
केवलारी	R/491	40.000
केवलारी	P/532	10.000
केवलारी	R/523	20.000
केवलारी	P/552	20.000
केवलारी	P/552	10.000
केवलारी	P/543	11.000
केवलारी	P/552	11.000
केवलारी	R/526	11.000
केवलारी	R/524	22.000
रुखङ	R/401	5.000
रुखङ	R/436	15.000
रुखङ	R/437	10.000
बण्डोल	R/36	10.000
बण्डोल	R/464	10.000
बण्डोल	R/51	10.000
बण्डोल	R/55	10.000
बण्डोल	R/56	10.000
सिवनी	P/93	10.000
बरघाट	R/02	10.000
सिवनी	R/32	10.000
सिवनी	R/34	10.000
सिवनी	P/41	10.000
सिवनी	P/41	5.000
बरघाट	P/206	10.000
2006-07		
सिवनी	P/40	10.000
बरघाट	R/121	15.000
बरघाट	R/121	10.000
बण्डोल	R/463	10.000
केवलारी	P/536	10.000
सिवनी	P/93	10.000
कान्हीवाडा	P/95	10.000
2007-08		
सिवनी	R/8	50.000
बरघाट	R/17	10.000
सिवनी	R/6	20.000
सिवनी	R/34	20.000
सिवनी	P/39	20.000
रुखङ	P/43	20.000
रुखङ	P/43	20.000
सिवनी	R/33	20.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	शेत्रफल (हे.मे.)
2007-08		
सिवनी	P/48	20.000
रुखङ	P/44	20.000
सिवनी	R/12	20.000
बरघाट	R/1	5.000
सिवनी	R/19	10.000
खवासा	PF- 266	20.000
खवासा	RF- 212	10.000
कुरई	PF/270	50.000
बरघाट	R/120	20.000
बरघाट	R/126	50.000
बरघाट	R/121	5.000
बरघाट	R/120	20.000
बरघाट	उर्जा. टेटमा	10.000
बण्डोल	R/461	60.300
बण्डोल	R/14	10.000
बण्डोल	R/30,16	20.000
बण्डोल	R/85	10.000
बण्डोल	R/55	30.000
बण्डोल	R/52	30.000
बण्डोल	R/16	30.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	R/460	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
बण्डोल	P/474	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	P/465	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	R/460	30.000
केवलारी	RF/507	10.000
खवासा	PF/360	30.000
खवासा	PF/355	30.000
कुरई	R/298	25.000
खवासा	R/275	50.000
कुरई	P/301	10.000
2008-09		
सिवनी	R/6	10.000
बरघाट	R/2	15.000
खवासा	PF/266	10.000
रुखङ	R/186	10.000
रुखङ	R/186	15.000
कुरई	P/301	15.000
रुखङ	442	30.000
रुखङ	441	30.000
रुखङ	439	30.000
कान्हीवाडा	R/68	10.000
कान्हीवाडा	P/95	15.000
बरघाट	R/136	20.000
बरघाट	P/156	5.000
सिवनी	P/206	20.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	शेत्रफल (हे.मे.)
2008-2009		
बण्डोल	R/36	10.000
बण्डोल	R/14,15	30.000
2009-10		
बरघाट	R/2	30.000
बरघाट	R/17	30.000
कुरई	RF/214	35.000
खवासा	PF/262	5.000
खवासा	PF/254	20.000
खवासा	PF/265	15.000
कुरई	P/261	10.000
रुखङ	R/201	30.000
खवासा	PF/356	19.000
कुरई	RF/286	15.000
कुरई	P/301	15.000
कुरई	P/306	15.000
कुरई	R/286	15.000
कुरई	R/295	15.000
कुरई	R/294	15.000
कुरई	P/301	15.000
कुरई	P/305	15.000
कुरई	R/292	15.000
कुरई	P/317	10.000
कुरई	R/297	15.000
कुरई	PF/269	5.000
बरघाट	R/121	20.000
बरघाट	R/120	20.000
बण्डोल	R/15	10.000
बण्डोल	R/460	10.000
बण्डोल	P/470	30.000
बण्डोल	P/467	30.000
बण्डोल	R/16	30.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
बण्डोल	P/474	30.000
बण्डोल	P/465	30.000
सिवनी	R/88	10.000
कान्हीवाडा	P/96	10.000
कान्हीवाडा	P/95	15.000
कान्हीवाडा	R/77	20.000
कान्हीवाडा	R/572	18.000
कान्हीवाडा	R/73	12.000
सिवनी	R/02	30.000
सिवनी	R/17	30.000
2010-11		
बण्डोल	R/461	25.000
बण्डोल	R/56	10.000
बण्डोल	R/35	10.000
बण्डोल	R/15	10.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोन्रफल (हे.मे)
2010-11		
बण्डोल	R/36	10.000
बण्डोल	R/30	10.000
बण्डोल	R/460	50.000
बण्डोल	R/54	10.000
बण्डोल	R/460	10.000
बण्डोल	R/52	10.000
बण्डोल	P/89	10.000
बण्डोल	R/57	30.000
बण्डोल	R/54	30.000
बण्डोल	R/56	10.000
बण्डोल	R/55	50.000
बण्डोल	R/54	100.000
बण्डोल	R/464	60.000
कुरई	R/286	15.000
कुरई	P/301	15.000
कुरई	P/306	15.000
बरधाट	P/203 (1)	20.000
बरधाट	P/203 (2)	20.000
बरधाट	P/203	10.000
बरधाट	R/137	10.000
खवासा	R/275	10.000
केवलारी	P/543	10.000
केवलारी	P/555	10.000
केवलारी	P/554	20.000
केवलारी	R/521	25.000
केवलारी	P/531	25.000
केवलारी	P/532	10.000
केवलारी	R/523	20.000
केवलारी	R/552	10.000
केवलारी	R/552	20.000
केवलारी	P/543	11.000
केवलारी	R/552	11.000
केवलारी	R/526	11.000
केवलारी	P/524	22.000
केवलारी	R/498	20.000
केवलारी	P/530	10.000
केवलारी	P/533	10.000
केवलारी	R/524	20.000
रुखड़	RF/201	30.000
रुखड़	RF/142	20.000
रुखड़	RF/134	10.000
रुखड़	RF/151	10.000
बरधाट	P/154	10.000
कान्हीवाडा	R/492	6.000
खवासा	R/275	15.000
खवासा	R/333	10.000
खवासा	R/364	10.000
खवासा	R/211	15.000
रुखड़	R/142	20.000
रुखड़	R/134	10.000
रुखड़	R/151	10.000
बरधाट	P/154	10.000
खवासा	R/275	10.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोन्रफल (हे.मे)
2010-11		
खवासा	RF/339	15.000
खवासा	PF/342	10.000
खवासा	PF/355	10.000
रुखड़	P/450	10.000
बरधाट	R/121	20.000
बरधाट	R/121	10.000
रुखड़	P/43	10.000
सिवनी	R/25	10.000
रुखड़	P/43	10.000
सिवनी	R/19	5.000
सिवनी	R/9	50.000
केवलारी	R/505	10.000
केवलारी	R/505	15.000
केवलारी	P/556	10.000
केवलारी	R/526	10.000
केवलारी	R/505	50.000
केवलारी	R/491	50.000
सिवनी	R/81	10.000
कान्हीवाडा	R/571	10.000
सिवनी	P/93	30.000
कान्हीवाडा	R/69	20.000
कान्हीवाडा	R/77	14.000
कान्हीवाडा	R/68	25.000
कान्हीवाडा	RF/476	35.000
कान्हीवाडा	RF/477	40.000
कान्हीवाडा	RF/479	22.000
कान्हीवाडा	RF/478	10.000
कान्हीवाडा	RF/483	10.000
2010-11		
कान्हीवाडा	RF/481	22.000
खवासा	R/275	15.000
रुखड़	142	20.000
रुखड़	134	10.000
रुखड़	R/151	10.000
बरधाट	P/154	10.000
खवासा	RF/211	15.000
कुरई	PF/259	10.000
कुरई	PF/259	10.000
खवासा	RF/333	10.000
खवासा	P/356	19.000
खवासा	RF/364	10.000
2011-12		
केवलारी	R/526	10.000
केवलारी	R/505	10.000
केवलारी	P/556	10.000
केवलारी	R/505	15.000
केवलारी	R/491	50.000
केवलारी	R/505	50.000
रुखड़	R/134	10.000
रुखड़	R/146	25.000
रुखड़	P/155	15.000
रुखड़	R/200	20.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोन्रफल (हे.मे)
2011-12		
रुखड़	R/142	20.000
केवलारी	RF/511	45.430
केवलारी	RF/516	47.000
केवलारी	RF/500	10.000
केवलारी	RF/516	50.000
केवलारी	RF/516	50.000
कुरई	R/297	15.000
कुरई	R/300	15.000
खवासा	R/275	10.000
खवासा	P/364	10.000
खवासा	R/339	15.000
खवासा	R/342	10.000
खवासा	P/355	10.000
खवासा	R/333	10.000
कुरई	R/270	15.000
कुरई	P/259	10.000
कुरई	P/259	10.000
खवासा	R/211	15.000
रुखड़	P/450	10.000
सिवनी	R/09	50.000
रुखड़	P/43	10.000
रुखड़	P/43	10.000
सिवनी	R/25	10.000
सिवनी	R/19	5.000
बरधाट	R/121	10.000
बरधाट	R/121	10.000
बरधाट	R/121	20.000
बरधाट	R/121	10.000
बण्डोल	R/57	50.000
सिवनी	P/93	10.000
सिवनी	R/81	10.000
बण्डोल	R/460	50.000
बण्डोल	R/54	10.000
बण्डोल	R/52	10.000
बण्डोल	P/89	10.000
बण्डोल	R/57	30.000
बण्डोल	R/54	30.000
बण्डोल	R/56	10.000
बण्डोल	R/36	10.000
बण्डोल	R/460	10.000
बण्डोल	R/461	25.000
बण्डोल	R/56	10.000
बण्डोल	R/35	10.000
बण्डोल	R/15	10.000
बण्डोल	R/30	10.000
2012-13		
खवासा	R/333	5.000
खवासा	R/333	5.000
खवासा	P/356	15.000
खवासा	R/332	10.000
खवासा	P/355	20.000
कुरई	R/297	15.000
खवासा	P/311	20.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोत्रफल (हे.मे)
2012-13		
खवासा	R/276	15.000
कुरई	R/298	15.000
कुरई	R/281	15.000
कुरई	R/291	15.000
कुरई	P/323	10.000
कुरई	P/308	25.000
खवासा	R/211	5.000
खवासा	R/211	5.000
खवासा	R/211	5.000
कुरई	P/270	15.000
खवासा	P/257	10.000
खवासा	R/211	20.000
कुरई	R/289	25.000
रुखड़	R/200	20.000
रुखड़	R/142	20.000
रुखड़	P/155	15.000
रुखड़	R/146	25.000
रुखड़	R/147	15.000
बरधाट	R/121	6.000
बरधाट	R/121	5.000
कान्हीवाड़ा	P/95	20.000
केवलारी	P/530	5.000
केवलारी	P/530	5.000
केवलारी	P/533	5.000
केवलारी	P/533	5.000
केवलारी	R/524	5.000
केवलारी	R/524	5.000
केवलारी	R/524	10.000
बण्डोल	R/460	25.000
बण्डोल	R/460	20.000
बण्डोल	R/30	5.000
बण्डोल	P/472	5.000
बण्डोल	P/472	5.000
बण्डोल	R/35	5.000
बण्डोल	R/35	5.000
बण्डोल	R/14	5.000
बण्डोल	R/464	25.000
बण्डोल	R/55	10.000
बण्डोल	R/15	25.000
बण्डोल	R/52, 50	5.000
बण्डोल	R/459	20.000
बण्डोल	R/51	20.000
बण्डोल	R/462	20.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोत्रफल (हे.मे)
2013-14		
बण्डोल	RF/462	30.000
बण्डोल	RF/463	30.000
बण्डोल	RF/57	50.000
बण्डोल	RF/460	50.000
बण्डोल	RF/31	20.000
रुखड़	RF/186	25.000
बरधाट	PF/206A	20.000
बरधाट	PF/206B	20.000
रुखड़	RF/147	15.000
कुरई	RF/298	15.000
कुरई	RF/281	15.000
कुरई	RF/291	15.000
कुरई	P/323	10.000
कुरई	P/308	20.000
कुरई	RF/297	15.000
खवासा	P/311	20.000
खवासा	RF/276	20.000
बरधाट	RF/127	25.000
बरधाट	RF/111	25.000
केवलारी	R/593	23.000
सिवनी	R/03	25.000
सिवनी	R/81	25.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोत्रफल (हे.मे)
2014-15		
खवासा	R/309	20.000
खवासा	R/311	15.000
रुखड़	R/450	15.000
रुखड़	R/435	20.000
रुखड़	R/437	10.000
रुखड़	R/133	20.000
रुखड़	R/134	20.000
रुखड़	R/135	10.000
रुखड़	R/141	10.000
रुखड़	R/142	20.000
रुखड़	R/186	20.000
रुखड़	R/195	20.000
रुखड़	R/393	10.000
रुखड़	R/393	10.000
रुखड़	R/394	30.000
रुखड़	R/423	30.000
रुखड़	R/436	20.000
रुखड़	R/437	30.000
रुखड़	R/438	25.000
रुखड़	R/450	20.000
रुखड़	R/450	40.000
रुखड़	R/458	30.000
सिवनी	R/25	20.000
सिवनी	R/04	20.000
बरधाट	R/01	50.000
बरधाट	R/206	25.000
बण्डोल	R/52	30.000
बरधाट	R/121	30.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोत्रफल (हे.मे)
2014-16		
केवलारी	R/543	25.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	R/36	30.000
बण्डोल	R/53	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
कान्हीवाड़ा	R/572	20.000
कान्हीवाड़ा	R/580	25.000
कान्हीवाड़ा	R/67	30.000
सिवनी	P/49	40.000
सिवनी	P/42	15.000
सिवनी	P/04	30.000
सिवनी	P/40	10.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	दोत्रफल (हे.मे)
2015-16		
बरधाट	R/121	1.000
बरधाट	R/125	30.000
बरधाट	P/206	30.000
कुरई	P/270	5.000
कुरई	P/305	5.000
कुरई	P/308	5.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	R/36	30.000
बण्डोल	R/53	60.000
बण्डोल	R/464	30.000
रुखड़	R/133	20.000
रुखड़	R/134	20.000
रुखड़	R/135	10.000
रुखड़	R/141	10.000
रुखड़	R/142	20.000
रुखड़	R/186	20.000

परिशिष्ट - 5

चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र आरोडी०एफ० क्षेत्रों की सूची, दक्षिण सिवनी (सा०) वनमण्डल

परिक्षेत्र	कक्ष क्र	क्षेत्रफल (हे.)
2005-06		
खवासा	P/254	30.000
खवासा	R/212	30.000
कुरई	P/259	30.000
कुरई	P/261	30.000
कुरई	P/269	30.000
बरघाट	P/130	30.000
बरघाट	R/121	30.000
कुरई	P/308	30.000
कुरई	R/272	30.000
कुरई	P/301	30.000
केवलारी	P/559	30.000
केवलारी	P/543	30.000
केवलारी	P/556	30.000
केवलारी	P/543	30.000
केवलारी	R/524	30.000
केवलारी	R/524	33.750
केवलारी	R/524	36.000
केवलारी	R/524	30.000
बण्डोल	R/53	60.000
बण्डोल	R/14	30.000
बण्डोल	P/467	60.000
बण्डोल	P/471	30.000
बण्डोल	R/461	30.000
2006-07		
खवासा	R/212	30.000
कुरई	P/259	30.000
कुरई	P/261	30.000
कुरई	P/270	30.000
सिवनी	P/130	30.000
बरघाट	R/121	30.000
बरघाट	R/128	30.000
बण्डोल	R/16	30.000
बण्डोल	R/52	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
बण्डोल	P/467	30.000
बण्डोल	R/463	30.000
बण्डोल	R/56	30.000
बण्डोल	P/467	30.000
बण्डोल	P/472	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
कुरई	P/308	30.000
खवासा	P/302	30.000
कुरई	P/301	30.000
कान्हीवाडा	P/580	50.000
सिवनी	P/91	30.000
सिवनी	R/88	40.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र	क्षेत्रफल (हे.)
2006-07		
बण्डोल	P/467	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	P/469	30.000
कुरई	P/308	30.000
कुरई	R/272	30.000
कुरई	P/301	30.000
कान्हीवाडा	P/95	30.000
कान्हीवाडा	P/580	30.000
2007-08		
खवासा	P/262	30.000
खवासा	R/212	30.000
कुरई	P/259	30.000
कुरई	P/270	30.000
सिवनी	P/130	30.000
सिवनी	R/117	30.000
बरघाट	R/127	30.000
बरघाट	R/128	30.000
बण्डोल	R/17	77.850
बण्डोल	R/52	30.000
बण्डोल	R/16	30.000
बण्डोल	R/460	30.000
2008-09		
बण्डोल	P/474	30.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	P/465	30.000
बण्डोल	R/55	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	R/460	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
2009-10		
बण्डोल	R/465	30.000
बण्डोल	R/474	30.000
बण्डोल	P/470	30.000
बण्डोल	R/16	30.000
बण्डोल	R/35	30.000
बण्डोल	P/467	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
बण्डोल	R/462	30.000
बण्डोल	R/464	30.000
कान्हीवाडा	R/68	25.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र	क्षेत्रफल (हे.)
2009-10		
बरधाट	R/121	85.000
बरधाट	R/17	58.050
2010-11		
खवासा	RF/212	30.000
खवासा	P/254	60.000
कुरई	PF/269	30.000
कुरई	PF/270	60.000
खवासा	PF/262	60.000
कुरई	PF/259	60.000
खवासा	PF/257	90.000
कुरई	PF/258	30.000
कुरई	PF/261	60.000
केवलारी	P/559	30.000
केवलारी	P/543	30.000
केवलारी	P/556	30.000
केवलारी	R/543	30.000
केवलारी	R/524	30.000
केवलारी	R/524	33.750
केवलारी	R/524	36.000
केवलारी	P/524	30.000
कुरई	P/308	30.000
कुरई	R/272	30.000
कुरई	P/301	30.000
2011-12		
बरधाट	R/127	50.000
कुरई	P/308	30.000
खवासा	R/302	30.000
कुरई	P/301	30.000

परिक्षेत्र	कक्ष क्र	क्षेत्रफल (हे.)
2012-13		
खवासा	P/355	59.400
खवासा	P/364	21.000
खवासा	P/363	39.820
खवासा	P/254	81.670
रुखङ	P/450	72.780
रुखङ	R/200	75.000
रुखङ	P/448	61.880
सिवनी	R/34	76.600
बरधाट	R/127	51.000
कान्हीवाडा	P/95	68.500
कान्हीवाडा	P/580	43.980
केवलारी	P/546	29.740
केवलारी	P/556	11.220
केवलारी	R/525	15.370
केवलारी	P/530	26.620
बण्डोल	R/55	73.350
बण्डोल	R/14	110.000
बण्डोल	R/463	71.600
बण्डोल	R/460	65.000
कुरई	P/308	30.000
कुरई	P/301	30.000
बण्डोल	RF/55	73.350
बण्डोल	RF/14	110.000
बण्डोल	RF/463	71.600
बण्डोल	RF/460	65.000
2013-14		

परिक्षेत्र	कक्ष क्र	क्षेत्रफल (हे.)
2013-14		
खवासा	P/254	78.750
खवासा	P/254	50.000
कान्हीवाडा	R/65	47.250
कान्हीवाडा	R/78	56.680
कान्हीवाडा	R/72	81.900
कान्हीवाडा	R/569	85.720
कान्हीवाडा	P/580	55.120
सिवनी	R/88	57.000
खवासा	P/355	68.400
सिवनी	R/34	76.600
कुरई	P/308	30.000
कुरई	P/301	30.000
बरधाट	R/202	35.280
बरधाट	R/128	55.500

2014-15		
बण्डोल	R/57	45.200
बण्डोल	R/36	136.580
बण्डोल	R/462 B	49.270
बण्डोल	P/471	71.550
बरधाट	P/206	42.280
बरधाट	R/128	53.480
कुरई	P/308	30.000
कुरई	P/269	30.000

2015-16		
रुखङ	R/194	100.000
बण्डोल	R/56	111.820
बण्डोल	R/15	87.180
बण्डोल	P/465	55.900
बण्डोल	P/467	44.490
केवलारी	P/557	11.920
केवलारी	P/558	17.720
केवलारी	P/559	42.720
केवलारी	R/524	58.500

चराई प्रतिबंधित क्षेत्र आर०डी०एफ० क्षेत्रों की सूची

क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.	क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
वर्ष - 2006-07				वर्ष - 2012-13			
1	खवासा	Nil	Nil	1	खवासा	Nil	Nil
2	अरी(बफर)	Nil	Nil	2	अरी(बफर)	Nil	Nil
3	घाटकोहका	Nil	Nil	3	घाटकोहका	Nil	Nil
4	रुखड़	Nil	Nil	4	रुखड़	P-448	61.880
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.		परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
वर्ष - 2007-08				वर्ष - 2013-14			
1	खवासा	Nil	Nil	1	खवासा	Nil	Nil
2	अरी(बफर)	Nil	Nil	2	अरी(बफर)	Nil	Nil
3	घाटकोहका	Nil	Nil	3	घाटकोहका	Nil	Nil
4	रुखड़	Nil	Nil	4	रुखड़	Nil	Nil
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.				
वर्ष - 2008-09				1	खवासा	Nil	Nil
1	खवासा	Nil	Nil	2	अरी(बफर)	Nil	Nil
2	अरी(बफर)	Nil	Nil	3	घाटकोहका	P/451	53.920
3	घाटकोहका	Nil	Nil	4	रुखड़	Nil	Nil
4	रुखड़	Nil	Nil				
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.	1	खवासा	PF 367	61.07
वर्ष - 2009-10				2	अरी(बफर)	Nil	Nil
1	खवासा	Nil	Nil	3	घाटकोहका	Nil	Nil
2	अरी(बफर)	Nil	Nil	4	रुखड़	Nil	Nil
3	घाटकोहका	Nil	Nil				
4	रुखड़	Nil	Nil				
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.				
वर्ष - 2010-11							
1	खवासा	Nil	Nil				
2	अरी(बफर)	Nil	Nil				
3	घाटकोहका	Nil	Nil				
4	रुखड़	Nil	Nil				
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.				
	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.				
वर्ष - 2011-12							
1	खवासा	Nil	Nil				
2	अरी(बफर)	Nil	Nil				
3	घाटकोहका	Nil	Nil				
4	रुखड़	Nil	Nil				

परिशिष्ट - 05
चराई प्रतिबंधित क्षेत्र (यूक्सारोपण कूप)

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
वर्ष - 2006-07			वर्ष - 2010-11		
खवासा	Nil	Nil	खवासा	Nil	Nil
अरी(बफर)	P/203	60.670	अरी(बफर)	P/204	10.000
	R/183	76.650		P/203	150.000
	R/161	112.400		P/204	200.000
	R/163	110.370		R/188	45.000
घाटकोहका	Nil	Nil		R/193	20.000
रुखड़				P/204	98.320
परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.		R/188	71.500
वर्ष - 2007-08				R/193	107.100
खवासा	Nil	Nil		R/170	128.250
अरी(बफर)	P/203	106.670		R/168	117.650
	R/189	123.680	घाटकोहका	R/389	20.000
	R/158	96.200		R/399	20.000
	R/165	81.00	रुखड़	Nil	Nil
घाटकोहका	Nil	Nil	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
रुखड़	R-240	25.000		वर्ष - 2011-12	
	R-247	20.000	खवासा	Nil	Nil
	R-239	15.000	अरी(बफर)	R/162	94.500
	R-238	15.000		R/158	102.000
	R-244	5.000		P/204	106.650
	R-416	25.000	घाटकोहका	R/389	20.000
परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.		R/399	20.000
वर्ष - 2008-09			रुखड़	Nil	Nil
खवासा	Nil	Nil	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
अरी(बफर)	R/186	10.000		वर्ष - 2012-13	
	R/186	15.000	खवासा	Nil	Nil
घाटकोहका	R/399	30.000	अरी	0	0
रुखड़	Nil	Nil	घाटकोहका	R/398	15.000
परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.		R/404	15.000
वर्ष - 2009-10			रुखड़	R-243	10.00
खवासा	Nil	Nil		R-413	15.00
अरी(बफर)	R/216	15.000	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.में.
	R/216	15.000		वर्ष - 2013-14	
	P/203	150.000	खवासा	Nil	Nil
	P/204	200.000	अरी(बफर)	R/186	25.000
	R/188	30.000	घाटकोहका	R/398	15.000
	R/182	68.500		R/404	15.000

पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी (बफरजोन)

परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.मै.	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे.मै.
	P/205	59.700	रुखड़	Nil	Nil
	R/192	144.270		वर्ष - 2014-15	
	R/170	107.100	रुखड़	Nil	Nil
	R/164	87.070	अरी(बफर)	0	0
घाटकोहका	R/384	87.750	घाटकोहका	P/454	30.000
	R/388	86.170		वर्ष - 2015-16	
रुखड़	R-246	15.000	रुखड़	Nil	Nil
	R-246	15.000	अरी(बफर)	Nil	Nil
	R-244	6.000	घाटकोहका	Nil	Nil
	R-238	20.000	खवासा	Nil	Nil
	R-410	63.470			
	R-416	67.750			
	R-405	89.650			
	R-416	25.000			

परिशिष्ट - 06

वनमण्डल में गठित समितियाँ

पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी (बफरजोन)

परिक्षेत्र	समिति का प्रकार	समिति का नाम
अरी (बफर)	व.सु.स.	1. कामठी, 2. बीसापुर, 3. नहलेसरा, 4. लोहमारा, 5. टेकाडी, 6. दुल्हापुर, 7. खापा, 8. आतरवानी, 9. पांडायेर, 10. मंगरकठा, 11. मिर्धावाडी, 12. बापूटोला, 13. सरेखा, 14. सकाटा, 15. बीसापुर (माल) 16. मोहगांव, 17. नयेगांव
घाटकोहका (बफर)	ई.वि.स.	सालहें, सराहिरी, घाटकोहका, भौंडकी, कटंगी रीढ, मुरैर, पांजरा, टेवनी, दरगड़ा, आलेसुर, पतरई, सिदरिया, बुटेरा, आगरी, मोहगांव, पशासपानी, विजयपानी, कर्माझिरी, बरेलीपार, टिकाडी माल, टिकाडी रैयत, निवारी
—“—	व.सु.स.	सिमरिया, घोघरी
रुखड़ (बफर)	व.सु.स.	दरासीकलौ, सूखाडोगरी, छीतापार, गोडेगांव, बरझिर, खापा—बरझिर, बेलगांव, दरासीखुर्द, गण्डाटोला, नयेगांव, जुगराटोला, गौलीटोला, सावंगी, कुरई, बावनथडी, चंद्रपुर, शाखदेही
—“—	ग्रा.व.स.	—
—“—	ई.वि.स.	रुखड़
खवासा (बफर)	ई.वि.स.	तेलिया, कोहका, आवरधानी, दुरिया, सतोषा, खंबा, खामरीढ, अम्बाडी, कोदाझिरी, दिन्दकानार, रैयाराव, सेटेवानी, नयेगांव, मोहगांव, विजयपानी, दुर्गापुर, पोटिया, जीरेवाडा, कोठार, झर्नुनी, आमाझिरी, कुप्पीटोला, पिपरिया, (हरदुली हस्तांतरित नहीं हैं।)
	व.सु.स.	जामुनटोला
	ग्रा.व.स.	—

परिशिष्ट 6

उत्तर सिवनी (सा०) वनमण्डल

वनमण्डल में गठित वन समितियाँ

परिक्षेत्र	समिति का प्रकार	समिति का नाम
धूमा	व.सु.स.	दोडा, समथाल, बंजारी, गाडरवाडा, जमखार, देवरी, किशनपुर, थांवरबडा, थांवरी नागन, बरबटी, जमुनिया, उंहका, विछुआ, गोविंदगढ़, गुरार, नागटोरिया, झामर, गोकलपुर, रायचोर माल, रायचोर रैयत, वेरखेडी, छिरास, किलेटोला, विजयपानी, हटुआ, घारभाठा, तुमडीपार, घुविया, कोहका, कुडा, मानकपुर, बखारी, जुगरई, बुढवानी, खम्हरा, मोहगांव, नागन, सुकम भुरकुडी, धूमा, झापनी, पटी, खूबी टोला, खापा, खूंटखमरिया, बंधा, पौण्डी, खम्हा, सनाईकछार, समनापुर, नागनदेवरी, ओकारपार, खापा रैयत, महुआटोला, डांगरगाव, घोघरी नागन, खेरटोला, सलैया, सिल्पनी, परतापुर, खामी, बंजरटोला, सिलहेरा बंजर, मोहगांव खुर्द, लौदा, मठदेवरी, रहलोन, गढजमुनिया, दरगडा, छपरा, गुमनी, झालोन, छपारा, करनपुर, बधोडी, पुतरा।
	ग्रा.व.स.	दरगडा, छपारा, गुमनी, छपारा, करनपुर, बधोडी, पुतरा, मठदेवरी, रहलोन, गढजमुनिया।
धंसोर	व.सु.स.	घुटना, धूमामाल, खुर्सीपार, खेरीखुर्द, जिझरई ऊमरडीह, बखारीमाल, बदम, बखशी, बरेली, बुधेरा, बूझी, कटिया, कारीधून, कुकरा, कुसमी, कुडाठार, कुडोपार, केवलारी, मानकसरी, मंसूरभावरी, मछरिया, मगरवा, बिनीरी, किंदरई, हिननभटा, सिंधनपुरी, विनगा, निचली, टिकरा पांडीवाडा, हर्सिटिकुर, भुमका, भुरकल खापा, पौडी, पाटन, पडलतलई, पटीकोना, पुटरई, रोटा, राजगढ़, रजरवाडा, सालीवाडा, सेलवाडा, दमपुरी, दलका पांडीवाडा, चरगांव, चौरई, जामुनपानी, अंडिया, आमाखोह रैयत, गडी, गंगपुर, गाढाघूर, गोकलथाना, खारी सालीवाडा, दावझीर, बम्हनी, डोकरकुडी, बाजगोदी, सालहेपानी
	ग्रा.व.स.	घनपुरा, खमदेही, खुदरी, बांदरा, मोहगांव, पिपरिया, सिंधनपुरी, निघानी, टिकरिया, टिकरा खापा, भालीवाडा, समनापुर, सहजपुरी, सीखखापा, सेलुआ, दुंगरिया, बूढा, छीतापार, देवरी झुरकी, जाम, अमोदा
कहानी	व.सु.स.	घोघरीखुर्द, बरेला, बालबद, बांदरा, बडपानी, बलपारा, कम्फेयोवरी, पाटनमाल, रानटोला, सुकरी, तैदालपार, जामुनपानी, अमोली, गाडरवाडा, गोरखपुर
	ग्रा.व.स.	धाघरालौरी, धनोराखुर्द, घोघरी रैयत, घोघरीमाल, धाटबरेला, घटटी, खापा, खूरी, खैरीमाल, झारिया, झालोन, झलवानी रैयत, ईश्वरपुर, बम्होडी, बरेली, बारागौर, बावली, बोरिया खुर्द, बालपुर रैयत, बैगापियरिया, टिका, ककरताला, कटिया, कर्णीदी, काढीबुधवारा, कोडरा, कुडो बुधवारा, मठदेवरी, भाकोपानी, भासूल, मोहगांव, भाल्हनवाडा, मुण्डा, मुर्हाई, भुडापार, मलखेडा, खिरखिरी, हिंगवानी, पिङ्गोडी, धांवरी, दिवारा, भजिया, भीमकुण्ड, भालीवाडा, भालीवाडा, भालपानी, भैसनवाही, भहरगढ़, पायली, पाण्डीवाडा, पचपेडी, पलटवाडा, रमपुरी, रामखैरी, राना, समनापुर, सहसना, सर्ग, सारंगपुर-१, साजपानी, सालीवाडा-१, सालीवाडा-२, सुकम, सुकवाह, सुकतश, सुजालपार, सुनवारा खेडा, सुनवारा टोला, सेजवाडा, सेलुआ, सलैया, ऊमरपानी, दुंगरिया, दारेट खुर्द, दारेट कला, चौकी, तीतरी, तुआधोधरा, तेन्दपानी, जामुनपानी, अहरगोदी, आमई, आमानाला, अगरिया खुर्द, अगरिया कला, गंधीला, गरघटिया, गाडरवाडा, गोल्हिरया, गोरखपुर, गोसाई खमरिया, खारी, गुधना, गुर्दा, गुगलई, लामटा, लावेसर्स, पाटन
शिकारा	व.सु.स.	लूपदीन, घुटिया, खुदरगाव, खजरी, हमलीटोला, ईश्वरपुर, बरवरिया, बरटीला, बाजगोदी, बन्डाटोला, बगदरी, करहेया, कुदवारी, कत्ती, कटोरी, कलकुडी, मदराटोला, मुण्डा, विछुआ, बिनेकीकला, भिर, भिलमाटोला, सिमरियामाल, दिवारा, तिन्सी, भौरगडी, बीपरटोला, परासपानी, पायली, पारा, पड़रिया, पुराना शिकारा, पनारझिर, प्रतापगढ़, राठी, रोटा, रजोला, रजोलाटोला, रजगडी, सालहेपानी, सूरजपुरा, ऊमरपानी, दौरी, ददरी, चमरवाह, चरी, चरगांव, तुनिया माल बेस्ट, जम्होडीखुर्द, जम्होडी कला, जोबा, नयेगांव, नयेगांवटोला, अनकवाडा, गंगई, गोरखपुर, गुनहेही, लेण्डीकोल, सालीवाडा, बरोदामाल, कुर्मीठेल, हुडमाल, भदुआटोला, भटटेखारी, पटरी, डोला, फूटाताल, गाडाघाट, पड़रिया, दौरी, भिर, बंडाटोला, चरगांव, राठी, भोरगडी, तिन्सी, कत्ती, कटोरी, रजोला, रजोलाटोला, पुराना शिकारा, बरवरिया, सिमरियामाल, तुनिया, दिवारी, जम्होडीखुर्द, उमरपानी, मुण्डा, रजगडी, चरी, मदराटोल, खुदरगांव, रजोला, पनारझिर, जम्होडीकला, पायली, कलकुडी, ईश्वरपुर, गोरखपुर, भिलमाटोला, बगदरी, बरवरिया, चमरवाह, लेण्डीकोल, सूरजपुरा, सालीवाडा, गंगई, खजरी, नयेगांव, नयेगांवटोला, बिनेकीकला, इमलीटोला, बीपरटोला, लूपदीन, पारा, रोटा, प्रतापगढ़, घुटिया, अनकवाडा, करहेया, कुदारी, सालहेपानी, जोबा, ददरी, विछुआ,
	ग्रा.व.स.	बरोदामाल, कुर्मीठेल, हुडमाल, भटटेखारी, पटरी, डोला, फूटाताल, गाडाघाट।
छपारा	व.सु.स.	ललमटिया, पिण्डरई, जोगीवाडा १ एवं २, मुरझोर, नयेगांव, जामुनपानी बंजर, जूनापानी, गुधना, सिनारिया, घोघरी, गोरखपुर, बरबसपुर, प्रतापटोला, सरंडिया, भीमगढ़ हरदुली, गनेशगंज, रायचोर, खेरीमाल बंजर, गणेशगंज, मुतिया, विजना, मटाना, ऊटेकटा, सिरकापार, सागर, दुलबजा, भोराठ, खटकर, भारतेन्दनी, खमरिया, जुबान, जामुनपानी, बकोडा, बकोडा सिवनी, मङडा, खेरमटाटोल, भीपरदाना, भट्टमतरा, दल्लेटोला, देवतामउ, दानीमेटा
	ग्रा.व.स.	तिन्सा, चन्दनी, संजय कॉलोनी, कडवी, चंडी, खापा, खुर्सीपार, माल्हनवाडा, थावरी, गंगई, अकलमा, पायली सालीवाडा, मोहली, ताखला, बोरिया सागर, महुआटोला, बरबसपुर, बरसला, चन्दनी, मसूर भावरी, झिलमिली, बरा, रणधीर नार, पायली खुर्द, पायली कलो, बाम्हनवाडा, जूनापानी गोहना, पिण्डरई, पांडीवाडा, खेरी, मुतिया, घुनई, देवगांव, मुण्डाटोला, सूखमाइ, सुकराटोला, सालेहगढ़, सेमरताल, हरई, देवरीमाल, नोनिया, मांडी (मानीरी), मुर्जुरई, अमानटोला, देवरीकला, छिन्दवाह, गुंगवारा टोला, पौण्डी, इमालिया, चमारी खुर्द, चमारी कलो, बंजर (इमालिया), नांदियाकलो, तिलबोडी, पिपरिया, इमलीपटार, सौठावारी, सालीवाडा, वर्षटोला, सागर, लुडी, सुकरी, तिंदरई, घुंधसा, रायगढ़, मुरारी, हरई, गोरखपुर, भेड़की, माहुलपानी, कोडरा, जमुनिया, केवलारी, तुलक, बीजादेवरी, बारी मानोगढ़, दानीमेटा, नन्दीरा, बरसला, खेरनरा, दिवीरी, सालीवाडा, लकवाह, निवारी, ऊटेकटा, घोघरी, बेरीदाना, बन्दरिया, पीपरदाना, खेरीजीवन, गंठाटाना, कोडियामाल, अटामा पायली, दल्लेटोला, देवतामउ, दानीमेटा
लखनादीन	व.सु.स.	कमली, मरेटी, मेखदीन, विछुआ (बडा), दपकिया, जोबा, औडोरा
	ग्रा.व.स.	घाघरा, घोघरी माल, घुच्छीटोला, घूरवाडा, खरखिया, खरखिया, खापा, खडसी, खुर्सीपार, खेराजी, खेरनरा, खूबी, खूंट खमरिया, डाना, डोडा, बंजर, बखशी, बम्होडी, बीबी, बोरिया, बुढवानी, कपारगढ़, करपटोल, करचुआई, करनकोल, कोहका, कोडरा, कसई, कुडारी, केरपानी, मठदेवरी, मकरझिर, मोहगांव गूजर, मोचीपठार, मडवा, मडई, मडपुरा, मेखदीन, विछुआ छोटा, पिण्डरई, पिटोरा, पिपरिया, पिपरिया, पिपरिया राम, सिंधोडी, सिहोरा, टिण्डीटोला, लिंगपानी, हमीरगढ़, भरदा, भरगा, भरगा, भानेरी, भण्डारटेव, पहाड़िया टोला, पहाड़ी, पहाड़ी, परसिया, पाण्डुपुरा, पाठादेवरी, पाथरकाठी, पाटन, पालका, पुरवा, पतरई, राशी, सत्ती कछार, सर्ग, सांगई, सामवारी टोला अटारी, सोनिया टोला, साजपानी, सागर, सालीवाडा, सुरई, सतवरी, सनाईडीगरी, डांगनगोदी, डाला, तुगरिया, तुगरिया रैयत, तुगरिया टोला, छाता, देवरी, चूलगांव, तैदीरी, जमकोना, जामुनपानी, जोबा, जोगीवाडा, जोगीयुका, ज्यारा, नवलगांव, नवलगांव, अंडिया, आमई, औरापानी, गंगई, गढ़ी टोला, गौराबीबी, गौटीटोला, गूजर खमरिया, लाटगांव, लालपुर।

परिशिष्ट-6

दक्षिण सिवनी (सा.) वनमण्डल

वनमण्डल में गठित समितियां

परिक्षेत्र	समिति का प्रकार	समिति का नाम
सिवनी	व.सु.स.	ऐरपाटोला, खमरिया, बाम्हनदेही, बेलगांव, कमकासुर, कातलबोडी, केकड़वानी, मरझोर, मोहगांव, मेहराबोडी, मैली, थरेली, सिल्लौर, छिड़िया, चिखली, पांढरवानी, पलारी (छूनाभट्टी) सकरदा, सेलुआ, चावंडी, आमाकोला, गोबरबेली, गोपालगंज, गौलीटोला, लामाजोती, मोआर, विजयपानी कलॉ, गुरजई, टिकारी, उमरिया, सेमरटोला
	ग्रा.व.स.	खापा, खैरटोला, बघराज, बरवाह, बाड़ीवाड़ा, बोरदेही, बड़कुमारी, बटवानी, कोकीवाड़ा, मुडियाखेड़ा, चिंगरीपार, पिपरिया, सिंधोडी, भण्डारपुर, भालीवाड़ा, परासिया, पलारी (चावडी), सारसडोल, सुकवाह, दतनी, आमगांव (बाम्हनदेही), गुंदरई, लंहगी, सेलुआ, जावना
बरघाट	व.सु.स.	धोबीसरा, बम्हनी, बेरबनटोला, कांधना, कोपीझोला, मोहगांव, मानेगांव, सिलघाट, पांढरवानी, पौनारकलॉ, साल्हेकलॉ, दुंगरिया, ताखलाखुर्द, नांदी, नंदौरा, टकटुआ, टेटमा, बावली, कूडोपार, टिकारी, पखारा, सांडदेव- रैयतवाडी, ताखलाखुर्द, तुमझीटोला, नयेगांव, अम्मामाई, आमगढ़, आगरी, गोकलपुर, खुरसीपारखुर्द, नान्हीकन्हार
	ग्रा.व.स.	बुढेनाखुर्द,
रुखड	ई.वि.स.	ऐरमा, करहैया
	व.सु.स.	धोधरी, परतापुर, झैलागोडी, बकरमपाठ, करकोटी, सुकला, खमरिया, बकोडीटोला, बकोडी, बनगांव, बटामा, केसरादिया, मुण्डापार, उसरीटोला, दुंगरिया, दलाल, ओझाटोला, दुइयापार, घेलपेठ, रीछी, सापापार, सागर, ग्वारी, लौदाङ्गिर,
	ग्रा.व.स.	धौलपुर, बादलपार, बादलपारखुर्द, बेलटोला, कटंगीबंजर, कोटकसा, चक्कीखमरिया, जोगीवाड़ा, जनावरखेड़ा, आमटपानी, खाखंरा, खैरलांजी, पोतलई, राजावर्ग, सुकतरा, दुंगरिया, दुन्डेर, चारगांव, आमगांव
कुरई	व.सु.स.	चिखलापानी, चीचलडोहमाल, चीचलडोहरैयत फतेपुर, गोरखपुर, धोबीटोला, धनोली, कुडवा, खिडकी, पिटेसुर, जिलापुर, पीपरवानी, परासपानी, पुलपुला, रमपुरी बी, रैयतवाडी, जामरापानी, आगरी
खवासा	ई.वि.स.	पिपरिया
	व.सु.स.	खण्डासा, खवासाटोला, पिण्डरई, रिडी, सिल्लारी, सीवनकन्हार, जटामा, रमपुरी, चिखली, बबई, खैरघाट, पाटन, मुरझोर, भिलवा, पिण्डरई बुट्टे, पिपखुंटा, रमली, सावरीरीठ, बोरगांव, विछुआ,
	ग्रा.व.स.	बावली, चिखलीटोला, हाथीगढ़, उतरिया, वाहदाबाद,
बण्डोल	व.सु.स.	धाटपिपरिया, खमरिया, ढारिया, झीलपिपरिया, कण्डीपार, कंजई, कोहका, कन्हानपिपरिया, मुण्डरईखुर्द, पिपरिया पद्दीकोना, राधादेही, समनापुररैयत, सालीवाड़ा, दुंगरिया, दुंगरियाटोला, जटलापुर, नगरवाड़ा
	ग्रा.व.स.	दुलबजा, बखारीटोला कुम्हीटोला, मनीरी, बिठली, छिदग्वार, पायली, पोतालपानी, रामगढ़, दरबईबड़ी, दरबई-नाकाटोला, चटाईदाना, जरौदा, जामुनपानी, नकटिया, आमाझिरिया, औरियामाल, औरियारैयत, गहरानाला, गुढ़ी, समनापुरमाल, हिनोतिया
कान्हीवाड़ा	व.सु.स.	दुटेरा, बंजरटोला, कालीमाटी, मोरडोंगरी, मानेगांव, हिरीटोला, पीपरदौन, पाथरफोड़ी, ढूँडलखेड़ा, छुई, चन्दूटोला, चीचबंद, चोरपिपरिया, जाम, दामीझोला, घूरवाड़ा, पङ्गापानी, चिरईडोंगरी, घुरलाटोला, ढुडवा, पाण्डीवाड़ा, रतनपुर
केवलारी	व.सु.स.	झोला, कुम्हडामाल, भादूटोला, पीपरदौन, परासपानी, खरसारू, पोतालपानी, दुधिया, तेन्दूटोला, अर्जूनझिर, अलोनीखापामाल, अलोनीखापारैयत, धुम्हीटोला, रुमाल, घाटखरपड़िया, बावली, कंचनवाड़ा, मशानबरा, झितरा, सिंदरसी, सिन्दादेही, भोरगोदी, सोनखार, सोनखारटोला, नेवरगांव
	ग्रा.व.स.	घरगोदी, खापाटोला, खुरसीपारमाल (छीदा), बम्हनीखेड़ा, बुधवारा, बेगरानी, बगलई, कारापाठा, कोहका, कोहका (अहरवाडी) कडवेथावरी, कछारी, केवलारीखेड़ा, मोहगांव (अहरवाडी) मालहनवाड़ा, विछुआ (छीदा) किमाची, पुररा, रायखेड़ा, रानटोला, सहजपुरी, सालीवाड़ा (छीदा), छीदा, देवझिर, चरगांव, चान्दनखेड़ा, जामुनपानी, अहरवाडी, टाली, टाला, गोपेवानी

परिशिष्ट - 7

सिवनी जिले के लिए दरों का निर्धारण

1. बल्ली बिक्री दर

प्रजाति	गोलाई वर्ग	लंबाई वर्ग	बाजार दर (रु. प्रति नग)	निस्तार दर (रु. प्रति नग)	वन समितियों हेतु (रु. प्रति नग)
1	2	3	4	5	6
सागौन बल्ली	15-20	2-3	60.00	45.00	40.00
		3-4	75.00	55.00	50.00
		4-6	90.00	60.00	55.00
		O-6	100.00	70.00	65.00
	21-30	2-3	285.00	120.00	90.00
		3-4	290.00	140.00	115.00
		4-6	295.00	160.00	140.00
		O-6	300.00	180.00	150.00
	31-40	2-3	365.00	300.00	295.00
		3-4	615.00	400.00	300.00
बीजा, शीशम, तिन्मा, हल्द्वा, खमैर, साजा, मुण्डी		4-6	770.00	440.00	415.00
		O-6	790.00	480.00	465.00
	21-30	2-3	150.00	90.00	70.00
		3-5	155.00	100.00	80.00
		O-5	175.00	110.00	100.00
	31-40	2-3	195.00	130.00	110.00
		3-5	300.00	155.00	125.00
		O-5	310.00	200.00	130.00
	41-50	2-3	265.00	175.00	150.00
		3-5	430.00	280.00	210.00
अन्य प्रजाति		O-5	435.00	290.00	245.00
	21-30	2-3	80.00	70.00	65.00
		3-5	120.00	90.00	75.00
		O-5	175.00	105.00	85.00
	31-40	2-3	150.00	100.00	70.00
		3-5	175.00	130.00	80.00
		O-5	235.00	180.00	115.00
	41-50	2-3	205.00	145.00	110.00
		3-5	280.00	210.00	155.00
		O-5	350.00	260.00	215.00

नोट :-

- उपरोक्त दरों के अतिरिक्त निस्तार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर।
- बाजार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर एवं 14 प्रतिशत वाणिज्यिक कर तथा कुल योग राशि पर 2.81 प्रतिशत (आयकर+सरचार्ज+शिक्षण शुल्क) अलग से देय होगा।

कृषि उपकरण दर प्रति नग				
प्रजाति		गोलाई वर्ग (से.मी. में)	लंबाई वर्ग (वर्ग मी. में)	निस्तार दर (रु. प्रति नग)
1	2	3	4	
बक्खर, हल	सागौन	61-70	1 मी. तक	270.00
हरीश	सागौन	46-60	3 से 4 मी.	920.00
चौव	सागौन	46-60	1 से 2 मी.	310.00
चौव	सतकठा	46-60	1 से 2 मी.	120.00
ज्वाड़ी	सागौन	61-90	2 मी.	720.00
बक्खर	सागौन	61-90	2 मी.	720.00
बक्खर	सतकठा	61-90	2 मी.	240.00
डांडी	सागौन	31-40	3 से 4 मी.	340.00
डांडी	सतकठा	31-40	3 से 5 मी.	140.00

- नोट :
- उपरोक्त दरों के अतिरिक्त निस्तार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर।
 - बाजार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर एवं 14 प्रतिशत वाणिज्यिक कर तथा कुल योग राशि पर 2.81 प्रतिशत (आयकर+सरचार्ज+शिक्षण शुल्क) अलग से देय होगा।

3. बांस बिक्री दर

विवरण	सिवनी जिला हेतु (लम्बाई मीटर में)					
	2.25	2.50	3.10	3.70	4.60	5.50
I	2	3	4	5	6	7
बाजार दर	11.00	12.00	15.00	17.50	22.00	26.00
निस्तार दर	7.00	7.50	8.00	8.50	10.00	11.00
वन समितियों हेतु दर	5.00	5.50	6.00	6.50	8.00	9.00
बसोड दर (1 से 1500 नग बांस तक के लिए) :-						
अ) ग्रामीण क्षेत्र के बसोडों हेतु	5.00	5.50	6.00	6.50	8.00	9.00
ब) शहरी क्षेत्र के बसोडों हेतु	5.00	5.50	6.00	6.50	8.00	9.00

- नोट :
- उपरोक्त दरों के अतिरिक्त निस्तार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर।
 - बाजार विक्रय दर में 3 प्रतिशत वन विकास उपकर एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक कर एवं कुल योग राशि पर 2.81 प्रतिशत (आयकर+सरचार्ज+शिक्षण शुल्क) अलग से देय होगा।

4. जलाऊ चट्टा की दर

विवरण	बिक्री दर (रु. प्रति चड्डा)
बाजार दर एवं श्मशान घाट हेतु दर	1190.00
निस्तार दर कूप से	250.00
वन समितियों हेतु दर कूप से	225.00

टीप : शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर एवं वन विकास उपकर अलग से देय होगा।

विभिन्न कर

- विभिन्न वनोपज पर परिशिष्ट में दराये दर में विक्रय मूल्य की गणना की जावेगी। विक्रय मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से वन विकास उपकर अतिरिक्त देय होगा।
- विक्रय मूल्य एवं वन विकास उपकर के योग पर निम्नानुसार वाणिज्यिक कर एवं कुल योग राशि पर 2.81 प्रतिशत (आयकर 2.50 प्रतिशत + 0.25 प्रतिशत सरचार्ज + 0.06 प्रतिशत शिक्षण शुल्क) देय होगा—

(अ)	निस्तार दर	-	निरंक
(ब)	वन सुरक्षा समिति दर	-	निरंक
(स)	बाजार दर		

वनोपज का विवरण	वाणिज्यिक कर	कुल योग राशि पर चार्ज (आयकर + सरचार्ज + शिक्षण शुल्क)
1. बल्ली/खोड़/कृषि उपकरण	14 प्रतिशत	2.81 प्रतिशत
2. बांस	5 प्रतिशत	2.81 प्रतिशत

(द)	बसोड़ दर	निरंक	निरंक
(ई)	श्मशान घाट दर (जलाऊ)	निरंक	निरंक

- यदि शासन द्वारा करों की दर में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दर पर करों का भुगतान करना होगा।

लोक वानिकी कार्यक्रम

परिचय :- मध्यप्रदेश में निजी तथा राजस्व ग्रामों के वैज्ञानिक प्रबंध की दिशा में पहल करते हुए "लोक वानिकी" के रूप में एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। लोक वानिकी का मुख्य उद्देश्य भूमि स्वामी के खेत में खड़े वृक्षों का वैज्ञानिक प्रबंधन है, जिससे प्रक्षेत्र को सतत रूप से उत्पादित बनाये रखा जा सके तथा पड़त भूमि में रोपण हो सके। इस योजना के माध्यम से वानिकी कार्यों में रोजगार तथा वनोपज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व क्षेत्रों में स्थित वनों के बेहतर प्रबंधन से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भूमि स्वामी के निजी वृक्षों के विदोहन के साथ ही वनों के माध्यम से ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकेगा तथा वृक्षारोपण की खेती की तरह लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

स्वैच्छिक कानून :- "लोक वानिकी" के क्रियान्वयन हेतु "मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001" को राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2001 से अधिसूचित किया गया एवं "मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम 2002" दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित किया गया। लोक वानिकी योजना ऐसे निजी एवं राजस्व क्षेत्रों पर लागू होगी, जिन्हें भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा "वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों" के रूप में प्रबंधन करना चाहेंगे। यह अधिनियम सभी भूमि स्वामियों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होगा। इस अधिनियम में कुल 13 धारायें बनायी गयी हैं।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002" बनाया गया है, जिसे राज्य शासन की अधिसूचना क्र./ एफ-25-46-98-दस-2, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया है। "मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम 2002" में कुल 11 नियम बनाये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से लोक

वानिकी के अधीन प्रबंधन के लिये आवेदन प्रक्रिया प्रबंधन योजना का निर्माण मंजूरी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में नियम बनाये गये हैं। लोक वानिकी के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये नियम 10 के अंतर्गत दण्ड के प्रावधान भी किए गए हैं।

विस्तार :- मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना क्र. एफ-25-46-98-दस (दो) दिनांक 15 जून, 2001 से लोक वानिकी अधिनियम 2001 होशंगाबाद, देवास, नरसिंहपुर, दमोह एवं सीधी जिले में लागू किया गया है।

पुनः मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना क्र. एफ-25-46-98-दस (दो) दिनांक 29 अप्रैल, 2003 द्वारा राज्य के शेष 35 जिलों में दिनांक 01 मई, 2003 से लागू किया गया है। अतः अब लोक वानिकी कार्य का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया है।

प्रबंध योजना निर्माण :- चार्टर्ड फॉरेस्टर के प्रावधान के कारण प्रबंध योजना बनाने के कार्य में यथेष्ट प्रगति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कमजोर वर्ग के कृषकों को चार्टर्ड फॉरेस्टरों को प्रबंध योजना बनाने के लिए फीस का भुगतान करना पड़ता है और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से कृषक इस हेतु असमर्थ था। इस प्रावधान की वजह से कृषक लोक वानिकी योजना से नहीं जुड़ पा रहे थे। अतः प्रदेश में अधिक से अधिक कृषकों को लोक वानिकी का लाभ पहुंचाने के लिए और योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के लिए सदन में म.प्र. लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक 2005 पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित हो जाने से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को इसका विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। इस अधिनियम में चार्टर्ड फॉरेस्टरों के उपबंधों को लोप किया गया है। अब लोक वानिकी प्रबंध योजना वानिकी कृषक, ग्राम सभा एवं पंचायत द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति से तैयार करवाई जा सकेगी।

प्रबंध योजना स्वीकृति :- 10 हेक्ट. की सीमा तक के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं स्थानीय वनमण्डल अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे। दस हे. से अधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं भारत शासन द्वारा पूर्व अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी। वनमण्डलाधिकारी प्रबंध योजना को मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा, ऐसे मामले में यथा स्थिति समीपस्थ वन क्षेत्रों अथवा निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जहां प्रबंध योजना क्षेत्र 10 हे. से अधिक है वहाँ सक्षम प्राधिकारी प्रबंध योजना के प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन के भीतर प्रबंध योजना को अपनी राय के साथ राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

निजी रोपण के पातन :- मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी भूमि स्वामी के खाते में के इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराये जाने और अभिवहन के लिए यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है, अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं ने इन वृक्षों का रोपण, जिससे वाणिज्यिक रोपण शामिल है, किया हो। परंतु यह और भी कि भूमि स्वामी किसी रोपण के संबंध में, तहसीलदार तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रारूप 'ख' में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा। जनहित में प्रारूप 'ख' को निम्नानुसार सरलीकृत किया गया है।

प्रारूप "ख"

खसरा को सम्मिलित करते हुए राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वृक्षरोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना

प्रति,

तहसीलदार/वन परिक्षेत्राधिकारी

तहसील/परिक्षेत्र

जिला.....म.प्र.

- आवेदक का नाम/पिता का नाम तथा पता
- सर्वे क्रं. तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रं. एवं ग्राम जिसमें वृक्षरोपण प्रस्तावित है।
- भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टियां
- प्रत्येक खसरा क्रं. में विद्यमान/प्रस्तावित वृक्षों की संख्या.....

क्रं.	खसरा क्रं.	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति के नाम	प्रस्तावित वृक्षरोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम

दिनांक

स्थान :

खातेदार के हस्ताक्षर

"चक्र की व्याख्या" :-

क्षेत्रीय स्तर पर लोक वानिकी के क्रियान्वयन में कृषकों को आ रही समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कदम उठाते हुए म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पृष्ठ पत्र क्र. /2503/2005/10-2, दिनांक 20-07-05 द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार "चक्र" को परिभाषित किया गया है -

"लोक वानिकी कार्यक्रम के लिए चक्र का अर्थ होगा किसी भी भूमि स्वामी का वह भूखंड जो कि एक या एकाधिक खसरा से मिलकर बना हो।"

उपरोक्तानुसार "चक्र" की व्याख्या हो जाने से कृषकों को इस संबंध में आ रही समस्या का समाधान हुआ है।

प्रगति :-

लोक वानिकी अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत भूमि स्वामियों के निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की अब तक 736 कुल प्रबंधन योजनायें बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से 577 प्रबंधन योजनायें सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त 10 हैं, से अधिक क्षेत्रों की 23 प्रबंध योजनायें मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

लोक वानिकी नियम एवं अधिनियम अंतर्गत 55 चार्टर्ड फॉरेस्टर पंजीकृत किये गये हैं। योजनांतर्गत 21,360 कृषकों को 171 किसान सम्मेलन, 25 कार्यशालायें, 8 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लोक वानिकी योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

मांग के आधार कृषकों को उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के अनुसंधान एवं विस्तार वृक्षों को इस हेतु बजट का प्रावधान किया जाता है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2004-05 में 813 लाख उच्च गुणवत्ता के पौधे प्रदाय किये गये हैं।

मुख्य वनसंरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा अपनी काष्ठ का पृथक लॉट लगाकर बिक्री के संबंध में वनमण्डलाधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल.....

विषय :- स्वयं की काष्ठ का पृथक लॉट लगाकर बिक्री करने के संबंध में।

संदर्भ :- (i) वनमण्डलाधिकारी का आदेश क्रमांक दिनांक।

(ii) जिलाध्यक्ष का आदेश क्र. दिनांक।

- : : -

1. (अ) मैं श्री/ श्रीमति आ./पत्नि श्री भूमि स्वामी खसरा क्र. पटवारी हल्का क्र. ग्राम जिला का होकर निवेदन करता/ करती हूँ कि अपने भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही खाते से प्राप्त काष्ठ को बिक्री शासन के काष्ठागार में पृथक लॉट लगाकर वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया अनुसार अवशेष मूल्य निर्धारित कर विक्रय करवाना चाहता/ चाहती हूँ। अथवा (ब) मेरे द्वारा उक्त लॉट का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रथम नीलाम हेतु निर्धारित किया गया है तथा द्वितीय नीलाम एवं आगामी नीलामों हेतु रु. निर्धारित किया जाये।
2. मैं शासन के आदेश क्र. दिनांक द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रारूप 'अ' / प्रारूप 'ब' में अनुबंध निष्पादित करना चाहता हूँ/ चाहती हूँ।
3. मैं शासन द्वारा नीलाम हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति/ प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा/ करूँगी तथा नीलाम पद्धति से जुड़ी समस्त कार्यवाही मुझे मान्य रहेगी।

4. मैं सहमति व्यक्त करता / करती हूँ कि लॉट के प्रथम अथवा बाद के किसी भी नीलाम में विक्रय नहीं हो पाने के कारण काष्ठ की गुणवत्ता में ह्वास, काष्ठ के बाजार मूल्य में गिरावट, मेरे द्वारा सूचित न्यूनतम राशि से कम बोली प्राप्त होने इत्यादि की अवस्था में मुझे होने वाले किसी भी प्रकार की हानि के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा रहेगा तथा इसके लिये वन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, नीलाम की पूर्ण कार्यवाही की जोखिम पर ही संपादित की जावेगी।
5. मैं वन विभाग द्वारा लॉट विक्रय पर प्रति घ.मी. शासन द्वारा निर्धारित (.....रुपये) हस्तन व्यय के रूप में तथा देय समर्त प्रकार के कर इत्यादि की वसूली तथा कटौती करने हेतु पूर्ण सहमति व्यक्त करता / करती हूँ।
6. कर के अतिरिक्त मेरे लाट पर नीलाम प्रक्रिया के तहत होने वाले समर्त प्रकार के व्यय की कटौती करने की सहमति देता / देती हूँ।
7. उपरोक्तानुसार कर एवं व्यय की कटौतियों से शेष बचने वाली राशि को मैं अपनी काष्ठ के शुद्ध मूल्य के रूप में प्राप्त करने मात्र का हकदार रहूँगा/रहूँगी तथा इस बात की भी सहमति देता / देती हूँ कि मुझे लाट की राशि का भुगतान क्रेता द्वारा परिदान लेने के उपरांत ही किया जायें।

स्थान :-

हस्ताक्षर भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही

दिनांक -

नाम गवाह 1/

2/

स्थाई पता

स्थाई पता

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /
प्रति,

भोपाल, दिनांक, अक्टूबर 2005

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय :- भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के स्वामित्व की राष्ट्रीयकृत वनोपज काष्ठ को वन विभाग को विक्रय करने वालत।

वर्तमान में वन विभाग भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत काष्ठ को वन विभाग द्वारा लिया जाकर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है तथा वनों से प्राप्त अन्य काष्ठों के साथ मिलाकर उसको विक्रय कर देता है।

2. राज्य शासन से यह निर्णय लिया है कि यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही चाहे तो वे वन विभाग के डिपो में अपनी काष्ठ की पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय कर सकते हैं। लेकिन पृथक से लॉट लगाकर बेचने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग को काष्ठ बेचने की पात्रता नहीं होगी।

इस हेतु भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अलग से लॉट लगाकर वन विभाग के डिपो से बेचने की स्थिति में निम्न शर्तें लागू होगी :-

1. भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अपने काष्ठ को डिपो में पृथक लॉट लगाकर बेचने की स्थिति में 2 विकल्प दिये जायें। प्रथम विकल्प यह होगा कि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ की लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस हेतु भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अनुबंध पत्र 'आ' में संबंधित वनमण्डल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। जबकि द्वितीय विकल्प में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही लिखित रूप से अपने लॉट के न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध कर सकता है, ऐसी स्थिति में इस लॉट के अवरोध मूल्य का निर्धारण विभागीय प्रक्रिया से नहीं किया जावेगा बल्कि भूमि स्वामी द्वारा अनुरोध किये गये विक्रय मूल्य को ही अवरोध मूल्य मान लिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अनुबंध पत्र 'ब' में संबंधित वनमण्डल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।
2. यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही प्रथम विकल्प स्वीकार करता है तो नीलाम विशेष में विक्रय नहीं हो पाने की अवस्था में भूमि स्वामी के लॉट को विभागीय प्रक्रिया अनुसार ही आगामी नीलाम में विक्रय किये जाने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि लॉट का विक्रय नहीं हो जाये। भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के लॉट के नीलाम में वन विभाग द्वारा प्रदत्त

- शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमण्डलाधिकारी विक्रय करेंगे। विभागीय प्रक्रिया अनुसार वनमण्डलाधिकारी एवं वन संरक्षक लॉट को आवश्यकता के अनुसार अवरोध मूल्य से नीचे बेच सकेंगे। वनमण्डलाधिकारी व वन संरक्षक नीलामी हेतु दी गई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में स्वतंत्र रहेंगे तथा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही का इस पर कोई हस्ताक्षेप नहीं रहेगा। प्राप्त विक्रय मूल्य भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को मान्य होगा। अवरोध मूल्य कम प्राप्त होने पर भूमि स्वामी किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगे।
3. यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वितीय विकल्प स्वीकारता है तो लाट का विक्रय इस मूल्य के नीचे नहीं किया जावेगा भले ही नीलाम विशेष में कोई बोली प्राप्त न हो। भूमि स्वामी /लोक वानिकी हितग्राही को यह अधिकार अवश्य होगा कि वह नीलाम के पश्चात् विक्रय नहीं होने की स्थिति में यदि उचित समझे जो अपने विक्रय मूल्य की राशि परिवर्तित कर सकता है। किसी भी स्थिति में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा लिखित रूप में जो विक्रय मूल्य दिया जावेगा उससे कम राशि पर विक्रय नहीं किया जावेगा।
 4. दोनों ही विकल्पों की स्थिति में निम्न शर्तें भी लागू रहेंगी :-
 - (अ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को वन विभाग के नीलाम में उपस्थित रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी परंतु उन्हें वनमण्डलाधिकारी द्वारा किये जा रहे नीलाम में हस्ताक्षेप करने की अनुमति नहीं रहेगी। वे वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपनाई गई नीलाम प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति नहीं उठायेंगे अथवा किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगे।
 - (ब) लॉट के प्रथम अथवा बाद के किसी भी नीलाम में विक्रय नहीं हो पाने के कारण काष्ठ की गुणवत्ता में ह्रास, बाजार में काष्ठ के मूल्य में गिरावट, भूमि स्वामी/लो.वा. हितग्राही द्वारा सूचित न्यूनतम राशि से कम बोली प्राप्त होने इत्यादि की अवस्था में भूमि स्वामी/लो.वा. हितग्राही को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिये विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार नीलाम की पूर्ण कार्यवाही भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राहियों के जोखिम पर ही संपादित की जावेगी।
 - (स) भूमि स्वामी/लो.वा. हितग्राही की काष्ठ के विक्रय होने तक प्रकरण की स्थिति एवं नीलाम संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी से संपर्क करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
 - (द) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को लॉट पर देय वन विकास उपकर, वाणिज्यिक कर, आयकर, सरदार्ज, भूमि भाड़ा इत्यादि की वसूली किये जाने एवं नियमानुसार इनके समायोजित/भुगतान करने का भी उत्तरदायित्व वनमण्डलाधिकारी का ही रहेगा।
 - (इ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के काष्ठ के विक्रय मूल्य में से काष्ठ की डिपो में आमद लेने, परिमापन एवं ग्रेडिंग करने थप्पीकरण तथा नीलाम की अन्य व्यवस्था, सुरक्षा इत्यादि पर होने वाले व्यय की राशि की कटौती करते हुए अवशेष रहने वाली पूर्ण राशि का भुगतान वनमण्डलाधिकारी चेक द्वारा भूमि स्वामी को करेंगे। यह भुगतान भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने के उपरांत 15 दिन के भीतर किया जावेगा। भूमिस्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को अधिकार होगा कि वह अपनी काष्ठ के पूर्व निर्धारित मूल्य को प्रथम नीलाम उपरांत परिवर्तित कर सकें। इस हेतु भूमिस्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को संबंधित वनमण्डलाधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।
 - (उ) एकरूपता की दृष्टि से डिपो व्यय का मानकीकरण भी प्रतिवर्ष विभाग द्वारा किया जावेगा अर्थात् विभाग द्वारा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही से प्रति घनमीटर अथवा प्रति बल्ली नग या जलाऊ चट्टा के लिये हस्तन व्यय की वार्षिक दर भी निर्धारित की जावेगी।
 - (ए) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को उपरोक्त शर्तें मान्य रहने का अनुबंध पत्र निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को देना होगा।

सहपत्र :-

- (1) आवेदन प्रारूप
- (2) अनुबंध प्रारूप 'अ' एवं 'ब'

(रतन पुरवार)
सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग

पृ.क्र./एफ-4267/289/05/10-3

- प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
 2. मुख्य वनसंरक्षक, उत्पादन।
 3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 4. समस्त वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2005

सचिव,
म.प्र. शासन वन विभाग

अनुबंध पत्र - 'अ'

भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही द्वारा वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया द्वारा काष्ठ विक्रय की सहमति की स्थिति में भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को श्री पुत्र श्री वनमण्डल के मध्य निम्न भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही एवं वनमण्डल अधिकारी शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया।

(1) यह कि श्री पुत्र श्री निवासी ग्राम पोस्ट तहसील जिला भूमि स्वामी खसरा क्र. द्वारा (अ) अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन जिलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति क्र. दिनांक द्वारा किया गया है।

अथवा

(2) लोक वानिकी योजना के अंतर्गत वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल द्वारा आदेश क्र. दिनांक से प्राप्त स्वीकृति अनुसार किया गया है।

(3) यह कि श्री ने वन विभाग के द्वारा काष्ठ निर्वतन की प्रक्रिया शासन के आदेश क्र. दिनांक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनकी काष्ठ का निर्वतन वन विभाग द्वारा किया जाना स्वीकार किया है।

(4) उपरोक्त शर्त (3) के अधीन विभाग को विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक अथवा कम मूल्य पर काष्ठ विक्रय होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता को निर्धारित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर की राशि विभाग से प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, बल्कि विभागीय प्रक्रिया अनुसार प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य में से विकेता (भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही) द्वारा शासन को देय समस्त करों तथा प्रति घ.मी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित (.....रुपये) हस्तन व्यय के रूप में तथा अन्य विभागीय व्यय को घटाये जाने के उपरांत शेष राशि पाने की पात्रता होगी।

(5) भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही के द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता से वसूल करों, (वाणिज्य कर आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय करों) पर भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही को कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही के काष्ठ विक्रय उपरांत क्रेता द्वारा जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अश में (क्रेता द्वारा जमा की राशि की सीमा तक) भुगतान की पात्रता होगी।

(7) भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही के जोखिम पर ही सम्पादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण के कारण मूल्य में गिरावट बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

(8) भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राहो चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हेमर) अंकित कर सकता है, या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हेमर लगवा सकता है।

(9) उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

(10) संबंधित वन संरक्षक के निर्णय से व्यधित व्यक्ति / भूमि स्वामी / लोक वानिकी हितग्राही / क्रेता / संबंधित वनमण्डल / वन संरक्षक के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे। आज दिनांक को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध नियमानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता

हस्ता. भूमिस्वामी / लोकवानिकी हितग्राही
नाम

पूर्ण निवास का पता
उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है :

गवाह (1) नाम :
स्थाई पता :
निवासी :

शासन की ओर से

हस्ता
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल

गवाह (2) नाम :
स्थाई पता :
निवासी :

अनुबंध पत्र - 'ब'

नूनि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा उसकी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर तथा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा अवरोध मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को श्री पुत्र श्री

भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही एवं वनमण्डल अधिकारी

वनमण्डल के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया।

(अ) यह कि श्री पुत्र श्री निवासी ग्राम पोस्ट

..... तहसील जिला भूमि स्वामी खसरा क्र. द्वारा (अ)

अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन जिलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति क्र. दिनांक

द्वारा किया गया है।

अथवा

(ब) लोक वानिकी योजना के अंतर्गत वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल द्वारा आदेश क्र.

..... दिनांक से प्राप्त स्वीकृति अनुसार किया गया है।

(स) यह कि श्री ने शासन के आदेश क्र. दिनांक द्वारा निर्धारित शर्तों के उनकी काष्ठ का निर्वतन शासन के आदेश क्र. दिनांक अनुसार विक्रय करना स्वीकार किया है। मेरी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर प्रथम नीलाम हेतु रु. तथा द्वितीय एवं उसके बाद के नीलाम हेतु रु. अवरोध मूल्य निर्धारित किया जाये।

(द) शर्त (स) के अधीन भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा निर्धारित मूल्य पर काष्ठ विक्रय होने की स्थिति में विभाग द्वारा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा निर्धारित काष्ठ मूल्य पर प्रति घ.मी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित (..... रुपये) राशि भूमिस्वामी को भुगतान की जावेगी, जो कि काष्ठ के विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि से काटकर अवशेष निर्धारित मूल्य को प्रथम नीलाम उपरांत परिवर्तित कर सकें। इस हेतु भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को संबंधित वनमण्डलाधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।

(इ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता से वसूल करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय करों) पर भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को कोई अधिकार नहीं होगा।

(फ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के काष्ठ विक्रय उपरांत क्रेता द्वारा जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की राशि की सीमा तक) भुगतान की पात्रता होगी।

(ग) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को हक होगा कि वह उसके द्वारा उत्पादित काष्ठ को काष्ठागार में लाने के उपरांत के अधीन या अपने प्रतिनिधि के समक्ष में मापन क्रिया पूर्ण कराने उपरांत, काष्ठागार में काष्ठ के शर्त (ब) के अधीन मापवार अलग-अलग या इकड़ा लॉट बना सकेंगा।

(ह) शर्त के (फ) अधीन प्रक्रिया में आने वाला व्यय, भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही स्वयं वहन करेगा या विभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने पर काष्ठ के विक्रय मूल्य से वसूल करने का विकल्प विभाग के पास होगा।

(इ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के जोखिम पर ही सम्पादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण के कारण मूल्य में गिरावट बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

(ज) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हेमर) अंकित कर सकता है, या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हेमर लगवा सकता है।

(ल) उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

(म) संबंधित वन संरक्षक के निर्णय से व्यक्ति/भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही/क्रेता/ संबंधित वनमण्डल/वन संरक्षक के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आज दिनांक को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता
हस्ता. भूमिस्वामी / लोकवानिकी हितग्राही
नाम

पूर्ण निवास का पता
उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है :

गवाह (1) नाम :
स्थाई पता :
निवासी :

शासन की ओर से
हस्ता
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल

गवाह (2) नाम :
स्थाई पता :
निवासी :

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र./निस्तार/2886

भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2006

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :- बाढ़/अग्नि पीड़ितों को व्यापारिक दरों पर बांस, बल्ली उपलब्ध कराने संबंधी।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र./उत्पादन/निस्तार/322/7776 दिनांक 29/08/2006.

- :- -

राजस्व विभाग ने उनके ज्ञाप क्र./एफ-6/24/सात/2005/शा.3 दिनांक 11/03/2006 के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6, क्र. 4 की कंडिका 9 विलोपित की गई है। तदनुसार अग्नि एवं बाढ़ पीड़ितों को बांस/बल्ली प्रदाय की पूर्व व्यवस्था समाप्त हो गई है -

1. वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष अथवा निजी द्वारा अधिकृत अधिकारी अथवा सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर बाढ़/अग्नि पीड़ित परिवार को अधिकतम 20 बल्ली एवं 30 बांस उपलब्धतानुसार व्यापारिक दर पर प्रदाय किये जा सकते हैं। यह व्यवस्था सम्पूर्ण कैलेण्डर वर्ष के लिये लागू होगी।
2. अतः आपके वृत्तों में अग्नि पीड़ितों/बाढ़ पीड़ितों को बांस, बल्ली प्रदाय की उपरोक्त व्यवस्था तत्काल लागू करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./निस्तार/2887

भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल को उनके पृ.क्र./डी/2089/3208/06/10-3 दिनांक 31/08/2006 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निज सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, वन के द्वारा कलेक्टर, बालाघाट को भेजे गये अर्द्धशासकीय पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2004

क्र./एफ-25-20-2005-दस-3 भा.व. अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 76 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ –
 - (अ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पुरुस्कार नियम, 2004 है,
 - (ब) इनका विस्तार, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा,
 - (स) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16),
 - (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, किसी वन वृत्त का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो,
 - (ग) "वनमण्डलाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी वनमण्डल का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो,
 - (घ) "अन्य वस्तुएं" से अभिप्रेत है कोई यान, उपकरण, पशु, शस्त्र, औजार या कोई अन्य सामग्री, जो किसी वन अपराध को करने में उपयोग में लाई गई हो,
 - (ड) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किंतु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है,
3. पुरुस्कार :– किसी वन अपराध के अभिकथित अपराधी की दोष सिद्धि पर या उसके वन अपराध के शमन पर, वनमण्डलाधिकारी, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को जिसने/जिन्होंने वन अपराध के पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि में या वन उपज तथा अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती) में असाधारण सहायता की हो, कोई पुरुस्कार, ऐसे अनुपात में जैसा वह उचित समझे स्वीकृत मुआवजा की राशि तथा वन उपज और अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती) के मूल्य या रूपये पच्चीस हजार, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, परंतु यह और कि उप वनमण्डलाधिकारी तथा उप खण्ड पुलिस अधिकारी की श्रेणी के अधिकारी, इस नियम के अधीन किसी पुरुस्कार के हकदार नहीं होंगे,
4. मंजूरी प्राप्तिकारी :– पुरुस्कार, संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी की सिफारिश पर संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्व विवेक से या किसी पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मंजूर किया जाएगा,
5. पुरुस्कार की वसूली :– यदि पुरुस्कार के संदाय के पश्चात्, अपील में दोषसिद्धि उलट दी जाती है, तो पुरुस्कार में संदत्त राशि उन व्यक्तियों से, जिन्हें यह संदत्त की जा चुकी है, तब तक वसूल नहीं की जाएगी, जब तक कि यह प्रतीत न हो कि उन्होंने उस मामले में कपटपूर्वक कार्य किया है,
6. गोपनीय पुरुस्कार :– वन विभाग की गुप्त निधि में से किसी भेदिये को मंजूर किया गया पुरुस्कार गोपनीय रखा जाएगा तथा इसे किसी कार्यालय या न्यायालय में परीक्षण के लिए नहीं मांगा जाएगा,
7. निरसन एवं व्यावृत्ति :– ऐसे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के तत्स्थानी हों और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया/गयी है,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./एफ-30/8/2002/10-3

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2007

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम 2000 के अंतर्गत वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जट्रोफा बीज के परिवहन के लिये टी.पी. की आवश्यकता के संबंध में।

- : -

राज्य शासन की अधिसूचना क्र./एफ 28-1/2003/दस-3, दिनांक 24/06/2003 के द्वारा तेन्दुपत्ता, साल बीज, कुल्लू गाँड को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज को अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है। चूंकि जट्रोफा बीज विनिर्दिष्ट लघु वनोपज नहीं हैं। अतः राज्य शासन एक बार पुनः समस्त की जानकारी में लाना चाहता है कि जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम 2000 के अंतर्गत टी.पी. आवश्यक नहीं होगी।

कृपया सर्वसंबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(रतन पुरवार)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2007

पृ.क्र./एफ 30/8/2002/10-3

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की ओर उनसे सचिव, वन विभाग से दि. 04/10/2007 को हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु नवीन जारी शासन के निर्देश

म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

1. क्र./एफ-30-08-2002-दस-03 मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-30-08-2002-दस-03 दिनांक 16 मई 2005 को अधिष्ठित करते हुये निम्न वृक्षों की प्रजातियों जो कि निजी भूमि पर पाई अथवा उगाई जाने पर मध्यप्रदेश के अन्दर (टी०पी०) परिवहन अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता से मुक्त करती है :-

1.	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियां	28.	टाम	मैजीफैरा इंडिका
2.	कैसूरिना	कैसूरिना इविविसिटीफोलिया	29.	सप्तपर्णी	एल्स्टेनिया स्कोलेरिस
3.	पोपलर	पापुलस प्रजातियां	30.	कैथा	फैरोनिया लिमोनिया
4.	सूबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला	31.	जंगल जलेबी	पिथेकोलोबियम इल्से

5.	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस	32.	पेल्टाफोरम	पेल्टाफोरम फेर्लजीनियम
6.	विलायती बबूल	प्रोसापिस जुलीफ्लोरा	33.	नीम	अजाडिरेक्टा इंडिका
7.	ऑस्ट्रेलियन बबूल	एकेशिया ऑरिकुलीफारमिस	34.	बकैन	मेलिया अजाडिरे
8.	बबूल	अकेशिया निलोटिका	35.	सिस्सू	डलबर्जिया सिस्सू
9.	खमेर	मेलाइना आरबोरिया	36.	करंज	पौंगेमिया पिन्नाटा
10.	महारुख	ऐलेन्थस एक्सेल्सा	37.	पलाश	ब्यूटिआ मोनोस्पर्मा
11.	कदम्ब	एन्थोसेफेलस कदम्बा	38.	सफेद सिरस	अलबिजिया प्रोसेरा
12.	केसिया साइमिया	केसिया साइमिया	39.	पीपल	फाईक्स रेलिजिओसा
13.	गुलमोहर	डेलोनिक्स रेजिया	40.	बरगद	फाईक्स बैंगालेन्सिस
14.	जेकरंडा	जेकरंडा माइमोसिफोलिया	41.	गूलर	फाईक्स ग्लोमेराटा
15.	सिल्वर ओक	ग्रेविलिया रोबस्टा	42.	रबर	फाईक्स इलास्टिका
16.	पाम	पाम प्रजातियाँ	43.	सेमल	बॉन्बेक्स सीबा
17.	बेर	जिजीफस जुजुबा	44.	कपोक	सीबा पेन्टेन्ड्रा
18.	शहतूत	मोरस अल्बा	45.	चिरोल	होलोप्टेलिया इन्टिग्रिफोलिया
19.	कटहल	आटॉकार्पस हेट्रोफिल्लस	46.	ग्लेरिसिडिया	ग्लेरिसिडिया प्रजाति
20.	अमरुद	साइडियम गुआवा	47.	रिमझा	एकेसिया ल्यकोपलोयिआ
21.	नीम्बू संतरा, मोसम्बी	सिट्रस प्रजातियाँ	48.	मीठी नीम	मुराया कोइनीजाई
22.	मुनगा	मोरिंगा ऑलिफेरा	49.	गुडहल / जासोन	हिबिसक्स रोसा—साइनेसिस
23.	मौलश्री	माइसूसाप्स एलेन्जाई	50.	शंकुधारी प्रजातियाँ	शंकुधारी प्रजातियाँ (चीड़ कैल, देवदार तथा पाईन प्रजातियाँ)
24.	अशोक	पलिएल्थआ लांगीफोलिया, सरक्का असोका	51.	बांस*	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस
25.	पुत्रंजीवा	पुत्रंजीवा रौक्सबरगाई	52.	बांस की अन्य प्रजातियाँ	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस को छोड़कर अन्य सभी बांस प्रजातियाँ
26.	इमली	टैमिरिन्डस इन्डिका			आयातित काष्ठ की समस्त प्रजातियाँ जो म०प्र० में नहीं पाई जाती हैं चाहे वे किन्हीं अन्य नामों से जानी जाती हों
27.	जामुन	साइजियस क्यूमिनि	53.	आयातित काष्ठ प्रजातियाँ **	

* - खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाधाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी और मण्डला जिलों के सिवाय अन्य जिलों में।

** - आयातित काष्ठ में परिवहन अनुज्ञा—पत्र की आवश्यकता से वह प्रजातियाँ मुक्त नहीं हैं जो अन्य राज्यों में किन्हीं कारणों से प्रतिबंधित हैं। परन्तु वनोपज जांच नाके अथवा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर काष्ठ के स्वामित्व एवं सक्षम अधिकारी की कटाई की अनुमति प्रस्तुत की जानी होगी।

टीप :- परन्तु कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व की ऐसी प्रजातियों की वनोपज हेतु अभिवहन पास की मांग करता है तो अभिवहन पास इस निमित प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
प्रशांत कुमार, सचिव,

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./उत्पादन/काष्ठ/4266

भोपाल, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :- निजी भूमि में उत्पादित हो रहे बांस एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत इमारती काष्ठ को समितियों के माध्यम से विक्रय के संबंध में।

वर्तमान में निजी भूमि में उत्पादित होने वाले बांस एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत इमारती काष्ठ का विपणन कृषकों द्वारा स्वयं किया जाता है। छोटी-छोटी मात्रा में उत्पादित होने वाले इन वनोपजों की विक्री का न तो पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो पाता है, न ही क्रेताओं में वास्तविक प्रतिस्पर्धा हो पाती है, जिसके कारण कृषकों को उनके निजी क्षेत्रों से उत्पादित वनोपज का सही मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है और बिचौलियों द्वारा इस वनोपज को बहुत कम मूल्य पर खरीद कर दोबारा विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में ग्राम वन/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से सहयोग से ग्रामीणों को उनके निजी क्षेत्र से प्राप्त वनोपज का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. नीचे दर्शायी प्रक्रिया पूर्णतः स्वैक्षिक है। इसका प्रचार-प्रसार पर्याप्त रूप से किया जाए।
2. समिति के सदस्य, जिनके द्वारा वनोपज प्रदाय किया गया है उन्हें समिति अपने समिति कोष से वनोपज के संभावित औसत विक्रय मूल्य का 75 प्रतिशत मूल्य वनोपज प्राप्त करते ही भुगतान कर देगी। शेष राशि समिति (समिति खर्च) काटकर हितग्राही को समय-समय पर प्रदाय कर देगी। समिति खर्च विक्रय मूल्य का अधिकतम 8 प्रतिशत रहेगा, जो बांस के प्रकरण में कम से कम एक रूपया प्रति नग होगा।
3. संबंधित ग्राम वन/वन सुरक्षा समितियों को कार्यक्षेत्र में आने वाले कृषक उनके निजी क्षेत्र से प्राप्त वनोपज को वन विभाग के नजदीकी डिपो में परिवहन कराकर उस समिति के प्रतिनिधि को सौंपेंगे, जहां पर कि डिपो स्थित है। यह डिपो वर्तमान निस्तार या मुख्य डिपो हो सकता है। डिपो में समिति इस प्रकार से प्राप्त वनोपज का विक्रय सप्ताह के पूर्व घोषित दिनों में समय-समय पर नीलाम द्वारा कर सकेगी।
4. जिस व्यक्ति को समिति द्वारा डिपो में रखा जावे, उसे कुछ मूल्य मेहनताने के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में भी अवश्य दिलाई जावे, जो कि प्रति बांस या बल्ली के नग या घनमीटर पर आधारित हो।
5. इस प्रकार विक्रय किये जाने वाली वनोपज से संबंधित समस्त कर, समिति संबंधित क्रेता से वसूल कर अपने खाते में स्वयं जमा करेगी।
6. वन विभाग के डिपो में समिति द्वारा संग्रहित की गई वनोपज की सुरक्षा व अन्य किसी प्रकार की नुकसानी का दायित्व समिति स्वयं निर्वहन करेगी।
7. संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी उक्त पूर्ण प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे, जिससे वन क्षेत्रों में अवैध कटाई न हो।

वन संरक्षक उक्त निर्देश समस्त वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डलों को तत्काल जारी करें, जिससे निजी क्षेत्र में उत्पादित हो रही वनोपज के प्रतिस्पर्धा पूर्ण निर्वर्तन से किसानों को वनोपज का सही मूल्य प्राप्त होना संभव हो सके। इस वर्ष प्रत्येक वनमण्डल के कम से कम दो डिपो में उक्त व्यवस्था लागू किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन 1 माह के अंदर प्रेषित किया जाए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./एफ-7/2/2004/10-3

भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर 2009

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय :— बांस का सामान बनाकर जीविकापार्जन करने वाले बैगा आदिवासियों को बसोड समुदाय की तरह रियायती दरों पर बांस उपलब्ध करना ।

— : : —

राज्य शासन ने एतद द्वारा यह निर्णय लिया है कि बसोड समुदाय की तरह बांस का सामान बनाकर जीविकापार्जन करने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को भी उपलब्धता के आधार पर 150 बांस प्रतिवर्ष प्रदाय किया जाए । शेष समस्त शर्तें बसोडों के लिए निर्धारित अनुसार ही रहेगी ।

(एस.आर.चौधरी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर 2009

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
2. सचिव म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल ।
3. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन/समन्वय) मध्य प्रदेश भोपाल ।
4. समस्त वन मंडल मध्यप्रदेश ।
5. समस्त वनमंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन—शाखा)

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल—462004

पृ.क्र./उत्पा./निस्तार/45/408/4057

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2009

प्रतिलिपि :—

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक/समस्त वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. अवर सचिव म.प्र.शासन वन विभाग की ओर उनके पत्रा क्र./एफ-7/2/2004/10-3, दिनांक 09.09.2009 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन, विकास प्राधिकरण, तृतीय तल एम.पी. नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674206, 2674248 फैक्स-2766315

क्र./एस-04/तक-II/189-II/3752

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय) वन वृत्त, मध्यप्रदेश,
समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व, म0प्र0,
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्धान, म0प्र0,
मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, ग्वालियर म0प्र0,
वनमण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी)
वनमण्डल कूनो पालपुर, श्योपुर/नौरादेही, सागर
समस्त वनमण्डलाधिकारी साठ वनमण्डल म0प्र0,

विषय :- वन्यप्राणियों से फसलहानि हेतु प्राप्त प्रकरणों को निराकरण एवं भुगतान हेतु राजस्व विभाग को भेजने बाबत् निर्देश।

—00—

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ./308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर 2011 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के झाप के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवा क्र. 4.6 में वन्यप्राणियों से फसलहानि का भुगतान हेतु यह सेवा राजस्व विभाग को सौंपी गई है, किन्तु वर्ष 2012-13 तक फसल हानि हेतु निर्धारित मद 5828 से वन्यप्राणियों से हुई फसल क्षति हेतु राहत राशि का भुगतान संबंधित वनमण्डलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। इस वर्ष 2013-14 से वन्यप्राणियों द्वारा फसल क्षति हेतु बजट योजना क्र. 7250 के तहत राहत आयुक्त को बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है तथा वन विभाग से यह योजना निर्धारित मद 5828 सहित राजस्व विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। अब वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से हुई फसल हानि हेतु मुवाऊजा भुगतान के संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, चूंकि कृषकों के समस्त अभिलेख राजस्व विभाग में उपलब्ध होते हैं तथा यह योजना उक्त अधिनियम के तहत राजस्व विभाग को सौंपी गई है एवं इस हेतु निर्धारित बजट मद भी राजस्व विभाग के अधीन है, इसलिए वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि से संबंधित प्रकरण प्राप्त होने पर इन्हे निराकरण एवं भुगतान हेतु संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों को ही भेजे। नवीन व्यवस्था के संबंध में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं ईको विकास समितियों के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जावे।

(नरेन्द्र कुमार)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0

पृ.क्र./एस-04/तक-II/189-II/3753

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2013

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0

**कार्यालय मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल**

क्र / एस-4 / तक-2 / 185 / 3850

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012

प्रति,

1. समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय)
वन वृत्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक,
प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश
3. समस्त संचालक
राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
सिंह परियोजना, ग्वालियर मध्यप्रदेश,
5. समस्त वनमण्डल अधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, मध्यप्रदेश,
6. वनमण्डलाधिकारी
कूनोपालपुर, वन्यप्राणी वनमण्डल श्योपुर/ नीरादेही
वन्यप्राणी वनमण्डल सागर, मध्यप्रदेश

विषय :- वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनधायल, पशुहानि किये जाने पर दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि तत्काल प्रभाव से
पुनरीक्षित होने बाबत।

- : : -

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्र.
/एफ-15-13/2007/10-2 दिनांक 20 जुलाई 2012 की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
उपरोक्त संबंध में मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. पी.के. शुक्ला)
**मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल**

पृ.क्र / एस-4 / तक-2 / 185 / 3851

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012

प्रतिलिपि :- प्रगुच्छ सचिव मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल**

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012

— : : —

क्रमांक /एफ-15-13/2007 / 10-2 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 फरवरी 2008 द्वारा निर्धारित की गई वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि/जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है।

सं. क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति राशि
1	2	3
1.	जनहानि (मृत्यु होने पर)	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार) मात्र एवं इलाज पर हुआ व्यय
2.	स्थायी रूप से अपंगता होने पर	1,00,000 (रुपये एक लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ व्यय
3.	जनघायल होने पर	30,000 (रुपये तीस हजार) मात्र अधिकतम
4.	पशुहानि (वन्यप्राणी द्वारा)	राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार

- वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली उक्त हानि की स्थिति में शर्ते एवं निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।
- उपरोक्त व्यय मांग संख्या 10-शीर्ष-2406 योजना क्रमांक (3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति-54 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
 - (क) सांप एवं गुहेरा को छोड़कर सभी वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने अथवा मनुष्यों को घायल करने पर मुआवजा का भुगतान किया जाए।
 - (ख) जनहानि होने पर वनमंडल कार्यालय अथवा वन परिक्षेत्र कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर 48 घंटे के अंदर तात्कालिक सहायता दी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विश्राम सागर शर्मा)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

- वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि के प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: कंमांक 4 के अनुसार मुआवजा भुगतान किया जाएगा। राजस्व पुस्तिका परिपत्र की वर्तमान अधिकतम दरें निम्नानुसार हैं।
- मोप्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक /एफ ६-६/२०१२/सात-३ दिनांक 24/07/2015 द्वारा संशोधित।

क्र.	(क) पशुहानि के लिये	(राशि रूपये में प्रति पशु)
1.	दुधारू पशु :- क) गाय/भैंस/ऊँट ख) बकरी/मेड	30,000/- (रूपये तीस हजार) 3,000/- (रूपये तीन हजार)
2.	गैर दुधारू पशु :- क) बैल/भैंसा/ऊँट/घोड़ा ख) बच्चा—गाय/भैंस/घोड़ा/ऊँट ग) गधा/खच्चर	25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) 16,000/- (रूपये सोलह हजार) 16,000/- (रूपये सोलह हजार)
3.	सुअर	3,000/- (रूपये तीन हजार)
4.	बच्चा—मेड, बकरी, सुअर, गधा	250/- (रूपये दो सौ पचास)

3. राज्य शासन द्वारा आदेश क्र./एफ 15-3/07/10-3/दिनांक 26.06.2008 द्वारा किसानों की फसलों को वन्यप्राणियों द्वारा पहुँचाई जाने वाली हानि का मुआवजा भुगतान करने के आदेश निम्नानुसार प्रसारित किए गये हैं।

वनों के अंदर या वन सीमा के 5 किलों मीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि किए जाने पर सबधित व्यक्तियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हानि का मुआवजा दिए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

(क) फसल हानि का आंकलन राजस्व विभाग प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा क्षति का आंकलन कर दिया जाने वाले मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान प्रभावित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

4. फसल हानि मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार है—

- (क) वन्यप्राणियों द्वारा फसल क्षति किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा फसल हानि होने के 24 घंटे के भीतर आवेदन निकटतम राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ख) राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार हानि का आंकलन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवश्यक होने पर अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाए स्थल निरीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकेगी।
- (ग) राजस्व अधिकारियों द्वारा हानि का आंकलन कर जिले के कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा एवं तदानुसार राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जावेगा।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छ: क्रमांक 4 के सुसंगत अंश निम्नानुसार है :-

(क) फसल हानि के लिये आर्थिक अनुदान के मानदण्ड :-

क्र.	कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी	25 से 33 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान की सहायता राशि
1	2	3	4
1.	लघु एवं सीमांत कृषक—० हे. से २ हे. तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को	1. वर्षा आधारित फसल के लिये - रूपये 2000/- (रूपये दो हजार) प्रति हे. 2. सिंचित फसल के लिये -रूपये 3500/- (रूपये तीन हजार पाँच सौ) प्रति हे. 3 बारामाही (पेरीनियल) (६ माह से कम अवधि की) फसल के लिये - रूपये 5000/- (रूपये	1. वर्षा आधारित फसल के लिये - रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) प्रति हे. 2. सिंचित फसल के लिये -रूपये 7500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ) प्रति हे. 3 बारामाही (पेरीनियल) (६ माह से कम अवधि की) फसल के लिये - रूपये 18,000/- (रूपये

		पांच हजार) प्रति है.	अद्वाह हजार) प्रति है.
	4.	बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिये – रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार) प्रति है.	4. बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिये – रुपये 18,000/- (रुपये अद्वाह हजार) प्रति है.
	5.	निरंक	5. सेरीकल्चर (ऐरी, सहतूत और टसर) फसल के लिए–रुपये 3,200 (रुपये तीन हजार दो सौ) प्रति है. तथा मूँगा फसल के लिए–रुपये 4,000 (रुपये चार हजार) प्रति है.
2.	लघु एवं सीमांत कृषक—2 हे. से अधिक वृष्टि भूमि धारित करने वाले कृषक / खातेदार को	1. वर्षा आधारित फसल के लिये – रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) प्रति है. 2. सिंचित फसल के लिये –रुपये 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ) प्रति है. 3 बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की) फसल के लिये – रुपये 3500/- (रुपये तीन हजार पांच सौ) प्रति है. 4. बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिये – रुपये 13,500/- (रुपये तेरह हजार पांच सौ) प्रति है.	1. वर्षा आधारित फसल के लिये – रुपये 6,800/- (रुपये छ: हजार आठ सौ) प्रति है. 2. सिंचित फसल के लिये –रुपये 13,500/- (रुपये तेरह हजार पांच सौ) प्रति है. 3 बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की) फसल के लिये – रुपये 18,000/- (रुपये अद्वाह हजार) प्रति है. 4. बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिये – रुपये 18,000/- (रुपये अद्वाह हजार) प्रति है.

(ख) फलदार पेड़ उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नीबू के बगीचें, अंगूर, अनार, आदि की फसले तथा पान बरेजा, आदि की हानि के लिये आर्थिक अनुदान सहायता के लिये मानदण्ड :—

क्र.	विवरण	25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान की सहायता राशि
1	2	3	4
1.	फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें (कमाक 2 में दो उल्लेखित बगीचें/फसले छोड़कर	रुपये 200/- (रुपये दो सौ) प्रति पेड़	रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रति पेड़
2.	संतरा, नीबू के बगीचे पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले	रुपये 4000/- (रुपये चार हजार) प्रति है.	रुपये 6000/- (रुपये छ: हजार) प्रति है.
3.	पान, बरेजा आदि के हानि के लिये	रुपये 12000/- (रुपये बारह हजार) प्रति है. या रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रति पारी	रुपये 2000/- (रुपये दो हजार) प्रति है. या रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति पारी

- (1) उपर्युक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी किन्तु देय राशि बारमाही पेरीनियल फसलों के लिए रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार) से कम नहीं होगी।
- (2) फसल हानि के लिये या फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार, आदि के फसले या पान बरेजा आदि की हानि होने पर ऊपर वर्णित मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार) से अधिक नहीं होगी।
- (3) कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अथवा खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो खेती कर रहा है उसे अनुदान सहायता की पात्रता होगी।
- (4) पान बरेजा खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में प्रयुक्त 20 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.025 है. भूमि।

चराई नियमावली 1986 का अनुपालन

मध्यप्रदेश राजपत्रा दिनांक 04/09/2009 द्वारा चराई की निम्नानुसार दरें लागू की गई है।

(एक)	गाय, सांड, बैल	:	रूपये निरंक
(दो)	अन्य पशु	:	रूपये 8.00 प्रति पशु इकाई

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण-कक्ष) म0प्र0 के पत्रा क्र./संरक्षण/1702 दिनांक 20/11/2002 द्वारा म0प्र0 चराई नियम 1986 के अन्तर्गत दिये गये निर्देश निम्न है :-

- 1- राज्य के वनों में अनुज्ञाप्ति के बिना चराई प्रतिबंधित है। निःशुल्क चराई के लिये भी अनुज्ञाप्ति आवश्यक है। चराई अनुज्ञाप्ति प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा उस संयुक्त वन प्रबंधन समिति को आवंटित क्षेत्रों के लिये जारी की जायेगी।
- 2- राज्य के वनों में उनकी धारण क्षमता (Carrying Capacity) के अनुरूप ही चराई भार की अनुमति दी जायेगी। चराई खण्डों का निर्धारण वन संरक्षण द्वारा किया जाना है किन्तु अंतरिम तौर पर प्रत्येक वन खण्ड को चराई इकाई माना गया है। अंतरिम तौर पर आरक्षित वनों में एक पशु इकाई एवं संरक्षित वनों में 02 पशु इकाई प्रति हैक्टेयर का चराई भार निर्धारित किया गया है।
- 3- आरक्षित वनों में मेढ़ा, मेढ़ी, बकरा, बकरी, ऊँट, हाथी को चराई की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। यह प्रजातियाँ सामान्यतः संरक्षित वनों में अनुज्ञाप्ति के अधीन चर सकती है किन्तु अभिगमन चराई अनुज्ञाप्ति के अन्तर्गत संरक्षित वनों में भी इनकी चराई प्रतिबंधित है। (मार्ग के मध्य से 100 मीटर की दूरी को छोड़कर)
- 4- 20 पशु इकाई से अधिक पशुओं के मालिकों को चराई शुल्क का भुगतान करना होता है। 21 से 30 पशु इकाई तक रूपये 4/- एवं उससे अधिक रूपये 8/- प्रति पशु इकाई की दर निर्धारित है। गाय, बैल एवं सांड की चराई निःशुल्क है। किसी भी चराई इकाई या उप इकाई में निःशुल्क अथवा सशुल्क घरने के लिये अनुज्ञाप्त पशुओं की संख्या उसकी धारण क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- 5- किसी चराई इकाई में चराई हेतु गांवों की प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु मापदण्ड नियम-4 के अन्तर्गत निर्धारित है एवं प्रत्येक चराई इकाई (वन खण्ड) को उप इकाईयों में बॉट कर ग्राम सभा द्वारा चराई अनुज्ञाप्तियों जारी की जाना है।
- 6- अभिगमन (Transit) चराई के लिये शासन द्वारा अलग से वार्षिक दरें (40/- रूपये प्रति पशु इकाई) निर्धारित की गई है। इन दरों को सामान्य दरों के साथ किसी भी हालत में Confuse न किया जावे। यह दरें उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति अपने पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना चाहता हो। राजस्थान एवं गुजरात से मध्यप्रदेश होकर उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र जाने वाले पशुओं के लिये शासन द्वारा विशेष मार्ग निर्धारित किये गये हैं एवं यह पशु उन्हीं मार्गों से आवागमन कर सकते हैं तथा इन मार्गों से जाने के लिये उन्हें अभिगमन चराई शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य क्षेत्रों में इन पशुओं का पाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है।
- 7- पैरा 3 में उल्लेखित प्रजातियों के अतिरिक्त प्रजातियों के पशु अभिगमन के दौरान वनों में चराई कर सकते हैं किन्तु पैरा 3 में उल्लेखित पशु निर्धारित मार्गों की मध्य रेखा से 100 मीटर की दूरी के अन्दर ही चर सकते हैं।
- 8- देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वनों में चराई को नियंत्रित करने के लिये नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करवाया जा रहा है। कृपया आप लोग शीघ्रतिशीघ्र सभी वन वनमण्डलाधिकारियों की बैठक बुलवाकर नियमों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 21-05-2002 के अनुसार चराई अनुज्ञाप्ति जारी करने का कार्य ग्राम सभाओं को दिया गया है, कृपया इस व्यवस्था को लागू करने के लिये आवश्यक स्टेशनरी तैयार करवाकर ग्राम सभाओं को उपलब्ध करावे एवं सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं ग्राम सभाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों में निर्धारित चराई क्षमता से अधिक चराई न हो। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, नियमावली के नियम 4 के अनुसार निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञाप्त पशु भी बिना अनुज्ञाप्ति के वनों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिये यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों में यह धारणा है कि, निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञाप्ति की आवश्यकता नहीं है, इसे शीघ्रतिशीघ्र ठीक करें किसी चराई उप इकाईयों में चराई भार को उसकी क्षमता के अन्दर सीमित रखने के लिये कुल उपलब्ध क्षमता को गांव के निवासी परिवारों में बॉटा जाकर उन्हें निःशुल्क एवं सशुल्क चराई अनुज्ञाप्ति जारी करने की व्यवस्था करें। यदि किसी परिवार के पास उनको आवंटित की गई अनुपातिक क्षमता से अधिक पशु है तो उन्हें वन क्षेत्रों में चराने से प्रतिबंधित किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक / समिति / 354 / 3266
प्रति,

भोपाल दिनांक 12.05.2008

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म.प्र. भोपाल,

विषय :- उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ के साथ-साथ बांस उपलब्ध कराने तथा एक विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक डिपो स्थापित करने के संबंध में।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक / समिति / 347 / 7180 भोपाल दिनांक 07.02.2008

—00—

राज्य शासन ने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों हेतु खुदरा बिक्री डिपो की स्थापना कर इमारती खोलने वालत राज्य शासन निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) राज्य शासन एतद द्वारा खुदरा बिक्री हेतु स्थापित किये गये डिपो से इमारती काष्ठ के साथ-साथ हितग्राहियों, (वैगा अन्य आदिवासियों, शिल्पकार) को प्रतिमाह अधिकतम 50 बांस तथा शिल्पकारों की समितियों एवं स्व सहायता समूहों को अधिकतम 500 बांस तक उपलब्धता के अनुसार प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- (2) बांस प्रदाय दरे संबंधित वन वृत्त द्वारा निर्धारित विभिन्न बांस वर्ग के लिये अवरोध दर 10 प्रतिशत अधिक रहेगी। अवरोध दरों पर समस्त देय कर अतिरिक्त होंगे।
- (3) यदि किसी वन वृत्त में बांस का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण अवरोध दरे उपलब्ध नहीं है तो वे नजदीकी वन वृत्त की बालाघाट की अवरोध दरों का उपयोग करेंगे। यदि नजदीकी वन वृत्त में भी उस बांस वर्ग की अवरोध दरे उपलब्ध नहीं हो तो वन वृत्त नहीं होगी।
- (4) किसी भी स्थिति में संबंधित खुदरा बिक्री डिपो से प्रदाय किये जाने वाले बांस की दरे अवरोध मूल्य देय समस्त करों से कम नहीं होगी।
- (5) यदि किसी वन वृत्त में बांस उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके बांस किसी अन्य वृत्त से लाकर खुदरा बिक्री डिपो में उपलब्ध कराया जाता है तो जिस वृत्त बांस लाया जा रहा है। वृत्त के संबंधित बांस वर्ग के लिये निर्धारित अवरोध दरों में 10 प्रतिशत जोड़कर तथा वास्तविक कटाई व्यय एवं संबंधित करों को जोड़कर प्रदाय दरे निर्धारित की जायेगी।
- (6) राज्य एवं केन्द्र शासन के विभागों एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग विभाग, निगम, संस्थाओं इत्यादि को बांस प्रदाय हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / समिति / 06 / 2002 / 898 दिनांक 26.06.2002 द्वारा जारी व्यवस्था यथावत् प्रभावशील रहेगी।
- (7) राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति के पत्र क्रमांक / समिति / 06 / 2006 / 2345 भोपाल दिनांक 02.06.2006 के द्वारा अगरबत्ती काड़ी निर्माण करने वाली या उस उद्योग हेतु बांस के गुल्ले आने वाली सहकारी समितियों/वन समितियों/स्व सहायता समूहों एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज एवं विकास सहकारी संघ के अन्तर्गत, कामन फैसिलिटी सेंटर में कार्यरत विक्रय इकाई आगामी आदेश तक निर्धारित की जाती है।
- (8) यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में उक्त व्यवस्था के एक से अधिक खुदरा बिक्री हेतु डिपो स्थापित किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रयोजन हेतु मुख्य वन संरक्षक को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सही

(डॉ.आरके. गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म.प्र. शासन, वन विभाग

क्रमांक / समिति / 354 / 3267
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 12.05.08

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
3. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य वन विकास निगम भोपाल।

4. महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र. ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 12.04.08 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही

(डॉ.आर.के. गुप्ता)
पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./उत्पा०/निस्तार/30/2646

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2011

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
म०प्र०,

विषय :- निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदाय किये जा रहे बांसो की लम्बाई/साईज बावत दिशा-निर्देश।

—००—

उपरोक्त विषय में लेख है कि, बालाघाट एवं होशंगाबाद वृत्तों से निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत 6.40 एवं 7.30 मीटर लम्बाई के बांस प्रदाय करने बावत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, 6.40 तथा 7.30 मीटर लम्बाई के बांस व्यापारिक बांसो की श्रेणी में आते हैं तथा इनका निवर्तन नीलाम द्वारा ही किया जाता है। परीक्षण उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 6.40 एवं 7.30 मीटर लम्बाई के बांस निस्तार सुविधा के अन्तर्गत बसोड़ों को प्रदाय किया जाना उचित नहीं है तथा इनका निवर्तन पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार नीलाम द्वारा ही किया जावें।

निस्तार सुविधा के अन्तर्गत बसोड़ों को 4.60 एवं 5.50 मीटर लम्बाई के बांस पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार उपलब्धता के आधार पर प्रदाय किये जाये।

बसोड़ों की बढ़ती हुई मांगो को ध्यान में रखते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि, यदि आपके वृत्त में 3.70 एवं 2.50 मीटर लम्बाई के बांस उपलब्ध हो, तो उन्हें निस्तार एवं बसोड़ों को प्रदाय करने के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है।

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल

पृ०क्र०/उत्पा०/निस्तार/30/2647

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2011

प्रतिलिपि :- समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) म०प्र०, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्र./समिति/385/74

भोपाल, दिनांक 07 जून, 2011

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(उत्पादन)
सतपुड़ा भवन म0प्र0, भोपाल,

विषय :-

मेसर्स प्रेम काढी उद्योग सिवनी—मालवा को एक मीटर से छोटे (30 सेमी से 70 सेमी तक के) बांस के टुकड़े प्रदाय करने वावत।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 385 वीं बैठक दिनांक 09/05/2011 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-03) मेसर्स प्रेम काढी उद्योग सिवनी—मालवा को एक मीटर से छोटे (30 सेमी से 70 सेमी तक के) बांस के टुकड़े 1700 रुपये प्रति विक्रय इकाई की दर से प्रदाय करने वावत विभाग द्वारा वनोपज अंतर्विभागीय समिति के कार्य संचालन नियम की समिति के माननीय सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई, यह भी निर्देशित किया जाता है कि, प्रदेश के अन्य काढी उद्योगों की मांग पर उपरोक्त साईंज के बांस के टुकड़े प्रदेश के सभी वन वृत्तों एवं वन विकास निगम के डिपों से भी उपरोक्त दर पर प्रदाय करने की राज्य शासन एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(कपूर सिंह)
पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/385/

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 07 जून, 2011

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार (क्रमांक-एक) म0प्र0, ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 09/05/2011) में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वन विकास निगम पंचानन भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।

पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

(कपूर सिंह)
पदेन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./बांस निवर्तन/2001

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई 2015

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
पदेन वन संरक्षक, (म0प्र0).

विषय :— प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरि ये औद्योगिक बांस के प्रदाय हेतु दर निर्धारित करने वाले।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति द्वारा दिनांक 07/07/2015 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए औद्योगिक बांस के टुकड़े प्रदाय हेतु विक्रय मूल्य 1 मीटर के टुकड़े का मूल्य रु. 3/- प्रति नग (रु. तीन प्रति नग) तथा 2 मीटर के टुकड़े का मूल्य रु. 6/- प्रति नग (रु. छः प्रति नग) की दर से विक्रय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(जवाद हसन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

पृ.क्र./निवर्तन/2002

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई 2015

प्रतिलिपि :— सचिव, वनोपज अंतर्विभागीय समिति मध्यप्रदेश भोपाल की ओर समिति के पत्र क्र./समिति/425/75 दिनांक 08/07/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेसित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./उत्पा0/निस्तार/41/2468

भोपाल, दिनांक 21 जून, 2011

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
पदेन वन संरक्षक, (म0प्र0).

विषय :— मेसर्स प्रेम काढ़ी उद्योग सिवनी-मालवा को एक मीटर से छोटे (30 सेमी0 से 70 सेमी0 तक के) बांस के टुकड़े प्रदाय करने वाले।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन वन विभाग का ज्ञापन क्रमांक/समिति/385/74 दिनांक 07/06/2011

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की फोटोप्रति संलग्न कर लेख है कि, प्रदेश के अन्य काढ़ी उद्योगों की मांग पर एक मीटर से छोटे (30 सेमी0 से 07 सेमी0 तक के) बांस के टुकड़े प्रदेश के सभी वन वृत्तों एवं वन विकास निगम के डिपो से शासन, वन विभाग द्वारा निर्धारित दर रु. 1700/- प्रति विक्रय इकाई की दर से प्रदाय करने की अनुमति प्रदाय की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

प्रतिलिपि :-

- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग म0प्र0, भोपाल की म0प्र0 शासन, वन विभाग के पत्र क्र./डी-1407/1290/2011 /10-03 दिनांक 13/05/2011 के तारतम्य में संदर्भित पत्र की फोटोप्रति सहित सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - पदेन सचिव, वनोपज अंतर्भिर्भागीय समिति, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वन विकास निगम पंचानन भवन, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र की फोटोप्रति सहित सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

कार्यालय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी (म.प्र.)

(उत्कृष्ट विद्यालय के सामने भैरोगंज सिवनी)

क्र./स्टोर/2015

सिवनी, दिनांक // / 2015

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
वन वृत्त
सिवनी/बालाघाट/छिन्दवाड़ा

विषय :- निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु "किसान लक्ष्मी योजना" का प्रकाशन निस्तार पत्रिका 2016 में लगाने बावत।

—00—

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु शासन की महत्वाकांची "किसान लक्ष्मी योजना" का प्रकाशन निस्तार पत्रिका 2016 में करने का कष्ट करें ताकि जन साधारण को योजना की जानकारी प्राप्त हो तथा योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

संलग्न - योजना की जानकारी।

मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, सिवनी

पृ.क्र./स्टोर/2015.....

सिवनी, दिनांक // / 2015

प्रतिलिपि :-

- वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, नरसिंहपुर वनमंडल
- वनमण्डलाधिकारी, उत्तर/दक्षिण सिवनी (सा.) वनमंडल
- वनमण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमंडल
- वनमण्डलाधिकारी पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिन्दवाड़ा (सा.) वनमंडल

की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया "किसान लक्ष्मी योजना" का प्रकाशन निस्तार पत्रिका 2016 में करने का कष्ट करें।

संलग्न- योजना की जानकारी।

मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, सिवनी

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु “किसान लक्ष्मी योजना”

प्रदेश में निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों को कृषि आय का साधन बढ़ाने हेतु “किसान लक्ष्मी योजना” लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है।

आवेदक अपनी निजी भूमि में कृषि फसल के साथ खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) अथवा खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

1. **आवेदन की प्रक्रिया :** योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं अथवा वनदूत के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपने जिले के वन विभाग की रोपणी में अथवा समीपस्थ वन विभाग के किसी भी कार्यालय में आवेदन देना होगा।
2. **पौधों की उपलब्धता :** पौधे अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणी में उपलब्ध हैं। आवेदक को रोपणी से स्वयं पौधे प्राप्त करने होंगे।
3. **वनदूत :**
 - योजना में अपने विकासखण्ड का कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में पंजीयन कराकर वनदूत बन सकता है।
 - वनदूत को रोपणी से पौधा प्राप्त कर आवेदक की भूमि पर पौधा रोपण कराना होगा।
4. **योजना की रूपरेखा :** आवेदक को न्यूनतम 100 पौधे के सफल रोपण हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा। अधिकतम रोपण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जीवित पौधों की संख्या के आधार पर योजना का लाभ केवल तीन वर्षों तक भिलेगा।
5. **प्रोत्साहन राशि का वितरण :**
 - रोपण के अगले वर्ष और दूसरे वर्ष में रूपये 3/- तथा तीसरे वर्ष में रूपये 4/- प्रति जीवित पौधा के मान से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 - वनदूत को रोपण के अगले वर्ष में रूपये 2/- दूसरे एवं तीसरे वर्ष में रूपये 1/- प्रति जीवित पौधा के मान से अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 - न्यूनतम 65 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही प्रोत्साहन राशि जीवित पौधे हेतु देय होगी।
6. **प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया :** प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को जीवित पौधों के संबंध में घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में दो स्वतंत्र गवाहों से पुष्टि कराकर देना होगा। तीसरे वर्ष की प्रोत्साहन राशि देने हेतु पौधों का सत्यापन कराया जायेगा तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदक को पात्रता अनुसार प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाते में ही जमा की जावेगी।
7. **प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी :** वृक्षारोपण से संबंधित तकनीकी जानकारी नजदीक के रोपणी स्थल पर एक दिन के प्रशिक्षण के माध्यम से दी जायेगी।
8. **वृक्षारोपण का पंजीयन :** आवेदक यदि वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय में कराता है तो भविष्य में वृक्षों की कटाई में छूट की सुविधा प्राप्त होगी।

—:: सम्पर्क करें ::—

क्र.	जिला	वन विस्तार अधिकारी	दूरभाष क्रमांक	
			कार्यालय	मोबाइल
1.	सिवनी	वन विस्तार अधिकारी सिवनी	—	9425796529
2.		वन विस्तार अधिकारी लखनादौन	—	9302662105
3.	छिन्दवाड़ा	वन विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा	—	7354854471
4.		वन विस्तार अधिकारी सौंसर	—	9424796527
5.	बालाघाट	वन विस्तार अधिकारी बालाघाट	—	8435869595
6.	नरसिंहपुर	वन विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर	—	9425796529
मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी			07692-221395	9424796530

वन एवं वन्यप्राणी अपराध से संबंधित
सूचना देने के लिए

निःशुल्क टेलीफोन नंबर 155312

01 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ

इस टोल फ्री नंबर पर बात करने पर आपको कोई पैसा
नहीं देना होगा। कोई भी व्यक्ति सप्ताह में किसी भी
दिन 24 घंटे में कभी भी वन अपराध की सूचना इस
नंबर पर दर्ज करा सकता है।

- समस्त प्रकार के वन अपराध जैसे अवैध शिकार, अवैध कटाई व
अवैध परिवहन, वनभूमि पर अतिक्रमण, वनों में लगने वाली आग
इत्यादि समस्त वन अपराधों की सूचना आप टेलीफोन नंबर
155312 पर दीजिए।
- वन अपराधों से संबंधित अन्य कोई भी गोपनीय सूचना आप
उपरोक्त नंबर पर दे सकते हैं। यदि आप अपनी पहचान गोपनीय
रखना चाहते हैं तो इसे गोपनीय रखने के लिए वन विभाग
वचनबद्ध है।
- सूचना सहीं पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार
पुरस्कार भी दिया जायेगा।

वनों में है शांति संगीत।
वृक्ष लगाओं मिलकर गीत ॥



वन एक संज्ञा है पेड़ एक इकाई।
वन से है जीवन मत करो कटाई ॥



वृक्ष एक अनमोल धन है, इसकी रक्षा धर्म। इसे बचाना पुण्य है, यही हमारा कर्म ॥
वन जंगल के रूप में, स्वयं ईश का वास। इसलिए वो संत हमेशा रहते इनके पास ॥

सच करने हैं अपने सपने।
घर परिवार के वृक्ष हो अपने ॥



वृक्ष लगाना पुण्य है, कहता वेद पुराण।
इससे बढ़कर दूसरा और नहीं है ज्ञान ॥



बुक पोस्ट
भारत शासन सेवार्थ



प्रति,
श्रीमान
ग्राम पोस्ट
तहसील जिला



वन एवं वन्य प्राणी की रक्षा कीजिए

उत्तर सिवनी (सामान्य) ₹ 220556, दक्षिण सिवनी (सामान्य) ₹ 220530